

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

ब्रॉड सोन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

भारत संघ और अन्य

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 3531

18 अप्रैल, 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरेंद्र पांडे)

[के साथ दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16361/2022, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17070/2022, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17077/2022, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17078/2022, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18535/2022, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9140/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9162/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9947/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 11538/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16764/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17700/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18206/2023, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2730/2024, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4297/2024, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4562/2024, दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 6389/2024]

विचार के लिए मुद्दा

क्या केंद्रीय और राज्य जीएसटी प्राधिकरण द्वारा एक ही कर अवधि के लिए प्रारंभ किए गए दोहरे कार्यवाही जीएसटी शासन के तहत कानूनी रूप से टिकाऊ हैं। क्या दोनों प्राधिकारियों द्वारा समानांतर कार्रवाई उत्पीड़न के बराबर है और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी अधिनियमों के तहत वैकल्पिक वैधानिक निवारणों को देखते हुए रिट याचिका की अनुमति है।

हेडनोट्स

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - रिट याचिका - जीएसटी कार्यवाही को चुनौती - माल और सेवा कर - दोहरी कार्यवाही - केंद्र बनाम राज्य प्राधिकरण - वैधता और रखरखाव - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन - सुनवाई का अवसर न - रिट की स्थिरता - वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता - गैर-बाधा खंड के बावजूद जीएसटी लगाने के लिए राज्य और केंद्र को विधायी शक्ति प्रदान करने के लिए सेवा में नहीं डाला जा सकता है - रॉयल्टी दो का एक संकर है सेवाओं के लिए शुल्क और प्रतिपूरक शुल्क के बीच अंतर - कर योग्य

घटना - समझौते के निष्पादन पर जीएसटी के लागू होने से पहले हो रहा है।
रॉयल्टी एक सांविधिक अधिरोपित/कर नहीं है - माडा

निर्णय: रॉयल्टी का भुगतान केवल खनिज अधिकारों के प्रयोग पर किया जाना है - कर का प्रभाव - अग्रिम विनिर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश - अनुमोदित - अपीलीय प्राधिकारी द्वारा छूट का दावा सही रूप से अस्वीकार किया गया है - ब्याज का हस्तांतरण खनिज अधिकारों के प्रयोग से अलग है - रॉयल्टी का उपयोग रॉयल्टी पर कर के रूप में किया जा सकता है - यह तर्क कि रॉयल्टी एक संयोजित शुल्क है जो नियामक और सेवा शुल्क के लिए है - नकार दिया गया। अदालत ने संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश देते हुए वादपत्र को निपटाया कि वे आपस में समन्वय करें और कार्यवाही की विविधता से बचें। इसने जीएसटी ढांचे के तहत करदाताओं को डबल जोखिम और प्रक्रिया के दुरुपयोग से बचाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

न्याय दृष्टान्त

(1974) 4 SCC 656, (2024) 10 SCC 1, (1989) 2 SCC 285, (1994) 3 SCC 1, AIR 1962 1044, AIR 1965 SC 1107, AIR 1997 SC 1168, (1997) 2 SCC 715, (2005) 2 SCC 762, 1985 (Supp) SCC 205, 1996 (83) ELT 3 (SC) : (1996) 3 SCC 434, (2000) 6 SCC 12, AIR 1959 SC 149, (1985) 3 SCC 545, (1990) 1 SCC 12, (CWJC No. 1200 of 2023), (2004) 10 SCC 201

अधिनियमों की सूची

भारत का संविधान, 1950, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (CGST अधिनियम), बिहार वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (BGST अधिनियम), संयुक्त वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (IGST अधिनियम), कंपनी अधिनियम, 1956

मुख्य शब्दों की सूची

माल एवं सेवा कर; रॉयल्टी; रेत घाट; नीलामी

प्रकरण से उत्पन्न

अग्रिम निर्णय हेतु अपीलीय प्राधिकारी, बिहार द्वारा मामला संख्या AAAR/01/2021 में पारित ज्ञापन संख्या 341 दिनांक 10.12.2021 में निहित आदेश को रद्द करने के लिए

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 3531 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

यूओआई के लिए : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री अंशुमान सिंह, सीनियर एससी (सीजीएसटी और
 सीएक्स)
 श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16361 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17070)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17077 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17078 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18535 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9140 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी.पथी, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
 श्री हीरेश करण, अधिवक्ता
 सुश्री शिवानी देवल्ला, अधिवक्ता

सुश्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9162 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी.पथी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
श्री हीरेश करण, अधिवक्ता
श्री शिवानी देवला, अधिवक्ता
श्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9947 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी.पथी, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
श्री हीरेश करण, अधिवक्ता
श्री शिवानी देवला, अधिवक्ता
श्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 11538 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अनुराग सौरव, अधिवक्ता
श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
सुश्री प्रीति कुमारी, अधिवक्ता
श्री शारदा राजे सिंह, अधिवक्ता
श्री अंकेश बिभू, अधिवक्ता
श्री वैभव कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए : श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
सुश्री रुना, एसी से जीपी-7
यूओआई के लिए : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री अंशुमान सिंह, वरिष्ठ एससी (सीजीएसटी और
सीएक्स)
श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16764 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता
 श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता
 श्री विकास खन्ना, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी 7)
 सुश्री रूना, एसी से जीपी-7

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17700 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18206 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2730 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4297 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील 11

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4562 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 6389 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अब्दुल मन्नान खान, अधिवक्ता
श्री बिनय कुमार, अधिवक्ता
श्री हाफिज शाहबाज आरिफ, अधिवक्ता
प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
सुश्री रूना, एसी टू जीपी-7

हेडनोट बनाया गया: रवि राज

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

क्रम संख्या	अंतर्वस्तु	पेज नं.
1	कारण शीर्षक	3-11
2	मामले के संक्षिप्त तथ्य	14-20
3	याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ: दस्तावेजों की सूची	20-22
	(i) जी.एस.टी. से बहिष्करण--जैसा कि शराब उद्योग को प्रदान किया गया है।	23-27
	(ii) अनुच्छेद 246 ए के बावजूद, राज्य और केंद्र को जी.एस.टी. लागू करने के लिए विधायी शक्ति प्रदान करने के लिए गैर-बाध्यकारी खंड को सेवा में नहीं लगाया जा सकता है।	27-32
	(iii) रॉयल्टी दो घटकों का एक संकर है अर्थात् सेवाओं के लिए शुल्क और क्षतिपूर्ति शुल्क के बीच का अंतर।	32-36
	(iv) कर योग्य घटना-समझौते के निष्पादन पर जी.एस.टी. लागू होने से पहले होने वाली घटना।	36-46
4	राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ	46-56
5	याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर	56-63
6	सोच-विचार:-	63-64
6.1	जी.एस.टी. का भुगतान करने के लिए दायित्व की स्वीकृति	65
6.2	किस सवाल पर अग्रिम निर्णय मांगा गया	65-66
6.3	अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का आदेश	66-68
6.4	लिखित क्षेत्राधिकार में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती	68-71
6.5	याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई	71-72
6.6	अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष मेसर्स बीएससीपीएल-याचिकाकर्ता का रुख	72-76
6.7	याचिकाकर्ता के रुख में बदलाव	76-78
6.8	रॉयल्टी एक सांविधिक शुल्क/कर नहीं है-एमएडीए निर्णय	79-84
6.9	रॉयल्टी का भुगतान केवल "खनिज अधिकारों" के प्रयोग पर किया जाना है-कर की घटना	84-86

6.1	भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची अनुच्छेद-246 ए के तहत सूची II की प्रविष्टि 50	86-94
6.11	सेवाओं का वर्गीकरण-अधिसूचना संख्या 11/2017-केंद्रीय कर (दर); 27/2018-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31.12.2018 और परिपत्र संख्या 164/2021 दिनांक 06.10.2021-चर्चा की गई	94-97
6.12	अग्रिम निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण का आदेश- अनुमोदित	98-99
6.13	अपीलीय प्राधिकरण द्वारा उचित रूप से अस्वीकृत छूट का दावा	99-100
6.14	ब्याज का हस्तांतरण खनिज अधिकारों के प्रयोग से अलग है-रॉयल्टी का उपयोग रॉयल्टी पर कर के उपाय के रूप में किया जा सकता है।	100-101
6.15	यह तर्क कि रॉयल्टी में नियामक और सेवा शुल्क के लिए एक समग्र शुल्क शामिल है-नकारात्मक	101-106
7	सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9140/2023, सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9162/2023 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 9947/2023	106-112
8	सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11538/2023	112-114
9	सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16764/2023	114-117
10	सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 17700/2023 सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 18206/2023	117-120
11	सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2730/2024 सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4297/2024	120-124
12	सीडब्ल्यूजेसी संख्या 4562/2024	124-128
13	सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6389/2024	128-130

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 3531

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके निदेशक अशोक कुमार, उम्र लगभग 66 वर्ष (पुरुष), पिता- राम चंद्र साव, निवासी गांव/मोहल्ला- परेओ, थाना- बिहटा, जिला- पटना के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ आयुक्त, केंद्रीय जी.एस.टी. और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना के माध्यम से, जिसका कार्यालय एनेक्सी भवन, केंद्रीय राजस्व भवन, बीर चंद पटेल मार्ग, पटना में है।
2. प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार के माध्यम से बिहार राज्य।
3. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार।
4. अतिरिक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, पटना।
5. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा

.....उत्तरदाता

=====

साथ में

2022 का दीवानी रिट अधिकार क्षेत्र मामला संख्या 16361

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका निगमित कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, इसके निदेशक अशोक कुमार उम्र लगभग 67 वर्ष (पुरुष), पिता राम चंद्र साव, निवासी गांव/मोहल्ला-परेओ, थाना- बिहटा, जिला-पटना के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव और आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17070

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, जिसके निदेशक अशोक कुमार, उम्र लगभग 67 वर्ष (पुरुष), पिता राम चंद्र साव, निवासी ग्राम/मोहल्ला-परेओ, थाना-बिहटा, जिला पटना हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17077

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, जिसके निदेशक अशोक कुमार, उम्र लगभग 67 वर्ष (पुरुष), पिता राम चंद्र साव, निवासी ग्राम/मोहल्ला-परेओ, थाना-बिहटा, जिला पटना हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17078

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, जिसके निदेशक अशोक कुमार, उम्र लगभग 67 वर्ष (पुरुष), पिता राम चंद्र साव, निवासी ग्राम/मोहल्ला-परेओ, थाना-बिहटा, जिला पटना हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18535

=====

ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत गठित एक कंपनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय डॉ. हिमांशु कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक रोड, कोइलवर चौक, थाना- कोइलवर, जिला- भोजपुर (आरा) में है, जिसके निदेशक अशोक कुमार, उम्र लगभग

67 वर्ष (पुरुष), पिता राम चंद्र साव, निवासी ग्राम/मोहल्ला-परेओ, थाना-बिहटा, जिला पटना हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से बिहार राज्य।
2. प्रधान सचिव सह आयुक्त, राज्य कर, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार सरकार।
3. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा

.....उत्तरदातागण

=====

साथ में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9140

=====

सिंह एंड गिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है और इसका कार्यालय नारायणपुर, बाघा-845105 में है, इसके निदेशक श्री हरेंद्र सिंह (पुरुष, आयु लगभग 68 वर्ष) पिता स्वर्गीय नगीना सिंह हैं जो वार्ड नंबर 5, सुखवन रोड, नारायणपुर, बाघा 02, थाना- नारायणपुर, पश्चिम चंपारण, बिहार में रहते हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य, जिसका कार्यालय विकास भवन, पटना में है।
2. अतिरिक्त. राज्य कर आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, बगाहा सर्कल, बगाहा।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9162

=====

सिंह एंड गिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है और इसका कार्यालय नारायणपुर, बाघा-845105 में है, इसके निदेशक श्री हरेंद्र सिंह (पुरुष, आयु लगभग 68 वर्ष) पिता स्वर्गीय नगीना सिंह हैं जो वार्ड नंबर 5, सुखवन रोड, नारायणपुर, बाघा 02, थाना- नारायणपुर, पश्चिम चंपारण, बिहार में रहते हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य, जिसका कार्यालय विकास भवन, पटना में है।
2. अतिरिक्त. राज्य कर आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, बगाहा सर्कल, बगाहा।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9947

=====

सिंह एंड गिरी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निगमित है और इसका कार्यालय नारायणपुर, बाघा-845105 में है, इसके निदेशक श्री हरेंद्र सिंह (पुरुष, आयु लगभग 68 वर्ष) पिता स्वर्गीय नगीना सिंह हैं जो वार्ड नंबर 5, सुखवन रोड, नारायणपुर, बाघा 02, थाना- नारायणपुर, पश्चिम चंपारण, बिहार में रहते हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. राज्य कर आयुक्त, बिहार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य, जिसका कार्यालय विकास भवन, पटना में है।
2. अतिरिक्त. राज्य कर आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर
3. सहायक राज्य कर आयुक्त, बगाहा सर्कल, बगाहा।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 11538

=====

मेसर्स उमेश कुमार (एक एकल स्वामित्व वाली फर्म), पंजीकृत कार्यालय- शेखपुर, थाना- यहईपुर, जिला- मुजफ्फरपुर, अपने एकल स्वामी श्री उमेश कुमार, उम्र लगभग 54 वर्ष, पिता जियालाल के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. भारत संघ, सचिव, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के माध्यम से, जिसका कार्यालय कमरा संख्या 46, नॉर्थ ब्लॉक, पोस्ट और थाना- नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110001 में है।
2. मुख्य आयुक्त, सी.जी.एस.टी. और सी.एक्स., कार्यालय-सी.आर. भवन, पहली मंजिल, बीर चंद पटेल पथ, पटना, बिहार।
3. आयुक्त, बीजीएसटी, नए सचिवालय पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
4. राज्य कर के संयुक्त आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्व सर्कल, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।
5. राज्य कर उपायुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्व सर्कल, मुजफ्फरपुर।
6. सहायक राज्य कर आयुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्व सर्कल, मुजफ्फरपुर।
7. राज्य कर के अतिरिक्त आयुक्त (अपील) तिरहुत प्रभाग, मुजफ्फरपुर।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16764

=====

मेसर्स बुद्ध उत्तम जे.वी., एक संयुक्त उद्यम, जिसका कार्यालय 302, माया एन्क्लेव, रोड नंबर 10, पटेल नगर, पी.एस. शास्त्री नगर, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट पटना में है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि अमित कुमार, पुरुष, उम्र लगभग 43 वर्ष, पुत्र श्री विनोद कुमार सिंह, निवासी 302, माया एन्क्लेव, रोड नंबर 10, पटेल नगर, थाना- शास्त्री नगर, टाउन एंड डिस्ट्रिक्ट पटना के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य आयुक्त सह प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना के माध्यम से।
2. आयुक्त सह प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
3. प्रधान सचिव, खान और भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड, पटना।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव सह खान आयुक्त, खान और भू-विज्ञान विभाग, बिहार सरकार, विकास भवन, बेली रोड पटना।
5. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, सहाबाद सर्कल भोजपुर, आरा।
6. कलेक्टर-सह-जिला खनन अधिकारी, भोजपुर (आरा)।
7. खान विकास अधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर, आरा।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17700

=====

मेसर्स महादेव एन्क्लेव प्राइवेट लिमिटेड एक पंजीकृत कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय बी-37, अयोध्या मार्ग, हनुमान नगर, जयपुर, राजस्थान में है, तथा इसके अधिकृत

हस्ताक्षरकर्ता राजेंद्र सिंह पुरुष, आयु लगभग 41 वर्ष, पिता बहादुर सिंह निवासी गांव व पोस्ट- सावनलोधा, लाडखानी, खुरीबड़ी, जिला- सीकर, राजस्थान-332315 हैं।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. राज्य करों के संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), भागलपुर सर्कल-2, भागलपुर।
5. खान विकास अधिकारी, बांका।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ में

2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18206

=====

मेसर्स मैहर डेवलपर्स, एक साझेदारी फर्म, जिसका व्यवसाय स्थान प्रथम तल, डी-2 एमआईजी, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, पोस्ट- हरमू, जिला-रांची, झारखंड-834002 में है, अपने एक साझेदार अनिल कुमार सिंह, निवासी कुम्हार पाड़ा, सोनवाडांगल, दुमका, झारखंड-814101 के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. राज्य करों के संयुक्त आयुक्त (प्रभारी) भागलपुर सर्कल-2, भागलपुर।
5. खान विकास अधिकारी, बांका।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2730

=====

मेसर्स संजय कुमार, एक प्रोपराइटरशिप फर्म, जिसका कार्यालय गांव व पोस्ट- एकबालगंज निसरपुरा, थाना- रानी तालाब कांपा, जिला पटना में है, अपने पार्टनर, संजय कुमार, उम्र लगभग 47 वर्ष (पुरुष), पिता- यमुना सिंह यादव, निवासी ग्राम व पोस्ट- एकबालगंज निसरपुरा, थाना- रानी तालाब कांपा, जिला-पटना के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. राज्य करों के अतिरिक्त आयुक्त, पटना।
3. उपायुक्त, राज्य कर, दानापुर सर्कल-1, पटना।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक, खान विभाग, बिहार, पटना।
6. जिला मजिस्ट्रेट, पटना।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4297

=====

डमास सिविल कंस्ट्रक्शन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम के तहत गठित एक कंपनी, जिसका कार्यालय वार्ड संख्या-18, कैमूर स्तंभ के पास, बेलवतिया पोखरा, कैमूर, भभुआ में है, अपने निदेशक मुकेश कुमार, उम्र लगभग 44 वर्ष (पुरुष), पिता अभिराम शर्मा, निवासी ग्राम- बम्भी, थाना- करपी, जिला- अरवल के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. राज्य करों के अतिरिक्त आयुक्त, पटना।
3. संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, भभुआ सर्कल, भभुआ।
4. निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।

5. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, पटना।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4562

=====

राणा उदय प्रताप सिंह, पिता- राणा रण विजय प्रताप सिंह, निवासी ग्राम- बिशुनपुर नाला,
जयप्रकाश नगर, थाना- धनबाद, जिला- धनबाद।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. आयुक्त, राज्य कर विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से बिहार राज्य।
2. राज्य करों के अतिरिक्त आयुक्त, पटना।
3. संयुक्त राज्य कर आयुक्त, शाहाबाद सर्कल, आरा, भोजपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
5. निदेशक, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार, पटना।
6. जिला मजिस्ट्रेट सह कलेक्टर, भोजपुर।

.....उत्तरदातागण

=====

साथ मे

2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 6389

=====

मेसर्स मोना ब्रिक्स शाहजंगी, मौजा परबती, भागलपुर अपने मालिक शाह अफरोज हुसैन उर्फ एस. अफरोज हुसैन (पुरुष), उम्र लगभग 60 वर्ष, पिता शाह मंसूर हुसैन, निवासी शाहजंगी, शाहजंगी मजार के पास, हबीबपुर, थाना- हबीबपुर, जिला- भागलपुर के माध्यम से।

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य, आयुक्त राज्य कर-सह-प्रधान सचिव, वाणिज्य कर विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से, जिसका कार्यालय विकास भवन, पटना में है।
2. राज्य कर आयुक्त-सह प्रधान सचिव, वाणिज्यिक कर विभाग, बिहार, पटना जिसका कार्यालय विकास भवन, पटना में है।
3. संयुक्त राज्य कर आयुक्त, भागलपुर सर्कल-2, भागलपुर।
4. राज्य कर उपायुक्त, भागलपुर सर्कल-2, भागलपुर।

.....उत्तरदातागण

उपस्थिति:

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 3531 में)

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

यूओआई के लिए : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री अंशुमान सिंह, सीनियर एससी (सीजीएसटी और सीएक्स)
 श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16361 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17070)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17077 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17078 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2022 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18535 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता

सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9140 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी.पथी, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
 श्री हीरेश करण, अधिवक्ता
 सुश्री शिवानी देवल्ला, अधिवक्ता
 सुश्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9162 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी.पथी, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
 श्री हीरेश करण, अधिवक्ता
 श्री शिवानी देवला, अधिवक्ता
 श्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9947 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री डी.वी.पथी, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सदाशिव तिवारी, अधिवक्ता
 श्री हीरेश करण, अधिवक्ता
 श्री शिवानी देवला, अधिवक्ता
 श्री प्राची पल्लवी, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विकास कुमार (एससी-11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 11538 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री अनुराग सौरव, अधिवक्ता
 श्री अभिषेक कुमार, अधिवक्ता
 सुश्री प्रीति कुमारी, अधिवक्ता
 श्री शारदा राजे सिंह, अधिवक्ता

श्री अंकेश बिभू, अधिवक्ता
 श्री वैभव कुमार, अधिवक्ता
 राज्य के लिए : श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
 सुश्री रूना, एसी से जीपी-7
 यूओआई के लिए : डॉ. कृष्ण नंदन सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री अंशुमान सिंह, वरिष्ठ एससी (सीजीएसटी और
 सीएक्स)
 श्री शिवादित्य धारी सिन्हा, अधिवक्ता

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 16764 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री मोहित अग्रवाल, अधिवक्ता
 श्री लोकेश कुमार, अधिवक्ता
 श्री विकास खन्ना, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री विवेक प्रसाद (जीपी 7)
 सुश्री रूना, एसी से जीपी-7

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 17700 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2023 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 18206 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री गौतम कुमार केजरीवाल, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 2730 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 सुश्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 सुश्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता
 प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4297 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील 11

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 4562 में)

याचिकाकर्ता/ओं के लिए : श्री सुजीत घोष, वरिष्ठ अधिवक्ता
 श्री सूरज समदर्शी, अधिवक्ता
 श्री अविनाश शेखर, अधिवक्ता
 श्री विजय शंकर तिवारी, अधिवक्ता
 श्री अभिलाषा झा, अधिवक्ता
 श्री सिमरन कुमारी, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं के लिए : श्री स्थायी वकील (11)

(2024 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 6389 में)

याचिकाकर्ता/ओं की ओर से : श्री अब्दुल मन्नान खान, अधिवक्ता
 श्री बिनय कुमार, अधिवक्ता
 श्री हाफिज शाहबाज आरिफ, अधिवक्ता

प्रतिवादी/ओं की ओर से : श्री विवेक प्रसाद, जीपी-7
 सुश्री रूना, एसी टू जीपी-7

=====

समक्ष: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सौरेंद्र पांडे

सी.ए.वी. निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव रंजन प्रसाद)

दिनांक: 18.04.2025

रिट आवेदनों के वर्तमान बैच में, याचिकाकर्ता विचार के लिए एक सामान्य प्रश्न उठा रहे हैं। पक्षों के अनुरोध पर, रिट आवेदनों को टैग किया गया है और विभिन्न तिथियों पर एक साथ सुना गया है। श्री सुजीत घोष, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री सूरज समदर्शी, विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्राप्त ने तर्कों का नेतृत्व किया है। सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3531/2022 को मुख्य मामले के रूप में लिया गया है। इसलिए, यह न्यायालय उक्त रिट आवेदन में प्रार्थनाओं और दलीलों को पहली बार संदर्भित करेगा। याचिकाकर्ताओं के अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने भी अपनी दलीलें दी हैं। मुख्य प्रतिवादी बिहार राज्य है। श्री विकास कुमार, विद्वान अधिवक्ता और राज्य के लिए स्थायी वकील संख्या 11 ने मामले पर विस्तार से बहस की है।

2. इस सामान्य निर्णय द्वारा सभी रिट आवेदनों का निपटारा किया जा रहा है। मुख्य मामले सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3531/2022 में याचिकाकर्ता ने विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना की है। यह न्यायालय रिट आवेदन में मांगी गई राहतों को नीचे पुनः प्रस्तुत करेगा:-

“i) अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण, बिहार द्वारा पारित जापन संख्या 341 दिनांक 10.12.2021 में निहित आदेश को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, मामला संख्या AAAR/01/2021 (अनुलग्नक 11) जिसके द्वारा और जिसमें अग्रिम निर्णय संख्या BIH/13AAR/02/2020 में निहित बिहार अग्रिम निर्णय माल और सेवा कर प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.09.2020 के खिलाफ विभाग की अपील को खारिज कर दिया गया है, हालांकि याचिकाकर्ता की सेवाओं को 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से और 01.01.2019 के बाद 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से पूरी तरह से गलत आधार पर और याचिकाकर्ता के मामले पर विचार किए बिना, कर योग्य माना गया है।

ii) इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान प्रतिवादियों को विवादित कर राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया जाए।

iii) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि बिहार राज्य द्वारा रेत खनन के लिए खनिज रियायत के रूप में याचिकाकर्ता को प्रदान की गई सेवाएं अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 के क्रम संख्या 64 द्वारा दी गई विशिष्ट छूट के मद्देनजर जीएसटी के अधीन नहीं हैं और इसलिए याचिकाकर्ता रिवर्स चार्ज तंत्र के तहत जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है।

iv) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि रॉयल्टी वैधानिक कर की प्रकृति में है और इसलिए यह आगे कराधान के लिए योग्य नहीं है।

v) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि खनिज रियायत का अनुदान कानून के प्रावधानों के तहत केवल एक वैधानिक कार्य/कर्तव्य है और इसलिए यह माल और सेवा कर के लिए योग्य नहीं होगा।

vi) यह माननीय न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि खनिज रियायती अनुदान किसी भी सेवा के प्रतिपादन के बराबर नहीं है और इसलिए इस पर माल और सेवा कर नहीं लगेगा।

vii) यह माननीय न्यायालय यह निर्णय दे सकता है कि खनन पट्टे के अनुदान में कोई कौशल आधारित या प्रदर्शन आधारित गतिविधि शामिल नहीं है और इसलिए इस पर माल और सेवा कर नहीं लगेगा।

viii) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि अभिव्यक्ति "किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के अधिकार का असाइनमेंट" इसके दायरे में प्राकृतिक संसाधन का दोहन/निकालने और बेचने का अधिकार शामिल होगा।

ix) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और मान सकता है कि अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण, बिहार का दिनांक 10.12.2021 का आदेश कानून की दृष्टि से गलत है, क्योंकि इसे आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना 1, (अनुलग्नक 13) द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 8763 दिनांक 22.12.2020 में निहित आदेश पर विचार किए बिना पारित किया गया है, जो सेवा कर व्यवस्था के तहत शुरू की गई कार्यवाही

के संबंध में इस याचिकाकर्ता के संबंध में पारित एक आदेश था, जिसमें अधिसूचना संख्या के क्रम संख्या 61 के तहत समान छूट का दावा किया गया था। 22/2016-एस.टी. दिनांक 13.04.2016 को अनुमति दी गई और कार्यवाही समाप्त कर दी गई।

x) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करना, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर हकदार पाया जा सकता है।”

मामले के संक्षिप्त तथ्य

3. याचिकाकर्ता कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत एक कंपनी है (जिसे आगे ‘याचिकाकर्ता-कंपनी’ या ‘मेसर्स बीएससीपीएल’ कहा जाएगा)। यह बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा आयोजित नीलामी में बालू घाटों की बंदोबस्ती करने में लगी हुई है। याचिकाकर्ता-कंपनी पटना, भोजपुर और सारण जिले के बालू घाटों के लिए एक इकाई के रूप में, रोहतास और औरंगाबाद एक इकाई के रूप में, जमुई और लखीसराय एक इकाई के रूप में और अन्य जिले के बालू घाटों के लिए पांच साल की अवधि यानी 2015 से 2019 तक सफल बोलीदाता बन गई। निविदा दस्तावेज की एक प्रति रिट आवेदन के अनुलग्नक ‘3’ के रूप में रिकॉर्ड में लाई गई है।

4. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि पटना, सारण और भोजपुर जिले के लिए मेसर्स बीएससीपीएल के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया था। पटना और भोजपुर जिले के लिए बिहार राज्य और याचिकाकर्ता के बीच वार्षिक समझौते किए गए थे। सारण के लिए, यह कहा गया है कि समझौतों को निष्पादित नहीं किया गया था, बल्कि केवल वार्षिक कार्य आदेश जारी किए गए थे। तीनों जिलों यानी पटना, सारण और भोजपुर के लिए, वर्ष 2015 के लिए नीलामी राशि 1,15,31,00,000/- रुपये (केवल 115 करोड़ और 31 लाख रुपये) थी। याचिकाकर्ता ने तीनों जिलों के लिए याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक रॉयल्टी राशि दी है जो इस प्रकार है:-

2015	रु. 1,15,31,00,000/-
2016	रु. 1,38,37,20,000/-
2017	रु. 1,66,04,64,000/-
2018	रु. 1,99,25,56,800/-
2019	रु. 2,39,10,68,160/-

5. याचिकाकर्ता के अनुसार अधिसूचना संख्या 2887 दिनांक 22.07.2014, निविदा दस्तावेज एवं पत्र संख्या 506 दिनांक 21.10.2014 में निहित बालू नीति के तहत राज्य सरकार ने पांच वर्षों की अवधि के लिए बालू घाटों की बंदोबस्ती की थी। इसमें स्पष्ट किया गया था कि पांच वर्षों की उक्त अवधि के लिए बंदोबस्ती राशि पांच बराबर वार्षिक किस्तों में देय होगी। वर्ष 2015 के लिए वार्षिक बंदोबस्ती राशि नीलामी राशि होगी। इसमें निर्दिष्ट किया गया था कि आगामी वर्षों के लिए बंदोबस्ती राशि पिछले वर्ष की तुलना में 120% होगी। वार्षिक किस्त राशि का 50% की पहली किस्त पिछले वर्ष के 15 दिसंबर तक, 25% 15 अप्रैल से पहले और शेष 25% 15 सितंबर से पहले भुगतान किया जाना था।

6. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता को अधिकार प्रदान किए जाने के समय यानी 21.12.2014 को बिहार मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (जिसे आगे 'बिहार वैट अधिनियम' या '2005 का अधिनियम' कहा जाएगा) लागू था और रेत नीति के अनुसार याचिकाकर्ता केवल 5% की दर से मूल्य वर्धित कर (संक्षेप में 'वैट') का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। याचिकाकर्ता का मामला यह है कि माल और सेवा कर कानून (जिसे आगे 'जीएसटी' कहा जाएगा) के लागू होने तक याचिकाकर्ता बिहार वैट अधिनियम के तहत अपने कर दायित्व का निर्वहन कर रहा था। याचिकाकर्ता ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (संक्षेप में 'आरसीएम') के तहत सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी पर 5% (2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी) की दर से जीएसटी का भुगतान करके अपने कर

दायित्व का निर्वहन किया, शीर्षक 9973, समूह 99733 और टैरिफ कोड 99337 के तहत "खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं जिसमें इसकी खोज और मूल्यांकन शामिल हैं" जिस पर माल में शीर्षक के हस्तांतरण से जुड़ी समान वस्तुओं की आपूर्ति पर जीएसटी की समान दर लागू होती है।

7. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि सेवाओं के उपरोक्त वर्गीकरण को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षेप में 'सीबीआईसी') ने अपने परिपत्र संख्या 164/20/2021 और जीएसटी दिनांक 06.10.2021 में स्वीकार किया है, जिसमें पैराग्राफ '9.3.1' में यह स्पष्ट किया गया है कि खनिज अन्वेषण और खनन अधिकार प्रदान करके सेवा की आपूर्ति सबसे उपयुक्त रूप से सेवा कोड 997337 के अंतर्गत आती है। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के लिए ऐसी सेवाओं पर 18% की दर से कर लगेगा।

8. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि यह पुष्टि करने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता 2017 की अधिसूचना संख्या 11 की क्रम संख्या 17 की अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत इसे वर्गीकृत करके 5% की दर से 'आरसीएम' के तहत सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी पर अपने कर दायित्व का सही ढंग से निर्वहन कर रहा था, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'सीजीएसटी अधिनियम') की धारा 97 और बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (संक्षेप में 'बीजीएसटी अधिनियम') की धारा 97 के तहत अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन दायर किया। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने ज्ञापन संख्या 1517 दिनांक 29.09.2020 में निहित आदेश के अनुसार यह राय व्यक्त की कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त सेवा सेवा लेखा संहिता (संक्षेप में 'एसएसी') 997337 के अंतर्गत आती है। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने माना कि आवेदक द्वारा की गई गतिविधि पर 31.12.2018 तक 5% जीएसटी (2.5% सीजीएसटी + 2.5% एसजीएसटी) लगता है और अधिसूचना संख्या 11 ऑफ 2017 दिनांक 28.06.2017 के सीरियल नंबर 17 की अवशिष्ट

वृद्धि के तहत 01.01.2019 से 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से कर योग्य है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 27 ऑफ 2018 दिनांक 31.12.2018 द्वारा संशोधित किया गया है।

9. याचिकाकर्ता ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष एक रिट आवेदन में चुनौती दी थी, रिट का निपटारा दिनांक 07.07.2021 के आदेश द्वारा किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता को अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील करने की स्वतंत्रता दी गई थी। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ कोई अपील नहीं की है। मेमो संख्या 1517 दिनांक 29.09.2020 में निहित अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश को रिट आवेदन के अनुलग्नक '7' के रूप में रिकॉर्ड पर लाया गया है।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील दायर न करने का विकल्प चुना, जबकि प्रतिवादी संयुक्त आयुक्त, राज्य कर शाहाबाद सर्किल, आरा ने रिट आवेदन के अनुलग्नक '7' में निहित आदेश के विरुद्ध अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष 24.01.2021 को अपील दायर की। अपीलकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त सेवा एसएसी 999113 के अंतर्गत आती है, जिस पर 01.07.2017 से 18% की दर से जीएसटी लगता है। यह भी तर्क दिया गया कि यदि कोई संदेह है तो सेवा को शीर्षक 9997, अन्य सेवा समूह 99979 सेवा कोड 999799 के अंतर्गत लाया जाना चाहिए, जिस पर 18% की दर से जीएसटी देय है। अपील को केस नंबर AAAR/01/2021 के रूप में पंजीकृत किया गया। अपील का ज्ञापन रिट आवेदन के साथ अनुलग्नक '9' के रूप में संलग्न किया गया है।

11. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी, बिहार के समक्ष उपस्थित हुआ और सभी आधारों को उठाते हुए अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। याचिकाकर्ता ने अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक

28.06.2017 के क्रम संख्या 64 की प्रविष्टि के आधार पर जीएसटी के आरोपण से छूट का दावा किया। याचिकाकर्ता ने आयुक्त, केंद्रीय जीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, पटना 1 द्वारा पारित ज्ञापन संख्या 8763 दिनांक 22.12.2020 में निहित आदेश पर भी भरोसा किया, जो सेवा कर व्यवस्था के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में इस याचिकाकर्ता के संबंध में पारित एक आदेश था, जिसमें अधिसूचना संख्या 22/2017-एसटी दिनांक 13.04.2016 के क्रम संख्या 61 के तहत समान छूट का दावा स्वीकार किया गया था और कार्यवाही समाप्त कर दी गई थी।

12. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि मेमो संख्या 341 दिनांक 10.12.2021 में निहित आदेश के तहत अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी ने संयुक्त आयुक्त, राज्य कर/विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर लिया है। हालांकि, याचिकाकर्ता की सेवाओं को 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान 18% (9% सीजीएसटी+ 9% एसजीएसटी) की दर से और 01.01.2019 के बाद 18% (9% सीजीएसटी+ 9% एसजीएसटी) की दर से कर योग्य माना गया है। याचिकाकर्ता द्वारा छूट के लिए दावा खारिज कर दिया गया है। अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी, बिहार के अपीलीय आदेश की एक प्रति रिट आवेदन के अनुलग्नक '11' में है जिसे वर्तमान रिट आवेदन में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुतियाँ

13. याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि अचल संपत्ति/बालू घाटों को किराए पर देने या पट्टे पर देने की सेवा बिहार सरकार द्वारा सीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार प्रदान की जाती है, यह उक्त प्रावधान के तहत परिकल्पित “आपूर्ति” के दायरे में आती है और जीएसटी राशि का भुगतान करना बिहार सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य है। याचिकाकर्ता का दावा है कि जीएसटी का भुगतान ‘आरसीएम’ आधार पर करना प्राप्तकर्ता

यानी याचिकाकर्ता का दायित्व नहीं है, अन्यथा यह सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 के उद्देश्य को पूरी तरह से विफल कर देगा।

14. याचिकाकर्ता का तर्क है कि 2016 से पहले खनन रॉयल्टी/डेड रेंट पर कोई सेवा कर नहीं लगाया जाता था क्योंकि ये वैधानिक शुल्क और सरकार द्वारा अपने वैधानिक कार्यों के अनुसरण/निष्पादन में प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति के थे। 2015 और 2016 में संशोधन के बाद, सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी सेवाओं को सेवा कर के दायरे में लाया गया। स्पष्ट रूप से यह प्रावधान करके कि केवल वे सेवाएँ ही सेवा कर से मुक्त हैं, जो किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के अधिकार के असाइनमेंट के माध्यम से हैं, जहाँ ऐसा अधिकार 01.04.2016 से पहले सौंपा गया था, यह निहित रूप से प्रदान किया गया है कि सरकार द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के अधिकार के असाइनमेंट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली कोई भी सेवा, जहाँ ऐसा अधिकार 01.04.2016 के बाद सौंपा गया था, सेवा कर के लिए पात्र होगी। याचिकाकर्ता का कहना है कि खनन रॉयल्टी/डेड रेंट जनवरी 2015 में ही तय कर दिया गया था, इसलिए कर का बोझ जीएसटी कानून लागू होने से बहुत पहले ही पड़ गया था।

15. याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें पेश करने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील श्री सुजीत घोष ने निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत अपनी दलीलें प्रस्तुत की हैं:-

क. "यह मानते हुए कि खनिज रियायत/खनन पट्टों का अनुदान सेवाओं की आपूर्ति के बराबर है, ऐसे लेनदेन पर जीएसटी लगाना अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) का उल्लंघन है;

ख. यह मानते हुए कि खनिज रियायत/खनन पट्टों का अनुदान अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के अंतर्गत नहीं आता है, अनुच्छेद 246ए के तहत जीएसटी लगाना अधिकार क्षेत्र से बाहर है, क्योंकि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति केवल सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 50 के तहत राज्य सरकार के पास है;

ग. यह मानते हुए कि खनिज रियायत/खनन पट्टों का अनुदान सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक प्रतिफल है, ऐसे प्रतिफल में केवल सेवा शुल्क शामिल

नहीं है। इसके बजाय, यह विनियामक और सेवा शुल्क दोनों के लिए एक संयुक्त शुल्क है और इन दोनों तत्वों को वैधानिक रूप से विभाजित करने के लिए किसी तंत्र के अभाव में, पूरी राशि पर जीएसटी लगाना कानून गलत होगा;

घ. यह मानते हुए कि पूरी रॉयल्टी राशि सेवा शुल्क के रूप में मानी जाती है, तब, यदि कर योग्य घटना जीएसटी लागू होने से पहले हुई है, तो राज्य के पास ऐसे मामलों पर जीएसटी लगाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा, केवल इसलिए कि रॉयल्टी का आवधिक भुगतान जीएसटी के लागू होने के बाद किया जाता है; और

ड. यह मानते हुए कि यह माननीय न्यायालय पैरा क से घ में उल्लिखित प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तब अग्रिम निर्णय के अपीलीय प्राधिकरण का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि से गलत है और तदनुसार, मूल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय, जिसमें कहा गया है कि एसएसी 997337 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं पर जीएसटी की दर 31.12.2018 तक 5% और 1.1.2019 से 18% जीएसटी आकर्षित करती है, को बरकरार रखा जाना चाहिए।”

(i) जीएसटी से छूट - जैसा कि शराब उद्योग को प्रदान किया गया है

16. उपरोक्त (क) के तहत अपने प्रस्तुतीकरण का समर्थन करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करेंगे कि वर्तमान विवाद गुजरात राज्य बनाम श्री अंबिका मिल्स लिमिटेड के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों के अंतर्गत आता है, जिसकी रिपोर्ट (1974) 4 एससीसी 656 में की गई है। पैराग्राफ '55' पर यह प्रस्तुत करने के लिए भरोसा किया गया है कि भारत के संविधान के तहत, समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना आवश्यक है और जब तक कानून के उद्देश्य के साथ तर्कसंगत संबंध रखने वाला कोई स्पष्ट अंतर नहीं होता है, तब तक समान लोगों के बीच वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है ताकि व्यक्तियों के एक समूह को विशेषाधिकार प्रदान किया जा सके और उसी समूह में आने वाले व्यक्तियों के दूसरे समूह को ऐसे विशेषाधिकार से वंचित किया जा सके। प्रस्तुतीकरण को विस्तृत करते हुए, विद्वान वरिष्ठ वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह

पता लगाने के लिए कि क्या व्यक्ति समान स्थिति में हैं, किसी को वर्गीकरण से परे और कानून के उद्देश्य को देखना चाहिए। इन मूलभूत सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिन लोगों को खनन पट्टे दिए गए हैं, वे उसी वर्ग का हिस्सा हैं, जिन लोगों को मानव उपभोग के लिए मादक शराब का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों मामलों में लाइसेंस धारक/खनन पट्टा धारक को अपने-अपने व्यवसाय में संलग्न होने के लिए अनुमेय विशेषाधिकार प्रदान किया जाता है और इस तरह के किसी भी विशेषाधिकार का अभाव होता है। यदि कानून का उद्देश्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली इस प्रकृति की सेवाओं पर जीएसटी लगाना है, तो इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि शराब लाइसेंस रखने वाले व्यवसाय और खनन लाइसेंस धारक एक ही वर्ग का हिस्सा हैं। इसके अलावा, यह तथ्य कि वे एक ही वर्ग में आते हैं, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र संख्या 121/40/2019-जीएसटी दिनांक 11.10.2019 के शुरुआती पैराग्राफों से भी पुष्ट होता है। विद्वान वरिष्ठ वकील ने **खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम मेसर्स स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य** आदि के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले के पैराग्राफ '114' का हवाला दिया है, जो **(2024) 10 एससीसी 1** (जिसे आगे '**माडा जजमेंट**' के रूप में संदर्भित किया गया है) में रिपोर्ट किया गया है, जहां खनन पट्टों के संदर्भ में रॉयल्टी एक कर है या नहीं, इसकी जांच करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक अवलोकन किया, जो याचिकाकर्ता के प्रस्तुतीकरण में खनन पट्टों और शराब में व्यापार करने के लिए लाइसेंस के बीच प्रासंगिक समानता स्थापित करता है। उनका कहना है कि भले ही ये दोनों व्यवसाय एक ही वर्ग का हिस्सा हैं, लेकिन राज्य ने अधिसूचना संख्या 25/2019-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 30.09.2019 के तहत घोषित किया है कि लाइसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या किसी भी नाम के रूप में विचार के बदले मादक शराब लाइसेंस प्रदान करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में

माना जाएगा। उक्त अधिसूचना यह भी स्पष्ट करती है कि इसे 26 वीं जीएसटी परिषद बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए जारी किया गया है, जहां यह सिफारिश की गई थी कि उपरोक्त प्रकृति के लाइसेंस शुल्क/आवेदन शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब किसी लेनदेन को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति के रूप में माना जाता है, तो सीएसजीटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 के तहत कर लगाने की धारा लागू नहीं होगी और इसलिए जीएसटी लगाने का अधिकार समाप्त हो जाता है। यह बताया गया है कि इस अधिसूचना के बाद 11.10.2019 को परिपत्र जारी किया गया था जिसमें वित्त मंत्रालय ने दर्ज किया है कि उक्त केवल राज्य सरकारों द्वारा शराब लाइसेंस प्रदान करने के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिए एक विशेष व्यवस्था है, जो केंद्र और राज्यों के बीच एक समझौते के रूप में है और अन्य स्थितियों में शुल्क के लिए अन्य लाइसेंस और विशेषाधिकार प्रदान करने के संबंध में इसकी कोई प्रयोज्यता या वरीयता मूल्य नहीं है, जहां जीएसटी लागू है। उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा शराब लाइसेंस प्रदान करने के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति पर एक विशेष छूट/दया प्रदान की गई है और यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि इस तरह की विशेष छूट को खनन पट्टे प्रदान करने जैसी स्थितियों तक नहीं बढ़ाया जाना है। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह अपने आप में दर्शाता है कि एक ही वर्ग में आने वाले व्यक्तियों के बीच वर्गीकरण बनाने की कोशिश की जा रही है।

17. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्वीकार किया कि याचिकाकर्ता के पास अधिसूचना संख्या 25/2019 दिनांक 30.09.2019 को चुनौती देने का कोई अधिकार नहीं है, न ही इस याचिका में अधिसूचना को इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दी गई है। फिर भी, यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता का मामला, हालांकि, सरकार द्वारा रॉयल्टी के भुगतान के खिलाफ खनन अधिकार/विशेषाधिकार प्रदान करने के माध्यम से खुद को प्रदान की गई सेवाओं पर विचार नहीं करना है, जो शराब उद्योग को प्रदान की गई

जीएसटी से समान बहिष्कार का हकदार है। याचिकाकर्ता ने **आयुर्वेद फार्मसी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य; (1989) 2 एससीसी 285** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उसी वर्ग के एक घटक सदस्य (जो बिक्री कर की उच्च दर के अधीन थे) को उसी वर्ग के दूसरे घटक (जो कर की काफी कम दर के अधीन थे) के बराबर रखा था और भुगतान किए गए अंतर और अतिरिक्त कर को वापस करने का भी निर्देश दिया था। उस मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दर अधिसूचना को बाधित किए बिना निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें घटक सदस्यों में से एक के लिए कर की कम दर प्रदान की गई थी। प्रस्तुतीकरण यह है कि 2019 की अधिसूचना संख्या 25 दिनांक 30.09.2019 से प्रभावी है और इसलिए, खनन उद्योग को केवल उसी तिथि से शराब उद्योग के बराबर रखा जा सकता है। हालाँकि, याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर 01.01.2017 से 29.09.2019 तक की अवधि के लिए जीएसटी से किसी भी बहिष्कार का दावा नहीं कर सकता है।

(ii) अनुच्छेद 246 ए, गैर-बाधा खंड के बावजूद, राज्य और केंद्र को जीएसटी लगाने के लिए विधायी शक्ति प्रदान करने के लिए लागू नहीं किया जा सकता है।

18. अनुच्छेद 15 के (बी) के तहत उनके प्रस्तुतीकरण के संबंध में, यह प्रस्तुत किया जाता है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 50 के अनुसार, खनिज अधिकारों पर करों के संबंध में कानून बनाने का क्षेत्र विशेष रूप से राज्यों को प्रदान किया गया है, बशर्ते कि संसद द्वारा खनिज विकास से संबंधित कोई सीमा लगाई जाए। कानून का यह क्षेत्र अनुच्छेद 245 को अनुच्छेद 246 के साथ पढ़ने से संबंधित है, जो सातवीं अनुसूची में सूचीबद्ध कानून के क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने के लिए शक्ति का स्रोत प्रदान करता है। हालाँकि, जीएसटी लगाने की विधायी क्षमता अनुच्छेद 246 ए में स्थित है और इसमें अनुच्छेद 246 के प्रावधानों को ओवरराइड करने की मांग करने वाला एक गैर-बाधा खंड भी शामिल है।

19. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि खनन लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य रूप से खनिज अधिकार का प्रयोग है और इसके संबंध में कोई भी कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 246 ए के प्रावधानों को, इसमें निहित गैर-बाधा खंड के बावजूद, राज्य और केंद्र को ऐसे लेनदेन पर जीएसटी लगाने के लिए विधायी क्षमता प्रदान करने के लिए सेवा में नहीं लाया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि **माडा निर्णय** में खनन उद्योग से संबंधित कई कानूनी मुद्दों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुलझाया गया था। इनमें से सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि 50 में पाए गए 'खनिज अधिकारों पर कर' की अभिव्यक्ति पर बहुमत के फैसले के पैराग्राफ '177' से '260' तक विस्तार से चर्चा की गई है। **माडा मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के विभिन्न पैराग्राफों का हवाला देते हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि 'खनिज अधिकार' शब्द के स्वाभाविक अर्थ में खनिजों पर स्वामित्व के बाद आने वाले अधिकारों का पूरा समूह शामिल होगा, जिसमें वे अधिकार भी शामिल हैं जिन्हें खनन पट्टे के माध्यम से पट्टेदार को हस्तांतरित किया जा सकता है। पैराग्राफ '189' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में जहां खनिज कानून के संचालन द्वारा राज्य के पास निहित होते हैं, उन खनिजों पर अधिकार भी राज्य के पास निहित होता है और राज्य खनन पट्टे के माध्यम से अपने खनन अधिकारों को पट्टेदार को सौंप/हस्तांतरित कर सकता है। अनुच्छेद 195 में यह माना गया है कि सूची II की प्रविष्टि 50 के अंतर्गत कर योग्य घटना खनिज अधिकारों के प्रयोग से संबंधित होगी। अनुच्छेद 197 में यह देखा गया कि रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार पट्टाकर्ता के खनिज अधिकारों का अभिन्न अंग है और खनिज अधिकारों पर कर, खनिज अधिकारों के प्रयोग से संबंधित अन्य पहलुओं जैसे खानों का संचालन और पट्टे पर दिए गए क्षेत्रों से खनिजों का प्रेषण, को भी अपने दायरे में लेता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि **माडा निर्णय** के अनुच्छेद 198 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि खनिज अधिकारों पर करों के संबंध में कर योग्य घटना खनिज अधिकारों का प्रयोग होगी

और खनिज अधिकारों पर कर का भार इस बात पर निर्भर करता है कि अधिकारों का प्रयोग कौन कर रहा है और ऐसा कर किसी भी व्यक्ति पर लगाया जा सकता है जिसका खनिजों में हित है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ऐसी व्यवस्था पर किसी भी नाम से कर लगाने की शक्ति, सातवीं अनुसूची की सूची ॥ की प्रविष्टि 50 के अनुसार केवल राज्य सरकार के पास है। यह वही कर योग्य घटना है जिस पर जीएसटी के तहत कर लगाने की मांग की जा रही है।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बताते हैं कि बोर्ड परिपत्र दिनांक 06.10.2021 के पैराग्राफ '9' के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि खनन पट्टों पर जीएसटी खनिज अन्वेषण और खनन अधिकारों के अनुदान के माध्यम से सेवाओं पर लगाया जाना चाहता है, जिसके बदले में राज्य को रॉयल्टी प्राप्त होती है। परिपत्र के पैरा '9.3.1' में सेवा कोड 997337 को उपयुक्त वर्गीकरण के रूप में संदर्भित किया गया है। उक्त सेवा कोड खनिजों के अन्वेषण और मूल्यांकन सहित उनके उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवा को संदर्भित करता है। इन प्रविष्टियों का सार अनिवार्य रूप से यह प्रदर्शित करता है कि पट्टाकर्ता अपने खनिज अधिकारों (उनमें से एक रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार और दूसरा खनिज अधिकारों का हस्तांतरण) के प्रयोग में ऐसी रॉयल्टी की प्राप्ति के बदले में पट्टा समझौतों के निष्पादन द्वारा ऐसी रॉयल्टी वसूल करता है। इसलिए, लेन-देन का सार (भले ही इसे खनन अधिकारों का अनुदान कहा जा सकता है) आंतरिक रूप से पट्टादाता द्वारा ऐसे अनुदान को उपलब्ध कराते समय खनिज अधिकार का प्रयोग है। यह प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि दोनों अभिव्यक्तियों का सार अर्थात् रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार और खनिज अधिकारों का अनुदान एक ही है और परिणामस्वरूप यदि खनिज अधिकार पर कर लगाने का अधिकार केवल राज्य विधानमंडल के क्षेत्राधिकार में आता है (प्रविष्टि 50, सूची 11 अनुसूची VII) तो इसे समवर्ती आधार पर जीएसटी लगाने के अनुच्छेद 246 ए के अधिकार क्षेत्र में नहीं कहा जा सकता है।

21. यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 246 ए में एक गैर-बाधा खंड शामिल है जो स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 246 के प्रावधानों को ओवरराइड करने का प्रयास करता है। इस गैर-बाधा खंड को ध्यान में रखते हुए, एक दृष्टिकोण उभर सकता है कि भले ही खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति विशेष रूप से राज्य सरकार के पास हो, फिर भी, अनुच्छेद 246 ए के अनुसार, उस शक्ति के बावजूद, केंद्र और राज्य ऐसी शक्ति को ओवरराइड कर सकते हैं और उसी कर योग्य घटना यानी खनिज अधिकार के हस्तांतरण पर जीएसटी लगा सकते हैं, जिससे जीएसटी लगाने की विधायी क्षमता की पुष्टि होती है। हालांकि, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि इस दृष्टिकोण को त्यागने की आवश्यकता है और खनिज अधिकारों पर कर लगाने के लिए राज्य सरकार की अखंडता और विशिष्टता को कम नहीं किया जाना चाहिए। माडा निर्णय (सुप्रा) के पैराग्राफ '52' और '53' पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि इन पैराग्राफों में राजकोषीय संघवाद का न्यायशास्त्र निर्धारित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में (1994) 3 एससीसी 1 में रिपोर्ट किया गया है कि न्यायालयों को ऐसा दृष्टिकोण, ऐसी व्याख्या नहीं अपनानी चाहिए, जिसका प्रभाव राज्यों के लिए आरक्षित शक्तियों को कम करने का हो या होने की प्रवृत्ति हो।

22. यह प्रस्तुत किया गया है कि यदि न्यायालय यह मानता है कि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की राज्य की शक्ति पर कोई विशिष्टता नहीं है, तो अनुसूची VII की सूची II की प्रविष्टि 50 बेकार और निरर्थक हो जाती है। यह कानून में प्रचलित है कि संविधान की किसी प्रविष्टि/प्रावधान को बेकार बनाने वाली व्याख्या को कायम नहीं रखा जा सकता। **कलकत्ता गैस कंपनी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य; एआईआर 1962 1044 (पैराग्राफ '8')** में संविधान पीठ ने माना है कि व्याख्या का यह सुस्थापित नियम है कि संविधान में विभिन्न प्रविष्टियों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाना चाहिए और उस निर्माण को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जो किसी एक प्रविष्टि की संपूर्ण सामग्री को

छीन ले और उसे निरर्थक बना दे। यह प्रस्तुत किया गया है कि खनिज अधिकारों के प्रयोग से जुड़े लेनदेन पर जीएसटी नहीं लगाया जाना चाहिए, जो पट्टा विलेख के निष्पादन से प्रकट होता है, और इस तरह के निष्कर्ष का एकमात्र परिणाम यह होगा कि अधिकार के ऐसे प्रयोग में किसी भी प्रकार की सेवा प्रदान करना शामिल नहीं है और तदनुसार यह अनुच्छेद 246 ए के दायरे में नहीं आता है।

(iii) रॉयल्टी दो घटकों का मिश्रण है, अर्थात् सेवाओं के लिए शुल्क

और प्रतिपूरक शुल्क के बीच का अंतर

23. उपरोक्त पैराग्राफ '15' के (सी) के तहत अपने प्रस्तुतीकरण का समर्थन करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्वीकार किया कि इस शीर्षक के तहत तर्क इस धारणा पर आधारित है कि खनन पट्टे में सेवा का कुछ तत्व शामिल है, जिसके संबंध में रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है, हालांकि, पूरी रॉयल्टी किसी कथित सेवा के लिए जरूरी नहीं है। **माडा निर्णय** के पैराग्राफ '130' का हवाला देते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उनके लॉर्डशिप ने माना है कि रॉयल्टी खनन पट्टेदार द्वारा पट्टाकर्ता को खनिज अधिकारों के आनंद के लिए और खनिजों के मालिक द्वारा झोले गए खनिजों के मूल्य के नुकसान की भरपाई के लिए भुगतान किया जाने वाला एक विचार है।

24. पैराग्राफ '131' में, माननीय न्यायाधीशों ने माना है कि खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (जिसे आगे 'एमएमडीआर अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 9 वैधानिक रूप से पट्टेदार से रॉयल्टी के रूप में प्रतिफल प्राप्त करने के पट्टाकर्ता के अधिकार को विनियमित करती है। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया जाता है कि संविधान पीठ की दो टिप्पणियों के अवलोकन पर, यह ध्यान में आता है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतने शब्दों में नहीं कहा है कि रॉयल्टी सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रतिफल है। इसके बजाय, यह कहा गया है कि यह खनिज अधिकार के आनंद के लिए एक

प्रतिफल है, जो रॉयल्टी के रूप में प्रतिफल प्राप्त करने के पट्टाकर्ता के अधिकार को एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 द्वारा विनियमित किया जाता है।

25. यह तर्क दिया जाता है कि तर्क के लिए यह मान लिया जाए कि खनिज अधिकार का आनंद लेने वाला कार्य एक सेवा है और रॉयल्टी का एक हिस्सा ऐसी सेवा से संबंधित है, तो रॉयल्टी की पूरी राशि निश्चित रूप से इस अधिकार के आनंद के लिए नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, रॉयल्टी में एक और पहलू शामिल है, यानी खनिजों के मालिक द्वारा झेले गए खनिजों के मूल्यों के नुकसान के लिए मुआवजा। इस प्रकार, रॉयल्टी की मात्रा दो घटकों का मिश्रण है; एक, कथित सेवाओं के लिए और दूसरा नुकसान के लिए मुआवजा। यह प्रस्तुत किया गया है कि दूसरा पहलू अर्थात् खनिज के नुकसान के लिए मुआवजा अनिवार्य रूप से एक विनियामक शुल्क की प्रकृति का है, जो धरती माता के शोषण को विनियमित करता है और देश के प्राकृतिक संसाधनों की भरपाई करता है, ताकि अत्यधिक खनन के कारण प्रकृति का ह्रास न हो और अंतर-पीढ़ीगत समानता, जिसके लिए वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों सहित विभिन्न पीढ़ियों में संसाधनों, अवसरों और बोझों के वितरण में निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए कायम रहे। अंतर-पीढ़ीगत समानता और प्राकृतिक संसाधनों और सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **माडा निर्णय** में पैराग्राफ 59-66 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है। उनका यह कहना है कि रॉयल्टी में दो भाग होते हैं, एक प्रतिपूरक प्रकृति का होता है, अर्थात् विशेषाधिकार के अनुदान की प्रकृति में सेवा की कथित आपूर्ति के लिए और दूसरा विनियामक शुल्क होता है। **एआईआर 1965 एससी 1107** (पैराग्राफ '8') में रिपोर्ट किए गए **कलकत्ता और अन्य बनाम लिबर्टी सिनेमा** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवाओं के लिए शुल्क और लाइसेंस के लिए शुल्क के बीच अंतर किया है और यह माना

गया है कि लाइसेंस शुल्क लगाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि शुल्क केवल प्रदान की गई सेवाओं के लिए ही होना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील ने **त्रिपुरा राज्य और अन्य बनाम सुधीर रंजन नाथ; एआईआर 1997 एससी 1168** (पैराग्राफ '14' और '15'); और **वाम ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य; (1997) 2 एससीसी 715**; के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि **बिहार राज्य और अन्य बनाम श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन (पी) लिमिटेड और अन्य; (2005) 2 एससीसी 762**; के मामले में बिहार उत्पाद शुल्क अधिनियम के संदर्भ में, नियामक शुल्क और प्रतिपूरक शुल्क के बीच अंतर को एक बार फिर दोहराया गया था।

26. यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 246 ए के तहत कर लगाने की शक्ति केवल वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति तक ही सीमित है और खनिज की हानि, क्षति के मुआवजे, प्रकृति में नियामक शुल्क से जुड़े लेनदेन तक विस्तारित नहीं है। उनके अनुसार, कर लगाने की शक्ति केवल सेवा तत्व पर ही सीमित है। खनिज अधिकार के आनंद से संबंधित रॉयल्टी का हिस्सा एक सेवा हो सकती है, जबकि एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 के साथ पढ़े गए खनिजों के नुकसान के लिए मुआवजा एक नियामक शुल्क है न कि सेवाओं के लिए शुल्क। इस प्रकार यह प्रस्तुत किया गया है कि अनुच्छेद 265 के तहत कर के वैध अधिरोपण के लिए कर के माप के संबंध में स्पष्टता और निश्चितता होनी चाहिए। **गोविंद सरन गंगा सरन बनाम बिक्री कर आयुक्त और अन्य, 1985 (सप्लीमेंट) एससीसी 205 (पैराग्राफ '5')**; के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त निर्णय में यह माना गया है कि यदि कराधान के घटक (कर का माप, कर योग्य घटना, कर की दर और कर योग्य व्यक्ति) स्पष्ट रूप से और निश्चित रूप से पता लगाने योग्य नहीं हैं, तो यह कहना मुश्किल है कि कानून के दृष्टिकोण से कर मौजूद है। लेवी के उन घटकों में से किसी को परिभाषित करने वाली विधायी योजना

में कोई अनिश्चितता या अस्पष्टता इसकी वैधता के लिए घातक होगी। उपर्युक्त प्रस्तुतियों के आधार पर, याचिकाकर्ता का तर्क है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत चूंकि रॉयल्टी के उस हिस्से को अलग करने के लिए कोई मशीनरी प्रावधान नहीं है जो सेवा की आपूर्ति से संबंधित है और जो नियामक शुल्क से संबंधित है, इसलिए राज्य के पास रॉयल्टी की पूरी राशि पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा। यह प्रस्तुत किया गया है कि मूल्यांकन तंत्र के अभाव में रॉयल्टी का पूरा मूल्य जीएसटी के दायरे से बाहर होगा, भले ही ऐसी रॉयल्टी का एक अविभाज्य हिस्सा सेवाओं के लिए हो।

(iv) कर योग्य घटना - जीएसटी लागू होने से पहले हुई घटना

27. उपरोक्त पैराग्राफ '15' के (डी) के संदर्भ में अपने अगले तर्क में, विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि यह मानते हुए कि पूरी रॉयल्टी राशि को सेवा शुल्क के रूप में माना जाता है, फिर, यदि कर योग्य घटना जीएसटी लागू होने से पहले हुई है, तो राज्य के पास ऐसे मामलों पर जीएसटी लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा, केवल इसलिए कि रॉयल्टी का आवधिक भुगतान जीएसटी के लागू होने के बाद किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कराधान में चार घटक शामिल हैं, अर्थात् कर योग्य व्यक्ति, कर का माप, कर की दर और कर योग्य घटना, और यदि इनमें से किसी भी घटक के संबंध में अस्पष्टता है, तो कर का आरोप तय नहीं किया जा सकता है। जबकि यह सिद्धांत स्वर्णिम काल का है और **गोविंद सरन (सुप्रा)** में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय में निर्धारित किया गया था, इसे एक बार फिर से **माडा निर्णय** में बहुमत की राय के पैराग्राफ '192' और अल्पमत के निर्णय में पैराग्राफ '10.10' में दोहराया गया है, जहां **गोविंद सरन (सुप्रा)** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ '6' को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया गया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तथ्य का महत्व कि कर योग्य घटना उस तिथि को या उसके बाद घटित होनी चाहिए जब कर लगाने वाला कानून लागू हो और उस तिथि से पहले नहीं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष **कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, हैदराबाद**

बनाम वजीर सुल्तान टोबैको कंपनी लिमिटेड; 1996 (83) ईएलटी 3 (एससी) (1996) 3 एससीसी 434 के मामले में विचार के लिए आया था। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने 20वीं शताब्दी वित्त निगम लिमिटेड एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में संविधान पीठ के निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसकी रिपोर्ट (2000) 6 एससीसी 12 में दी गई है, जहां यह पता लगाने के उद्देश्य से कि किसी भी माल का उपयोग करने के अधिकार का हस्तांतरण (जैसा कि अनुच्छेद 365(29ए)(डी) के तहत परिकल्पित है) कब होता है, पैराग्राफ '27' में यह देखा गया था कि अधिकारों का हस्तांतरण तब होता है जब पार्टियों के बीच लिखित अनुबंध में प्रवेश किया जाता है और कर योग्य घटना माल का उपयोग करने के अधिकार के लिए अनुबंध का निष्पादन होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खनिज अन्वेषण अधिकारों के अनुदान के संबंध में जो खनन पट्टे के निष्पादन द्वारा प्रकट होता है, ऐसे अधिकार के हस्तांतरण के लिए कर योग्य घटना इसलिए वह तिथि होगी जिस दिन औपचारिक संविदात्मक व्यवस्था को पट्टेदार से पट्टेदार को ऐसे खनिज अधिकारों को हस्तांतरित और निहित किया जाता है।

28. प्रस्तुत किया गया कि वर्तमान मामले में दिनांक 21.10.2014 को याचिकाकर्ता को 01.01.2015 से 31.12.2019 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए किए गए बालू घाटों की नीलामी के संबंध में सर्वोच्च बोलीदाता घोषित किया गया था। सम दिनांक के पत्र द्वारा याचिकाकर्ता को यह सूचित किया गया था कि वह सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी करने के लिए नीलामी राशि 115.31 करोड़ रुपये का 25% सात दिनों के भीतर भुगतान करे। उक्त सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश दिनांक 06.11.2014 के पत्र द्वारा पटना जिले के लिए जारी किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि स्वीकृति अवधि 2015-2019 थी। उक्त स्वीकृति आदेश का संदर्भ रिट याचिका के पृष्ठ संख्या 138, दूसरे पैराग्राफ में पाया जा सकता है जो बंदोबस्त विलेख का एक हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि 1972 के बिहार खनिज समनुदेशन नियमावली के नियम 7 तथा 2019 के नियम 16 के अनुसार खनिज

समनुदेशन की अवधि पांच वर्ष की होगी। इसके अलावा, सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश पहला कदम है, जिसके बाद कार्य आदेश जारी किया जाता है तथा तत्पश्चात बंदोबस्ती विलेख का निष्पादन किया जाता है। 2019 के नियम में नियम 29 ए(1)(बी) सैद्धांतिक स्वीकृति आदेश जारी करने से संबंधित है, इसका उप-खंड (सी) कार्य आदेश जारी करने से संबंधित है तथा नियम 29(2) पांच वर्ष की अवधि के लिए विलेख पर हस्ताक्षर करने का संदर्भ देता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस मामले में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 21.10.2014 के पत्र में निर्देशित आवश्यक भुगतान किया और तदनुसार उचित कार्य आदेश जारी किया गया और उसके बाद 16.09.2015 को पटना के बालू घाटों के संबंध में और अन्य बालू घाटों के लिए लगभग उसी समय बंदोबस्ती विलेख निष्पादित किया गया। याचिकाकर्ता ने सटीक निपटान राशि दी है, जिसका भुगतान याचिकाकर्ता को 2015 से शुरू होने वाले पांच कैलेंडर वर्षों के लिए करना था। उनका कहना है कि खनन गतिविधि करने के अधिकार का अधिकार याचिकाकर्ता को सितंबर, 2015 में ही प्रदान किया गया था और उससे भी पहले सैद्धांतिक मंजूरी आदेश नवंबर, 2014 में जारी किया गया था, जो सभी 01.07.2017 यानी जीएसटी शुरू होने की तारीख से पहले हुआ था। जबकि यह माना जाता है कि वार्षिक निपटान विलेख निष्पादित किए गए थे और ऐसे समझौते थे जो 01.07.2017 के बाद निष्पादित किए गए थे, हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार ये निष्पादन केवल औपचारिकता थे क्योंकि सैद्धांतिक मंजूरी आदेश जिसके तहत अधिकार निहित हुआ था, 06.11.2014 को जारी किया गया था और यहां तक कि कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए पहले समझौते में भी यह माना गया था कि निपटान राशि का भुगतान पांच कैलेंडर वर्षों के लिए किया जाना है, जिससे याचिकाकर्ता उन पांच वर्षों के लिए निपटान राशि का भुगतान करने के दायित्व के साथ बंध जाता है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत करता है कि (ए) वे निपटान विलेख जो 01.07.2017 से पहले हस्ताक्षरित किए गए थे, कर योग्य घटना जीएसटी के प्रारंभ होने से पहले हुई है (यानी 01.01.2017), इन समझौतों के तहत किए गए निपटान भुगतानों पर

जीएसटी का प्रभार जीएसटी के अधीन नहीं हो सकता है। (ख) उन निपटान समझौतों के संबंध में, जिन पर 01.01.2017 के बाद हस्ताक्षर किए गए होंगे, क्योंकि कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए मुख्य स्वीकृति आदेश और निपटान विलेख दोनों ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता को पांच कैलेंडर वर्षों के लिए निपटान राशि का भुगतान करने के दायित्व के साथ बांध दिया था, जिसमें प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए देय राशि का स्पष्ट संकेत दिया गया था, पार्टियों के अधिकार और दायित्व उस तारीख को स्थिर हो गए थे, जो कि मूल रूप से वह तारीख होगी जब याचिकाकर्ता ने अधिकार हासिल किया था, जिससे ऐसे अधिकार की सुरक्षा के लिए रिट कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता हुई होगी। 01.01.2017 के बाद समझौता समझौतों का निष्पादन एक औपचारिकता मात्र था क्योंकि पक्षों के बीच कोई नया अधिकार या दायित्व नहीं बनाया गया था। किसी भी मामले में, 1972 के नियम 7 और 2019 के नियम 16 के अनुसार, पांच साल की अवधि के लिए समझौता विलेख की आवश्यकता थी, जिससे वर्तमान वैधानिक अनुबंध का उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कैलेंडर वर्ष 2019 के लिए समझौता विलेख के अंत में जबकि नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने की आवश्यकता थी, हालांकि, बिहार राज्य ने नए समझौते जारी करने के बजाय मौजूदा समझौते को 31.12.2019 से 31.10.2020 तक बढ़ा दिया और उसके बाद 30.09.2021 तक और विस्तार दिए गए। यह उनका तर्क है कि ये विस्तार किसी नए समझौते का नवीनीकरण या निष्पादन नहीं हैं। कानून में, शब्द 'विस्तार' का अर्थ मौजूदा व्यवस्था की निरंतरता है और इसलिए, यदि मूल समझौते के तहत, कर योग्य घटना जीएसटी के शुरू होने से पहले हुई थी, तो ऐसे विस्तार को एक नई कर योग्य घटना को ट्रिगर करने वाला नहीं कहा जा सकता है। 'विस्तार' और 'नवीनीकरण' शब्द के बीच अंतर को प्रदर्शित करने के लिए, विद्वान वरिष्ठ वकील ने **प्रोवाश चंद्र दलुई बनाम बिस्वनाथ बनर्जी** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया है, जिसकी रिपोर्ट 1989 के सप (1) एससीसी 487 (पैराग्राफ '14') में दी गई है।

29. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने पैराग्राफ '15' के (ई) के तहत अपने प्रस्तुतीकरण को आगे बढ़ाया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि भले ही यह माननीय न्यायालय पैराग्राफ 'ए' से 'डी' में उल्लिखित प्रस्ताव से सहमत न हो, फिर भी अग्रिम निर्णय के अपीलीय प्राधिकारी का विवादित निर्णय कानून की दृष्टि से गलत है और तदनुसार, मूल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा एसएसी 997337 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं पर जीएसटी की दर 31.12.2018 तक 5% और 01.01.2019 से 18% रखने के निर्णय को बरकरार रखा जाना चाहिए। प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने स्पष्ट रूप से माना है कि याचिकाकर्ता 31.12.2018 तक 5% की दर से जीएसटी के लिए उत्तरदायी है और 31.12.2018 की अधिसूचना संख्या 27/2018 में संशोधन के मद्देनजर 01.01.2019 से 18% की दर से जीएसटी के लिए उत्तरदायी है। प्राधिकरण ने पैराग्राफ '12.4' में माना है कि सेवा लेखा कोड की सावधानीपूर्वक जांच के बाद, यह पाया गया कि याचिकाकर्ता द्वारा प्राप्त सेवा की प्रकृति सेवा लेखा कोड 997337 के अंतर्गत आती है, यानी खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं, जिसमें उनकी खोज और मूल्यांकन भी शामिल है।

30. प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की, राजस्व ने अग्रिम निर्णय के अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर की। अपील ज्ञापन में निर्धारित अपील के आधारों के अवलोकन से यह देखा जा सकता है कि अपील का एकमात्र आधार याचिकाकर्ता पर लागू सेवा लेखा कोड की शुद्धता के संबंध में था, जिसे मूल प्राधिकारी ने 997337 के अंतर्गत माना था। विशेष रूप से, राजस्व ने अपने अपील ज्ञापन में तर्क दिया था कि सही सेवा लेखा कोड 999113 होना चाहिए और यदि कोई संदेह है तो सही वर्गीकरण 999799 होना चाहिए। दिनांक 10.12.2021 के विवादित आदेश के अनुसार, अपीलीय प्राधिकारी ने मूल प्राधिकारी द्वारा रखे गए वर्गीकरण अर्थात् 997337 को बरकरार रखा। उस सीमा तक, ऐसी पुष्टि अपीलकर्ता राजस्व के तर्क के विरुद्ध थी। हालाँकि, अपीलीय प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र के मूल औचित्य का उल्लंघन करते हुए, यह

अपील के दायरे से बाहर चला गया कि देय जीएसटी की दर 01.01.2017 से 18% होगी और उस उद्देश्य के लिए बोर्ड के दिनांक 06.10.2021 के एक परिपत्र पर भरोसा किया गया था, जहाँ पैराग्राफ '9.3' में, बोर्ड ने स्पष्ट किया था कि सरकार का इरादा हमेशा गतिविधि पर 18% की मानक दर से कर लगाने का रहा है।

31. यह प्रस्तुत किया गया है कि अपीलीय प्राधिकारी ने गुण-दोष के आधार पर तथा कानून के आधार पर गलत निष्कर्ष दर्ज किया है। अपीलीय आदेश के पैराग्राफ '8.2' में अपीलीय प्राधिकारी का मानना है कि याचिकाकर्ता के मामले में किसी भी प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने के किसी भी अधिकार का हस्तांतरण शामिल नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता की गतिविधि में किसी भी तरह से उसके द्वारा निकाली गई रेत का उपयोग करना शामिल नहीं है, बल्कि निकाली गई रेत से भाग लेना शामिल है। इसके बाद पैराग्राफ '8.3' में यह माना गया कि याचिकाकर्ता के मामले में सरकार और याचिकाकर्ता के बीच वास्तव में जो हुआ, वह सरकार द्वारा लाइसेंस प्रदान करना है, जिसके तहत याचिकाकर्ता रेत का उपयोग करने के बजाय रेत की खोज/निकालने और रेत को बेचने का हकदार है और व्यवस्था में रेत का उपयोग करने का अधिकार सौंपना शामिल नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया है कि ये निष्कर्ष न केवल विकृत हैं, बल्कि उस वर्गीकरण 997337 के विपरीत भी हैं, जिसकी उसने पुष्टि की है। यह प्रस्तुत किया गया है कि कर की दर अनिवार्य रूप से दर अधिसूचना द्वारा नियंत्रित होगी न कि किसी प्रशासनिक निर्देश द्वारा। कराधान के क्षेत्र में, कर का अधिरोपण प्रशासनिक परिपत्र के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। इस संदर्भ में **पुनीत राय बनाम दिनेश चौधरी (2003) 8 एससीसी 204** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ दिया गया है, जहां पैराग्राफ '42' में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रशासनिक निर्देश होने के नाते परिपत्र/पत्र अनुच्छेद 13 के अर्थ में कानून नहीं है। **हरिवंश लाल मेहरा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1971) 2 एससीसी 54** (पैराग्राफ '6') में यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि परिपत्र के माध्यम से कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। यह प्रस्तुत

किया गया है कि अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31.12.2018 के अनुसार 01.01.2019 से प्रभावी, पिछली अधिसूचना की प्रविष्टि 17 में संशोधन किया गया और अवशिष्ट श्रेणी को 9% सीजीएसटी (सीएसजीटी और एसजीएसटी को मिलाकर संचयी जीएसटी 18%) की दर के अधीन किया गया।

32. यह प्रस्तुत किया गया है कि सुनवाई के दौरान, इस न्यायालय ने एक प्रश्न उठाया था कि क्या याचिकाकर्ता ने अग्रिम निर्णय के मूल आदेश के विरुद्ध अपील दायर नहीं की है और इस प्रकार क्रमशः 5% और 18% की दर स्वीकार कर ली है, उसे इस स्तर पर एक रिट न्यायालय के समक्ष यह तर्क देने की अनुमति दी जा सकती है कि ये गतिविधियाँ बिल्कुल भी कर योग्य नहीं हैं। इस स्पष्ट प्रश्न के उत्तर में, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया था कि जिन आधारों पर न्यायालय के समक्ष गैर-करयोग्यता का समर्थन किया गया था, वे ऐसे पहलू हैं जो जीएसटी लगाने के लिए विधायिकाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और वे विशुद्ध रूप से कानून के प्रश्न भी हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के हाल ही में **राजू रामसिंह वासवे बनाम महेश देवराव भीवापुरकर; (2008) 9 एससीसी 54**; मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया गया है, जिसमें पैराग्राफ '32' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना था कि हालांकि *रिस ज्यूडिकेटा* का सिद्धांत एक हितकारी सिद्धांत है, लेकिन अन्य बातों के अलावा इस सिद्धांत में कुछ अपवाद भी हैं, उदाहरण के लिए (i) जब कोई निर्णय क्षेत्राधिकार के बिना पारित किया जाता है, (ii) कोई मामला पूरी तरह से कानून का प्रश्न होता है या (iii) जब अदालत में धोखाधड़ी करके निर्णय प्राप्त किया जाता है। याचिकाकर्ता ने **बशेशर नाथ बनाम आयकर आयुक्त, दिल्ली; एआईआर 1959 एससी 149** (पैराग्राफ '15' और '19'); में संविधान पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया है। **ओल्गा टेलिस और अन्य बनाम बॉम्बे नगर निगम और अन्य (1985) 3 एससीसी 545** में रिपोर्ट किए गए मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा किया गया है, जहां पैराग्राफ

'28' और '29' में यह माना गया है कि स्वीकृति या छूट का सिद्धांत लागू नहीं हो सकता है जहां शामिल मुद्दा अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) के उल्लंघन से संबंधित है।

राज्य की ओर से प्रस्तुतियाँ

33. विद्वान स्थायी अधिवक्ता-11 श्री विकास कुमार ने रिट याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के तर्कों का विरोध किया है। विद्वान अधिवक्ता ने इन सभी रिट आवेदनों में सीडब्ल्यूजेसी संख्या 18206/2023 में दायर जवाबी हलफनामे में बताए गए राज्य के रुख को अपनाया है। प्रस्तुत किया गया है कि पहले 'वैट' के दौरान समय-समय पर अग्रिम कर के भुगतान का प्रावधान था। यदि बंदोबस्तधारी अग्रिम रूप से 'वैट' का भुगतान करने में विफल रहता है, तो उसे डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता था और बंदोबस्त समझौते के विस्तार के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता था। जीएसटी के बाद के युग में, बालू घाट की बंदोबस्ती और बालू की बिक्री कर योग्य है। बालू घाट की बंदोबस्ती सेवा की आपूर्ति है जहां सरकार आपूर्तिकर्ता है और बंदोबस्तधारी आपूर्ति का प्राप्तकर्ता है। जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया है। 1 जुलाई, 2017 से इस नई कर प्रणाली को लागू करने के लिए, केंद्र और राज्यों के सत्रह विभिन्न अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया गया है और केंद्र और राज्य सरकारों को वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर एक साथ कर लगाने और एकत्र करने का अधिकार दिया गया है। वर्तमान पूरी तरह से एक नई कर व्यवस्था है और इस कर प्रणाली को लागू करने के लिए, 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016 के माध्यम से भारत के संविधान में ही कई संशोधन किए गए थे। संविधान में ही, भारत के संविधान के अनुच्छेद 306 के तहत "सेवाओं" की एक बहुत व्यापक और व्यापक परिभाषा पेश की गई थी। अनुच्छेद 366 के खंड 26 के बाद खंड 26 ए डाला गया था, जो "सेवाओं" शब्द को माल के अलावा किसी भी चीज़ का अर्थ देता है;

संविधान की भावना के अनुरूप, जीएसटी अधिनियम में भी परिभाषित किया गया है कि "सेवाओं" का अर्थ माल, धन और प्रतिभूतियों के अलावा कुछ भी है, लेकिन

इसमें धन के उपयोग या नकदी या किसी अन्य तरीके से एक रूप, मुद्रा या संप्रदाय से दूसरे रूप, मुद्रा या संप्रदाय में इसके रूपांतरण से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं, जिसके लिए एक अलग विचार लिया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान के साथ-साथ जीएसटी अधिनियम के तहत दी गई सेवाओं की परिभाषा को देखने पर यह बहुत स्पष्ट है कि 'सेवाओं' की परिभाषा बहुत व्यापक है। साथ ही, जीएसटी अधिनियम के तहत "विचार" शब्द की परिभाषा को देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि रेत खनन के लिए लाइसेंस देने की कोई भी गतिविधि सेवा की श्रेणी में आती है और निपटान राशि का भुगतान उस सेवा के बदले में विचार है।

34. यह प्रस्तुत किया गया है कि निष्पादित खनन पट्टा पट्टे पर दिए गए खनन क्षेत्र में खनन कार्य करने के लिए एक अनुबंध के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार को निपटानकर्ता द्वारा भुगतान की गई निपटान राशि खनन पट्टे के निष्पादन पर पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में खनन कार्य करने के लिए एक "प्रतिफल" के अलावा और कुछ नहीं है। यह खनन कार्य को करने के लिए खनन क्षेत्र का पट्टा लेने के लिए पक्षों के बीच हुए समझौते का एक हिस्सा है। प्रतिफल के रूप में निपटान राशि निश्चित रूप से पट्टे पर दिए गए क्षेत्र में जमा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करने के अधिकार को एक सेवा के रूप में सौंपती है क्योंकि किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य के लिए प्रतिफल के रूप में की गई कोई भी गतिविधि एक सेवा है।

35. प्रतिवादी विभाग का कर-देयता के बारे में रुख जीएसटी अधिनियम की धारा 7 के तहत आपूर्ति के दायरे और सेवाओं के वर्गीकरण की योजना से पुष्ट होता है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि यह गतिविधि न केवल सेवा की श्रेणी में आती है, बल्कि 18% कर योग्य सेवा भी है। विद्वान वकील ने जवाबी हलफनामे में धारा 7 और वर्गीकरण की योजना का उल्लेख किया है, जो अनुलग्नक 'आर/2' है।

36. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जीएसटी परिषद की संस्तुति पर परिपत्र संख्या 164/20/2021-जीएसटी दिनांक 6 अक्टूबर, 2021 जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि भले ही दर अनुसूची में खनन अधिकार प्रदान करने के माध्यम से सेवा पर कराधान की दर का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो, लेकिन 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान, यह अवशिष्ट जीएसटी दर के लिए परिषद की 14 वीं बैठक में निर्धारित सिद्धांत के मद्देनजर 18% पर कर योग्य था। 1 जनवरी, 2019 के बाद कोई विवाद नहीं बचा है।

37. यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिसूचना संख्या 11/2017-सीटी (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए निपटान राशि के रूप में प्राप्त विचार, जैसा कि संशोधित किया गया है और उप-शीर्षक 997337 में शामिल किया गया है, बीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2(98) में निर्धारित रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर 18% (9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी) की दर से जीएसटी लगता है।

38. प्रस्तुत है कि चूंकि कर योग्य क्षेत्र में स्थित किसी व्यावसायिक इकाई को सरकार द्वारा की गई सेवाओं की आपूर्ति अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 5 के अंतर्गत आती है, इसलिए कर का भुगतान करने की देयता रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ऐसी सेवाओं के प्राप्तकर्ता पर स्थानांतरित हो जाती है, क्योंकि अन्वेषण और मूल्यांकन सहित खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए सेवाएं बिहार सरकार द्वारा व्यावसायिक इकाई को प्रदान की जाती हैं। प्रस्तुत है कि निपटान राशि अपने आप में कर है या नहीं, इस संदर्भ में अप्रासंगिक है, क्योंकि सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 15 (2) के अनुसार, कर योग्य आपूर्ति के मूल्य में जीएसटी अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के तहत लगाए गए कोई भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार शामिल होंगे। प्रासंगिक प्रावधान उपधारा (2) है, जिसमें कहा गया है कि आपूर्ति के

मूल्य में इस अधिनियम, राज्य माल और सेवा कर अधिनियम, संघ राज्य क्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम और माल और सेवा कर (राज्यों का मुआवजा) अधिनियम के अलावा किसी भी कानून के तहत लगाए गए किसी भी कर, शुल्क, उपकर, फीस और प्रभार शामिल होंगे, यदि आपूर्तिकर्ता द्वारा अलग से चार्ज किया जाता है। उनका कहना है कि इन सभी प्रावधानों से यह स्थापित हो जाएगा कि खान विभाग द्वारा रेत खनन के लिए लाइसेंस देने की गतिविधि न केवल एक सेवा है, बल्कि जीएसटी के तहत 18% की दर से कर योग्य सेवा भी है। राज्य के विद्वान स्थायी वकील-11 के प्रस्तुतियाँ काउंटर हलफनामे के पैराग्राफ '16' में संक्षेपित की गई हैं, जिन्हें हम एक आसान संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत कर रहे हैं:-

“16. उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण से यह स्पष्ट है कि

- i. जीएसटी में कर योग्य घटना वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की "आपूर्ति" है।
- ii. सीजीएसटी/जीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा-7 के प्रावधान के अनुसार "आपूर्ति" के अर्थ में लाइसेंस, किराया या पट्टा शामिल है।
- iii. सेवाओं के वर्गीकरण की योजना और विभिन्न प्रकार की सेवाओं पर कर की दर अधिसूचना संख्या 11/2017 सीटी (दर) दिनांक 28/06/2017 द्वारा अधिसूचित की गई है।
- iv. उपरोक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुलग्नक के अनुसार, लीजिंग सेवाओं को समूह संख्या 99733 और उप शीर्षक 997337 के अंतर्गत प्रविष्टि संख्या 257 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार हैं...
- v. "खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल है।"
- vi. बंदोबस्तधारी (बालू घाटों के) द्वारा सरकार को भुगतान की गई बंदोबस्ती राशि, पट्टे की शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट अवधि के लिए उसे दिए गए खनिजों का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करने के लिए भुगतान की गई राशि के अलावा और कुछ नहीं है।
- vii. उपरोक्त स्पष्टीकरण के अनुसार अधिसूचना संख्या 11/2017 सीटी (दर) दिनांक 28/06/2017 की क्रम संख्या 17 में शामिल बालू घाटों का पट्टा/बंदोबस्त।

viii. चूंकि क्रम संख्या 17 (i) से vii (a) के तहत सेवाओं का विवरण ऐसी सेवाओं को कवर नहीं करता है, इसलिए यह क्रम संख्या 17(viii) में अवशिष्ट प्रविष्टि के अंतर्गत आएगा।

a. अधिसूचना संख्या 11/2017 सीटी (दर) दिनांक की प्रविष्टि संख्या 17(viii) के तहत वर्गीकृत सेवाओं पर कर की दर। 28/06/2017 को 18% (9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी) के रूप में अधिसूचित किया जाता है। [अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31/12/2018 के अनुसार प्रतिस्थापित]

ix. यदि सेवा का आपूर्तिकर्ता सरकारी है तो ऐसे कर की देयता प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज बेसिस (आरसीएम) के तहत चुकाई जानी है। (अधिसूचना संख्या 13/2017 सीटी (दर) दिनांक 28/06/2017 के क्रम संख्या 5 का संदर्भ लें)

x. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में, सेटलमेंट को रिवर्स चार्ज बेसिस पर सरकार को भुगतान की गई संपूर्ण सेटलमेंट राशि पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक है।

xi. ऐसे लीज रेंट पर भुगतान किया गया जीएसटी आईटीसी के लिए पात्र होगा क्योंकि यह धारा 17(5) के तहत अवरुद्ध क्रेडिट की सूची में शामिल नहीं है।”

39. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने एमएमडीआर अधिनियम की धारा 9 पर भरोसा किया है, लेकिन एमएमडीआर अधिनियम की धारा 14 के प्रावधान के अनुसार, धारा 9 लघु खनिजों के मामले में लागू नहीं होती है।

40. यह भी कहा गया है कि जीएसटी अधिनियम लागू होने से पहले यानी 1 जुलाई, 2017 से पहले वैट अधिनियम सेवा कर अधिनियम से पूरी तरह स्वतंत्र था। सीजीएसटी/एसजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) के अनुसार याचिकाकर्ता को उसके द्वारा प्राप्त सेवाओं पर कर का भुगतान करना होगा।

41. प्रस्तुत है कि बिहार और उड़ीसा के अग्रिम निर्णय पर अपीलीय प्राधिकार ने स्पष्ट रूप से यह तथ्य स्थापित किया है कि खान विभाग द्वारा रेत खनन के लिए लाइसेंस प्रदान करने की गतिविधि न केवल एक सेवा है, बल्कि जीएसटी के तहत 18% की दर से

कर योग्य सेवा भी है। याचिकाकर्ता ने माननीय उच्च न्यायालयों के कुछ आदेशों का उल्लेख किया है, जिसमें खनन पट्टा देने के लिए जीएसटी के भुगतान पर अंतरिम रोक लगाई गई है। हालांकि, यह उल्लेख करना उचित है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मेसर्स लखविंदर सिंह (सुप्रा) की एक याचिका सहित विभिन्न याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया है। यह प्रस्तुत है कि निविदा दस्तावेज में ही कहा गया है कि बंदोबस्तकर्ता को लागू दर के अनुसार जीएसटी की राशि का भुगतान करना होगा। इसका मतलब है कि करदाता (याचिकाकर्ता) ने निविदा में भाग लेकर पहले ही उक्त लेनदेन पर जीएसटी देयता की प्रयोज्यता को स्वीकार कर लिया है।

42. तर्क के दौरान, विद्वान स्थायी अधिवक्ता-11 ने प्रस्तुत किया कि जहां तक वर्तमान रिट आवेदनों के दायरे का संबंध है, यह याचिकाकर्ता द्वारा अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष उठाए गए मुद्दों तक सीमित होने के लिए उत्तरदायी है। याचिकाकर्ता ने स्वयं रिट आवेदन के पैराग्राफ '16' में स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने सद्भावनापूर्वक सलाह के तहत रिजर्व चार्ज तंत्र के तहत सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी पर अपने कर दायित्व का निर्वहन 9973, समूह 99733 और टैरिफ कोड 997337 "खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं जिसमें इसकी खोज और मूल्यांकन शामिल हैं" के तहत 5% (2.5% सीजीएसटी और 2.5% एसजीएसटी) की दर से जीएसटी का भुगतान करके किया है। याचिकाकर्ता द्वारा अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष उठाया गया एकमात्र मुद्दा दर के संबंध में था और क्या याचिकाकर्ता 'आरसीएम' के तहत सरकार को 5% की दर से भुगतान की गई रॉयल्टी के अपने कर दायित्व का निर्वहन सही ढंग से कर रहा था।

43. यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कोई शिकायत नहीं उठाई। यह विभाग ही था जो अपीलीय प्राधिकरण के पास गया था। अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए तर्कों से यह प्रतीत होता है कि

आदेश (अनुलग्नक '7') में दर्ज अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष याचिकाकर्ता ने कभी यह तर्क नहीं दिया कि रॉयल्टी पर जीएसटी देय नहीं होगा या वे अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 64 के तहत छूट के हकदार होंगे। यह प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में, याचिकाकर्ता ने अपने जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '9' में स्पष्ट रूप से कहा है कि "चूंकि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की जा रही सेवाओं का वर्गीकरण अब तय हो चुका है, इसलिए तत्काल अपील में विवाद केवल विवादित अवधि यानी 01.07.2017 से 31.12.2018 तक और 01.01.2019 के बाद के लिए कर की दर के बारे में है।"

44. यह बताया गया है कि अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता ने रॉयल्टी के कारण भुगतान की गई राशि की करयोग्यता के संबंध में कोई विवाद नहीं उठाया, हालांकि याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि वह अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 64 के तहत छूट के लिए हकदार होगा। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता का यह निवेदन कि वह विवादित अवधि अर्थात् 01.07.2017 से 31.12.2018 तक और उसके बाद भी बिहार राज्य को भुगतान की गई रॉयल्टी पर कोई जीएसटी देने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, इस तर्क पर आधारित है कि 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के लिए परिपत्र संख्या 164/20/2021-जीएसटी दिनांक 06.10.2021 में उल्लिखित जीएसटी की दर प्रतिवादी पर लागू नहीं होगी क्योंकि पूरे पांच वर्षों के लिए निपटान सैद्धांतिक अनुमोदन जारी करने के बाद 21.10.2014 को अंतिम रूप दिया गया था जो 01.04.2016 से बहुत पहले है और पांच साल की पूरी अवधि के लिए निपटान राशि नीलामी की समाप्ति और सैद्धांतिक कार्य आदेश जारी करने के बाद तय की गई थी। यह प्रस्तुत किया गया है कि इस तरह का तर्क प्रति-शपथपत्र में प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के लिए खुला नहीं था, इस तथ्य के आधार पर कि याचिकाकर्ता ने केवल

वर्गीकरण और याचिकाकर्ता के मामले में लागू कर की दर के बिंदु पर अग्रिम निर्णय प्राधिकरण को स्थानांतरित किया था।

45. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा है कि जीएसटी व्यवस्था के तहत कर योग्यता के संबंध में वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुजीत घोष द्वारा प्रस्तुत अधिकांश दलीलें माडा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दलीलों की पुनरावृत्ति मात्र हैं। विद्वान अधिवक्ता ने **माडा मामले** में निर्णय के पैराग्राफ '508' के माध्यम से इस न्यायालय को यह प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया है कि उक्त पैराग्राफ में व्यक्त किए गए विचार अल्पमत के विचार हैं और यह बहुमत का विचार नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने **माडा निर्णय** के पैराग्राफ '135' से '137' और पैराग्राफ '365' के माध्यम से इस न्यायालय को यह प्रस्तुत किया है कि **20वीं सेंचुरी फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का खनन अधिकारों के अनुदान से कोई लेना-देना नहीं है। यह मामला वित्त अधिनियम से संबंधित है। वर्तमान मामले में एकमात्र मुद्दा वर्गीकरण का मुद्दा है। याचिकाकर्ता पहले से ही बिहार वैट अधिनियम और उसके बाद जीएसटी अधिनियम के तहत भुगतान कर रहे थे। बिहार वैट अधिनियम के तहत 5% अग्रिम कर के रूप में देय था, जिसका वे भुगतान कर रहे थे।

46. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि जीएसटी निपटान राशि पर देय है। यह निपटान राशि की प्रत्येक किस्त के भुगतान के साथ देय है और यदि रेत की निकाली गई मात्रा पर रॉयल्टी निपटान राशि से अधिक है, तो निपटानकर्ता को अतिरिक्त निपटान राशि का भुगतान करना होगा। निपटान राशि ही प्रतिफल है। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश (अनुलग्नक '4') से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता अद्यतन अधिसूचना के अनुसार जीएसटी देनदारियों को जमा करने के लिए सहमत हो गया है। अपीलीय प्राधिकरण ने भी उसी श्रेणी यानी 997337 में वर्गीकरण को बरकरार रखा है, लेकिन जीएसटी परिषद की सिफारिश पर सही ढंग से भरोसा किया है।

जीएसटी परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने मेसर्स बरहोनिया इंजीकॉन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4180 वर्ष 2024) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया है।

47. विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने 'छूट' पर तर्क नहीं दिया है क्योंकि अधिसूचना संख्या 12/2017-केन्द्रीय कर दिनांक 28.06.2017 (अनुलग्नक '14'), सेवा कोड 64 में एकमुश्त प्रभार पर देय कर पर छूट की बात की गई है जबकि याचिकाकर्ता निपटान राशि का भुगतान किशतों में कर रहा है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से प्रत्युत्तर

48. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विद्वान स्थायी अधिवक्ता-11 के तर्क का जवाब दिया है। यह प्रस्तुत किया गया है कि विद्वान स्थायी अधिवक्ता-11 का तर्क कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर कर का भुगतान करने की अपनी देयता स्वीकार कर ली है और अग्रिम निर्णय केवल कर की दर की सीमा तक मांगा गया था, केवल इस न्यायालय को इस बात के लिए राजी करने का प्रयास कर रहा है कि वह संबंधित लेनदेन पर जीएसटी लगाने के अधिकार क्षेत्र पर याचिकाकर्ता के तर्क को खारिज कर दे और उसे अनुच्छेद 14 और 19(1)(जी) और अन्य संवैधानिक प्रतिबंधों के उल्लंघन से रोक दे जो जीएसटी लगाने के लिए राज्य के अधिकार क्षेत्र पर लागू होते हैं। विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि *रिस ज्यूडिकाटा* के सिद्धांत वर्तमान मामले पर लागू नहीं होंगे जहां अधिकार क्षेत्र के मुद्दे मौजूद हैं और जहां यह कानून का शुद्ध प्रश्न शामिल है।

49. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने जीएसटी के संदर्भ में रॉयल्टी के संबंध में याचिकाकर्ता के तर्क को यह कहकर अलग करने की कोशिश की है कि यह निपटान राशि पर लागू नहीं होगी, जो एक अलग अवधारणा है। प्रस्तुत किया गया है कि एमएमडीआर अधिनियम, 1957 को संसद द्वारा सूची की प्रविष्टि

54 के तहत केंद्र सरकार को प्रदत्त नियामक शक्ति के प्रयोग में अधिनियमित किया गया था। इसकी धारा 4 विशेष रूप से किसी भी व्यक्ति को अधिनियम के तहत दिए गए उचित खनन पट्टे के बिना कोई भी खनन कार्य करने से रोकती है। प्रस्तुत किया गया है कि जबकि धारा 9 खनन पट्टों के संबंध में रॉयल्टी के भुगतान पर विचार करती है, धारा 14 के संदर्भ में यह प्रावधान किया गया है कि, भले ही धारा 4 लघु खनिजों पर लागू होती है, धारा 5-13 में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी शामिल है कि धारा 9 रॉयल्टी से संबंधित है जो लघु खनिजों पर लागू नहीं होगी। वास्तव में, धारा 15 राज्य सरकार को लघु खनिजों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। उक्त शक्ति के अनुसरण में वर्तमान में बिहार खनिज (रियायत, अवैध खनन निवारण, परिवहन एवं भंडारण) नियम, 2019 (जिसे आगे '2019 नियम' कहा जाएगा) लागू है, हालांकि पहले 1972 के नियम लागू होते थे। उक्त नियमावली में नियम 2(xvi) में 'खनन रियायत' शब्द को लघु खनिजों के संबंध में खनन पट्टा या बंदोबस्त के रूप में परिभाषित किया गया है और इसमें लघु खनिजों के खनन की अनुमति देने वाले उत्खनन परमिट शामिल हैं।

50. नियम 2(xvii) में 'खनिज रियायत धारक/बंदोबस्तधारी/पट्टेदार' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि वह व्यक्ति बंदोबस्त/पट्टा क्षेत्रों से रेत और अन्य लघु खनिजों के उत्खनन के लिए वैध खनिज रियायत रखता है। नियम 2 (xxvi) में 'बंदोबस्त' शब्द को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि सरकार की ओर से प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से रेत और अन्य लघु खनिजों का उत्खनन, अधिग्रहण, कार्य और ले जाने के लिए दिया गया खनन अधिकार। उक्त नियमों का नियम 11 एमएमडीआर अधिनियम की धारा 4 में दिए गए सिद्धांत को प्रतिध्वनित करता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खनन पट्टे की शर्तों के तहत और उसके अनुसार ही कोई खनन कार्य कर सकता है। उक्त 2019 नियमों के अध्याय V में रेत के बंदोबस्त की अवधारणा का प्रावधान है और नियम 29A में सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से बंदोबस्त की एक विधि और उसके बाद सैद्धांतिक

मंजूरी आदेश जारी करने और उसके बाद कार्य आदेश जारी करने का प्रावधान है। नियम 29बी(2) के अनुसार, सफल बोलीदाता को पांच वर्ष की अवधि के लिए रेत खनन की रियायत दी जाती है और पक्षों को एक निर्धारित वैधानिक प्रारूप (फॉर्म बी) में एक समझौता विलेख निष्पादित करना आवश्यक है। नियम 29बी(3) रॉयल्टी और समझौता राशि के भुगतान के तरीके के बारे में बताता है जिसके अनुसार समझौताकर्ता बोली के अनुसार समझौता राशि का भुगतान करेगा और वार्षिक समझौता राशि से अधिक निकाले गए किसी भी अतिरिक्त खनिज के लिए, पट्टेदार को समझौता राशि के अतिरिक्त निकाली गई अतिरिक्त मात्रा के संबंध में अतिरिक्त रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है। अध्याय XII खनन राजस्व से संबंधित है और इसके नियम 51 के अनुसार, एक बार जब खनिज रियायत दी जाती है तो सतह किराए और ऋण किराए के अलावा, अनुसूची IIIA में निर्दिष्ट दरों पर रॉयल्टी वसूल की जानी आवश्यक है। इसके अलावा, नियम 51(5) में यह प्रावधान है कि किसी भी पट्टे के दस्तावेज में निहित किसी भी बात के बावजूद, खनिज रियायत धारक को अपने स्वामित्व वाले किसी भी लघु खनिज के संबंध में किराया/रॉयल्टी का भुगतान अनुसूची II और IIIA के तहत समय-समय पर निर्दिष्ट दरों पर करना होगा। यह प्रस्तुत किया जाता है कि नियम 51(1)(बी) में संदर्भित अनुसूची IIIA के अवलोकन पर, नीलाम किए गए घाटों से रेत के लिए रॉयल्टी की दर नीलामी राशि के रूप में निर्धारित की गई है। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि समझौता राशि कुछ और नहीं बल्कि रॉयल्टी है, दोनों ही रूप में और साथ ही विशिष्ट भाषा के संदर्भ में, जिसे नियम 51 के साथ नियम 51(4) और पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित अन्य नियमों से समझा जा सकता है।

51. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने राज्य के इस कथन का भी विरोध किया कि चूंकि प्रत्येक वर्ष के लिए रॉयल्टी में 20% की वृद्धि की गई थी, जिसके संबंध में राज्य ने

वार्षिक समझौते किए थे, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि असाइनमेंट 5 वर्षों के लिए था।

52. राज्य के विद्वान स्थायी वकील के इस कथन के संबंध में कि याचिकाकर्ता ने **माडा मामले** में अल्पमत निर्णय के आधार पर अपना मुख्य तर्क तैयार किया है, यह कथन किया जाता है कि राज्य इस कथन को प्रस्तुत करने में पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण है। चूंकि याचिकाकर्ता ने न्यायालय के बहुमत के दृष्टिकोण का हिस्सा बनने वाले विशिष्ट पैरा पर भरोसा किया है जो पैराग्राफ '1' से शुरू होकर पैराग्राफ '343' पर समाप्त होता है, जबकि अल्पमत निर्णय पैराग्राफ '1.1' से शुरू होकर पैराग्राफ '44' पर समाप्त होता है। अल्पमत निर्णय का उल्लेख केवल इसलिए किया गया था ताकि न्यायालय को **गोविंद सरन (सुप्रा)** के मामले में पैराग्राफ '10.10' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून की सराहना करने में सहायता मिल सके और इस हद तक इस पहलू पर बहुमत और अल्पमत के दृष्टिकोण के बीच कोई अंतर नहीं है। वास्तव में, यहां तक कि बहुमत निर्णय के पाद टिप्पणी 254 के साथ पैराग्राफ '184' में भी उक्त निर्णय का उल्लेख किया गया है।

53. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि अधिसूचना संख्या 25/2019 दिनांक 30.09.2019 को उचित ठहराते हुए राज्य का तर्क कि जीएसटी परिषद की सिफारिशें बाध्यकारी हैं और परिषद की सिफारिश पर शराब लाइसेंस के अनुदान के माध्यम से सेवाओं को न तो माल की आपूर्ति और न ही सेवा की आपूर्ति माना जाता है, निराधार है और इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। यह तर्क दिया गया है कि यदि जीएसटी परिषद की सिफारिशें किसी विशेष कर व्यवस्था के लिए सर्वोपरि थीं, तो इसका मतलब यह होगा कि जीएसटी परिषद, अनुच्छेद 279 ए के तहत बनाई गई एक संवैधानिक संस्था, संविधान के भाग III की कठोरता से मुक्त है और इस प्रकार संविधान से ऊपर एक अतिरिक्त संवैधानिक प्राधिकरण का प्रयोग करती है। ऐसी स्थिति को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा

सकता है जब यह अच्छी तरह से ज्ञात है कि कोई भी प्राधिकरण कानून के शासन से ऊपर नहीं है।

54. अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 64 के संबंध में राज्य के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, याचिकाकर्ता की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि प्रविष्टि 64 में निहित प्रावधान के साथ यह प्रावधान है कि प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के किसी भी अधिकार के असाइनमेंट के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवा, जहां उपयोग का ऐसा अधिकार 01.04.2016 से पहले असाइन किया गया था, पर शून्य दर का जीएसटी लगेगा। हालांकि, प्रावधान में कहा गया है कि छूट केवल एकमुश्त शुल्क पर देय कर पर लागू होगी जो ऐसे प्राकृतिक संसाधन में उपयोग के अधिकार के असाइनमेंट के लिए पूर्ण अग्रिम या किश्तों में देय है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संभवतः राज्य के विद्वान वकील ने यह तर्क देने की कोशिश की है कि यद्यपि याचिकाकर्ता को 01.04.2016 से पहले हुए असाइनमेंट के संबंध में जीएसटी से छूट प्राप्त है, लेकिन छूट केवल एक बार के शुल्क तक ही सीमित है (चाहे अग्रिम भुगतान किया गया हो या किश्तों में) लेकिन पट्टे की अवधि के दौरान रुक-रुक कर भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी तक इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

55. यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य के प्रस्तुतीकरण में एक मौलिक दोष है जो अनिवार्य रूप से इस आधार पर आधारित है कि कर लगाने के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग छूट अधिसूचनाओं के रूप में प्रत्यायोजित विधान को देखकर निर्धारित किया जा सकता है और यदि प्रत्यायोजित विधान के माध्यम से कुछ पहलुओं को छूट नहीं दी गई है, तो इसका परिणाम यह होगा कि ऐसा पहलू कर योग्य है। राज्य का ऐसा तर्क कानून में पूरी तरह से गलत है क्योंकि यह सर्वविदित है कि कर लगाने के अधिकार क्षेत्र के पहलू अनुच्छेद 265, अन्य संवैधानिक प्रतिबंधों और प्रतिबंधों और उसमें अधिनियमित मूल वैधीकरणों के अंतर्गत आते हैं। यह प्रस्तुत किया गया है कि आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क,

केरल बनाम लार्सन एवं दुब्रो के मामले में 2015 (35) जीएसटीआर 168: एआईआर 2015 एससी 3600 (पैराग्राफ '44') में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना था कि यदि सेवा कर का अधिरोपण स्वयं अस्तित्व में नहीं पाया गया है, तो किसी छूट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

56. डॉ. के.एन. सिंह, विद्वान एसजी, जिन्हें श्री अंशुमान सिंह, विद्वान वरिष्ठ स्थायी वकील द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, भारत संघ के लिए उपस्थित होते हैं। भारत संघ ने विद्वान एससी-11 की प्रस्तुतियों का समर्थन किया है।

विचार

57. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्य के विद्वान एससी-11 तथा भारत संघ के विद्वान एसजी को सुनने के पश्चात, प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि विचाराधीन ग्यारह रिट आवेदनों में से कम से कम छह मेसर्स बीएससीपीएल द्वारा दायर किए गए हैं। मेसर्स 'बीएससीपीएल' ने सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 97 के अंतर्गत अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किया था।

58. धारा 97 अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के लिए आवेदन दाखिल करने की अनुमति देती है, जिसमें धारा 97 की उप-धारा (2) के तहत सूचीबद्ध प्रश्न का उल्लेख किया जाता है, जिस पर अग्रिम निर्णय मांगा जाता है। धारा 97 के दायरे और दायरे को उक्त धारा के माध्यम से समझा जा सकता है जिसे हम नीचे उद्धृत करते हैं:-

“97. अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन।

(1) इस अध्याय के तहत अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक ऐसे प्रपत्र और तरीके से और निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसमें वह प्रश्न बताया जाएगा जिस पर अग्रिम निर्णय मांगा गया है।

(2) वह प्रश्न जिस पर इस अधिनियम के तहत अग्रिम निर्णय मांगा गया है, निम्नलिखित के संबंध में होगा,--

(क) किसी माल या सेवा या दोनों का वर्गीकरण;

(ख) इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत जारी अधिसूचना की प्रयोज्यता;

- (ग) माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के समय और मूल्य का निर्धारण;
 - (घ) भुगतान किए गए या भुगतान किए गए समझे गए कर के इनपुट टैक्स क्रेडिट की स्वीकार्यता;
 - (ङ) किसी माल या सेवा या दोनों पर कर का भुगतान करने की देयता का निर्धारण;
 - (च) क्या आवेदक को पंजीकृत होना आवश्यक है;
 - (छ) क्या आवेदक द्वारा किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में किया गया कोई विशेष कार्य माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति के बराबर है या उसका परिणाम है, उस शब्द के अर्थ के भीतर।
- यह खंड अग्रिम निर्णय के लिए आवेदन दाखिल करने के लिए प्रारूप, तरीके और शुल्क का प्रावधान करता है। यह खंड उन प्रश्नों की प्रकृति को भी सूचीबद्ध करता है जिन पर अग्रिम निर्णय मांगा जा सकता है। (खंडों पर नोट्स)।”

जीएसटी भुगतान की देयता की स्वीकृति

59. याचिकाकर्ताओं/आवेदकों ने अपने आवेदन में प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनका खान विभाग, बिहार पटना के साथ पत्र संख्या 2961/एम दिनांक 31.10.2018 के तहत पांच वर्ष (2015-2019) की अवधि के लिए तथा पत्र संख्या 3391/खान-पटना दिनांक 28.12.2019 के तहत पट्टा समझौता है। इसे बालू के खनन के लिए 31.10.2020 तक बढ़ा दिया गया था। यह तर्क दिया गया कि खान विभाग, बिहार, पटना द्वारा तय किए गए पट्टे का मूल्य 85,33,72,729/- रुपये है और यह मूल्य विस्तारित अवधि के लिए पट्टे के मूल्य का 50% बढ़ा है। पट्टा अनुबंध दिनांक 31.12.2018 के कंडिका '7' में सहमति व्यक्त की गई है कि आवेदक वर्तमान दर पर लागू जीएसटी का भुगतान करेंगे तथा भुगतान का प्रमाण जिला खनन कार्यालय, पटना को प्रस्तुत किया जाएगा। पत्र संख्या 3391/खान, पटना दिनांक 28.12.2019 के कंडिका '1(ii)' में सहमति व्यक्त की गई है कि आवेदक अद्यतन अधिसूचना के अनुसार जीएसटी देयता जमा करेंगे।

वह प्रश्न जिस पर अग्रिम निर्णय मांगा गया

60. याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष आवेदक के रूप में प्रस्तुत किया कि उन्होंने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ('आरसीएम') के माध्यम से कर की उसी दर पर सरकारी खजाने में कर देयता जमा की है, जो माल में शीर्षक के हस्तांतरण को शामिल करने वाली समान वस्तुओं की आपूर्ति पर है। आवेदक ने निम्नलिखित प्रश्न पर अग्रिम निर्णय मांगा:- "(i) क्या मेसर्स ब्रॉड सन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के माध्यम से 5% की दर से कर योग्य देयता का निर्वहन सही ढंग से कर रहा है?"

अग्रिम निर्णय प्राधिकरण का आदेश

61. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद, संबंधित प्राधिकारी ने पैराग्राफ '12.3', '12.4' और '12.5' में निष्कर्ष दर्ज किया, जो इस मामले के उद्देश्य के लिए नीचे ध्यान देने योग्य हैं:-

"12.3. आवेदक ने रेत खनन के लिए सरकारी भूमि पट्टे पर ली है। आवेदक को सरकारी भूमि का पट्टा देना सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 की उपधारा (1) के अनुसार सेवाओं की आपूर्ति माना जाता है।

12.4. आवेदक द्वारा प्राप्त सेवाओं के वर्गीकरण के संबंध में अधिसूचना संख्या 3-11/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुलग्नक का संदर्भ दिया गया है। अधिसूचना संख्या 11/2017- केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 से जुड़े अनुलग्नक में प्रत्येक प्रकार की सेवाओं के लिए सेवा लेखांकन कोड परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त सेवा लेखांकन कोडों के सावधानीपूर्वक अवलोकन के बाद, यह पाया गया है कि आवेदन द्वारा प्राप्त सेवा की प्रकृति सेवा लेखांकन कोड 9073 37- "खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं सहित इसके अंतर्गत आती है। अन्वेषण और मूल्यांकन के बाद खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए सरकार आवेदक को लाइसेंसिंग सेवाएं प्रदान कर रही है और आवेदक को इसके लिए बिहार सरकार को किराया/रॉयल्टी के रूप में एक राशि का भुगतान करना होता है।

12.5. उपर्युक्त सेवा के लिए जीएसटी दर की प्रयोज्यता सेवा के वर्गीकरण पर आधारित है। वर्तमान मामले में, इस प्रकार दिए गए खनन अधिकार उप-शीर्षक 9973 37 के अंतर्गत आते हैं, जो निर्दिष्ट करता है - खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल हैं। हमने अधिसूचना संख्या 11/2017 दिनांक 28-6-2017 और समय-समय पर किए गए संशोधनों विशेष रूप से अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31-12-2018 का अध्ययन किया है। अब हम पाते हैं कि खनन पट्टे के संबंध में रॉयल्टी शीर्ष 9973 के अंतर्गत आने वाले अन्वेषण और मूल्यांकन सहित खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं के लिए देय विचार का एक हिस्सा है, जो 31-12-2018 तक माल में शीर्षक के हस्तांतरण से संबंधित समान वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू दर पर कर योग्य है और उसके बाद अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर दिनांक 28.06.2017 के सीरियल नंबर 17 की अवशिष्ट प्रविष्टियों के तहत 04-01-2019 से 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी पर कर योग्य है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 27/2018 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31-12-2018 द्वारा संशोधित किया गया है।”

62. अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित शब्दों में दिया:-

“आवेदक द्वारा की गई गतिविधि पर 31-12.2018 तक 5% जीएसटी (2.5% सीजीएसटी + 2.5% एसजीएसटी) लगेगा और अधिसूचना संख्या 11/2017 दिनांक 28-06-2017 की क्रम संख्या 17 की अवशिष्ट प्रविष्टियों के अंतर्गत 01.01.2019 से 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से कर लगेगा, जैसा कि अधिसूचना 27/2018 दिनांक 31-12-2018 द्वारा संशोधित किया गया है।”

रिट क्षेत्राधिकार में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती

63. इस स्तर पर, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3286/2021 के तहत एक रिट आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई है:-

“i) प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (जिसे आगे सीजीएसटी अधिनियम कहा जाएगा) और बिहार माल और

सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे बीजीएसटी अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 98 के तहत पारित दिनांक 17.09.2020 (जैसा कि अनुलग्नक-1 में निहित है) आदेश, जिसमें खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं की प्रकृति में खनन गतिविधि को वर्गीकृत किया गया है, जिसमें इसकी खोज और मूल्यांकन भी शामिल है, जो अधिसूचना संख्या 11/2017, केंद्रीय कर दिनांक 28.06.2017 की अवशिष्ट प्रविष्टियों के तहत 9% सीजीएसटी और 9% बीजीएसटी की दर से कर योग्य है, जैसा कि अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31.12.2018 केंद्रीय कर (दर) द्वारा संशोधित किया गया है को रद्द किया जाएगा।

ii) यह घोषणा कि खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल है, विशेष रूप से शीर्षक 9973 (ऑपरेटर के साथ या बिना ऑपरेटर के लाइसेंसिंग या किराये की सेवाएँ) के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के मद 17 में अधिसूचित किया गया है, विशेष रूप से इसके खंड (iii) को बाद की अधिसूचना संख्या 31/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.10.2017, अधिसूचना संख्या 1/2018 केंद्रीय कर (दर) केंद्रीय कर (दर) दिनांक 25.01.2018 और अधिसूचना संख्या 27/2018 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31.12.2018 के साथ पढ़ा जाए।

iii) यह घोषणा करने के लिए कि खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं की प्रकृति में खनन गतिविधि का वर्गीकरण, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल है, 01.01.2019 से 9% सीजीएसटी और 9% बीजीएसटी की दर से कर योग्य है, अधिसूचना संख्या 11/2017, केंद्रीय कर दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 17 की अवशिष्ट प्रविष्टियों के तहत जैसा कि अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31.12.2018 द्वारा संशोधित किया गया है, केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31.12.2018 केवल उलटे शुल्क ढांचे के अंतर्गत आएगा और परिणामस्वरूप, वापसी योग्य होगा और समान वस्तुओं पर उच्च दरों पर कर लगाना संवैधानिक रूप से अपरिहार्य होगा।

iv) कोई अन्य राहत प्रदान करने के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता अन्यथा हकदार पाया जाता है।”

64. जब रिट आवेदन पर विचार किया गया, तो राज्य के विद्वान स्थायी

वकील द्वारा माननीय न्यायालय को सूचित किया गया कि बी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017

के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकरण का गठन किया गया है। रिट आवेदन का निपटारा निम्नलिखित शर्तों के तहत किया गया:-

“श्री विकास कुमार, विद्वान स्थायी वकील संख्या 11 हमारा ध्यान 21 सितंबर, 2017 की अधिसूचना की ओर आकर्षित करते हैं, जिसके तहत बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत अपीलीय प्राधिकारी का गठन किया गया है।

मामले के इस दृष्टिकोण से, जैसा कि याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री डी.वी. पैथी ने प्रार्थना की है, हम निम्नलिखित पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर वर्तमान याचिका का निपटारा करते हैं:-

क. याचिकाकर्ता आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर अपील दायर करेगा;

ख. हम याचिकाकर्ता के इस कथन को स्वीकार करते हैं कि अपील की सुनवाई के लिए पूर्व शर्त के रूप में कुल राशि का दस प्रतिशत पहले ही जमा हो चुका है। यदि ऐसा है, तो अपील का निर्णय गुण-दोष के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी भी कारण से राशि जमा नहीं की जाती है, तो अगली तिथि से पहले ऐसा किया जाएगा;

ग. यह जमाराशि पक्षकारों के संबंधित अधिकारों और विवादों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी और अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश के अधीन होगी। हालांकि, यदि अंततः यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता की जमाराशि अधिक है, तो उसे आदेश पारित होने की तिथि से दो महीने के भीतर वापस कर दिया जाएगा;

घ. हम रिट याचिकाकर्ता के बैंक खाते को डी-फ्रीज/डी-अटैच करने का भी निर्देश देते हैं, यदि कार्यवाही के संदर्भ में वर्तमान याचिका की विषय-वस्तु के लिए अटैच किया गया हो। यह तुरंत किया जाना चाहिए।

ड. अपीलीय प्राधिकरण अपील दायर करने में हुई देरी, यदि कोई हो, को माफ करेगा और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद अपील का गुण-दोष के आधार पर निर्णय करेगा;

च. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिया जाएगा ताकि वे सभी आवश्यक दस्तावेज और सामग्री रिकॉर्ड पर रख सकें, यदि ऐसा आवश्यक और वांछित हो;

छ. अपील के लंबित रहने के दौरान याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाया जाएगा।

- ज. अपीलीय प्राधिकारी रिट याचिकाकर्ता सहित सभी संबंधितों को पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद ही नया आदेश पारित करेगा;
- झ. याचिकाकर्ता विद्वान वकील के माध्यम से ऐसी कार्यवाही में पूर्ण सहयोग करने और अनावश्यक स्थगन न लेने का वचन देता है;
- ञ. अपीलीय प्राधिकारी अपील का गुण-दोष के आधार पर शीघ्रता से, अधिमानतः अपील दायर करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर निर्णय करेगा;
- ट. अपीलीय प्राधिकारी कारण बताते हुए एक आदेश पारित करेगा, जिसकी प्रतिलिपि पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी;
- ठ. यदि आवश्यक हो और वांछित हो तो याचिकाकर्ता को आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता सुरक्षित है;
- ड. समान रूप से, पार्टियों को ऐसे अन्य उपायों का सहारा लेने की स्वतंत्रता सुरक्षित है जो अन्यथा कानून के अनुसार उपलब्ध हैं;
- ढ. हमें उम्मीद है कि जब भी याचिकाकर्ता उचित मंच के समक्ष ऐसे उपायों का सहारा लेगा, तो कानून के अनुसार, उचित गति से उस पर कार्रवाई की जाएगी;
- ण. हमने गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है और सभी मुद्दों को खुला छोड़ दिया गया है;
- त. यदि संभव हो तो, वर्तमान महामारी [कोविड-19] के दौरान कार्यवाही डिजिटल मोड के माध्यम से की जाए;
- इस याचिका का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।
- यदि कोई अंतरिम आवेदन है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।
- प्रतिवादियों के विद्वान वकील इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उचित प्राधिकारी को आदेश संप्रेषित करने का वचन देते हैं।”

याचिकाकर्ता(ओं) द्वारा कोई अपील प्रस्तुत नहीं की गई

65. यह एक स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ताओं ने अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी से संपर्क नहीं किया। यह विभाग ही था जिसने संयुक्त आयुक्त, राज्य कर के माध्यम से अपील दायर की, जिससे मामला संख्या AAAR/O1/2021-22 उत्पन्न हुआ। विभाग अग्रिम निर्णय प्राधिकारी द्वारा पारित दिनांक 29.09.2020 के आदेश से इस सीमा तक व्यथित था कि रेत घाटों के बंदोबस्त के दौरान खान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा रेत

घाटों (बंदोबस्ती) के बंदोबस्त के लिए प्राप्त राशि 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के बीच 5% की दर से कर के लिए प्रभार्य होगी।

मेसर्स बीएससीपीएल-याचिकाकर्ता का अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष पक्ष

66. मेसर्स बीएससीपीएल प्रतिवादी होने के नाते अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हुई और प्रति-शपथ-पत्र दाखिल करके उक्त अपील का विरोध किया। अपने प्रति-शपथ-पत्र के पैराग्राफ '9' में प्रतिवादियों ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:-

“चूँकि प्रतिवादी द्वारा प्राप्त की जा रही सेवाओं का वर्गीकरण अब सुलझ चुका है, इसलिए तत्काल अपील में विवाद केवल विवादित अवधि यानी 01.07.2017 से 31.12.2018 तक और 01.01.2019 के बाद की अवधि के लिए कर की दर के बारे में है।”

67. इतना कहने के बाद प्रतिवादी ने जवाबी हलफनामे में आगे और दलीलें पेश कीं। उन्होंने दलील दी कि रेत नीति, अधिसूचना संख्या 2887 दिनांक 22.7.2014, निविदा दस्तावेज और पत्र संख्या 506 दिनांक 21.10.2014 के अनुसार राज्य सरकार ने रेत घाटों की बंदोबस्ती 5 साल की अवधि के लिए की थी। पांच साल की उक्त अवधि के लिए बंदोबस्ती राशि पांच बराबर वार्षिक किस्तों में देय थी। इन दस्तावेजों में कहा गया था कि वर्ष 2015 के लिए वार्षिक बंदोबस्ती राशि नीलामी राशि होगी। बाद के वर्षों में बंदोबस्ती राशि पिछले वर्ष की तुलना में 120% होगी। सभी दस्तावेजों में वार्षिक किस्त राशि के भुगतान की अनुसूची भी दी गई थी। वार्षिक किस्त राशि का 50% की पहली किस्त पिछले वर्ष की 15 दिसंबर तक, 25% 15 अप्रैल से पहले और शेष 25% 15 सितंबर से पहले चुकाई जानी थी। उक्त निपटान अवधि को निपटान राशि में 50% की वृद्धि के साथ जापन संख्या 4948 दिनांक 27.12.2019 में निहित संकल्प के माध्यम से 31.10.2020 तक बढ़ा दिया गया था। इसके बाद, इसे संकल्प संख्या 2646 दिनांक 14.09.2020 के तहत 31.12.2020 तक और फिर इसे संकल्प संख्या 3435 दिनांक 30.12.2020 के तहत 31.03.2021 तक बढ़ा दिया गया था। अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 986/एम पटना दिनांक 31.03.2021

के माध्यम से 01.04.2021 से 30.09.2021 तक विस्तार दिया गया था। इसी पृष्ठभूमि में, इस स्तर पर, इस रिट आवेदन में, यह तर्क दिया जा रहा है कि याचिकाकर्ता को जीएसटी के अधीन नहीं किया जा सकता है क्योंकि कर योग्य घटना जीएसटी व्यवस्था के लागू होने से पहले हुई है। बेशक, एसजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 19 के तहत दायर आवेदन में यह मुद्दा अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष नहीं उठाया गया था।

68. इस न्यायालय ने आगे पाया कि एक अन्य मुद्दा जो प्रति-शपथपत्र में प्रस्तुत किया गया था, वह अधिसूचना संख्या 12/2017 दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 64 के तहत छूट के संबंध में है। उक्त अधिसूचना भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई है। अधिसूचना की प्रस्तावना में निम्नलिखित उल्लेख है:- "...केंद्र सरकार, यह संतुष्ट होने पर कि ऐसा करना सार्वजनिक हित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों पर, नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण की सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति को उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) के तहत उस पर लगाए जाने वाले केंद्रीय कर से छूट देती है, जो उक्त तालिका के कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट दर पर गणना किए गए उक्त कर से अधिक है, जब तक कि अन्यथा निर्दिष्ट न हो, कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट प्रासंगिक शर्तों के अधीन (5) उक्त तालिका...."

अधिसूचना संख्या 12/2017 की क्रम संख्या 64 इस प्रकार है:-

"केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के अधिकार के असाइनमेंट के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, जहाँ उपयोग का ऐसा अधिकार 1 अप्रैल, 2016 से पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा असाइन किया गया था:

बशर्ते कि छूट केवल एकमुश्त शुल्क पर देय कर पर लागू होगी, जो कि ऐसे प्राकृतिक संसाधन के उपयोग के अधिकार के असाइनमेंट के लिए पूर्ण अग्रिम या किश्तों में देय है”

69. अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष प्रतिवादी ने प्रस्तुत किया कि जीएसटी व्यवस्था के तहत, प्रतिवादी अधिसूचना संख्या 12/2017 के क्रम संख्या 64 के तहत दी गई छूट के अंतर्गत आएगा और सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी पर 'आरसीएम' आधार पर कोई जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं है। रिकॉर्ड पर यह स्पष्ट है कि यह मूल आवेदन में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष सीजीएसटी/बीजीएसटी, अधिनियम, 2017 की धारा '97' के दायरे में आने वाली चर्चा का विषय नहीं था।

70. हमने पहले ही इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि याचिकाकर्ताओं ने रिट आवेदन में इस न्यायालय का रुख किया था और उसमें कई राहतों के लिए प्रार्थना की गई थी। रिट आवेदन में मांगी गई राहतों में से एक सीजीएसटी अधिनियम, 2017 और बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 98 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 और 2 द्वारा पारित दिनांक 17.09.2020 के आदेश को रद्द करना था, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता की खनन गतिविधि को खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाओं की प्रकृति में वर्गीकृत किया गया था, जिसमें इसकी खोज और मूल्यांकन शामिल है, जो 01.01.2019 से प्रभावी क्रम संख्या की अवशिष्ट प्रविष्टियों के तहत 9% सीजीएसटी और 9% बीजीएसटी की दर से कर योग्य है। अधिसूचना संख्या 11/2017, केंद्रीय कर दिनांक 28.06.2017 की धारा 17 के अनुसार, जैसा कि अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31.12.2018 द्वारा संशोधित किया गया है। यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के दिनांक 17.09.2020 के संपूर्ण आदेश को चुनौती नहीं दी। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने यह घोषणा करने की मांग की है कि खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल है, विशेष रूप से शीर्षक 9973 (ऑपरेटर के साथ या बिना

ऑपरेटर के लाइसेंसिंग या किराये की सेवाएं) के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के मद 17 में अधिसूचित किया गया है, विशेष रूप से इसके खंड (iii) को बाद की अधिसूचना संख्या 31/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.10.2017 अधिसूचना संख्या 1/2018 केंद्रीय कर (दर) केंद्रीय कर (दर) दिनांक 25.01.2018 और अधिसूचना संख्या 27/2018 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31.12.2018 के साथ पढ़ा जाए।

याचिकाकर्ता का रुख बदलना

71. यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के पूरे आदेश को चुनौती नहीं दी, यहां तक कि उन्होंने उक्त आदेश के खिलाफ अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष कोई अपील भी नहीं की, लेकिन जब विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की बात आई, तो उन्होंने अपील के दायरे से बाहर दो मुद्दे उठाए, जिन पर हमने ऊपर ध्यान दिया है। प्रतिवादी मेसर्स 'बीएससीपीएल' के अस्थायी दृष्टिकोण को अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष उनके जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ '35' में की गई प्रार्थना से देखा जा सकता है। वहां, उन्होंने अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की क्योंकि यह कानून की दृष्टि से गलत है। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर जवाबी हलफनामे में उक्त प्रार्थना के विपरीत, इस न्यायालय में वैकल्पिक रूप से यह दलील दी गई है कि यदि यह न्यायालय पैराग्राफ 'ए' से 'डी' में उल्लिखित प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो अग्रिम निर्णय के अपीलीय प्राधिकारी के विवादित निर्णय को कानून में गलत माना जाएगा और मूल अग्रिम निर्णय प्राधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को बरकरार रखा जाना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि एसएसी 997337 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं पर जीएसटी की दर 31.12.2018 तक 5% और 01.01.2019 से 18% है। यह वर्तमान रिट आवेदन में याचिकाकर्ता की ओर से वैकल्पिक दलील के रूप में रुख में बदलाव है।

72. सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम की धारा 97 को पढ़ने से ही स्पष्ट है कि अग्रिम निर्णय प्राप्त करने का दायरा कुछ प्रश्नों तक ही सीमित है। धारा 97 की उपधारा (2) में वे प्रश्न दिए गए हैं जिनके संबंध में अग्रिम निर्णय प्राप्त किया जा सकता है। मेसर्स बीएसपीसीएल/प्रतिवादी ने उपधारा (2) के प्रश्न संख्या (ए) के संबंध में अग्रिम निर्णय प्राप्त करना चुना। वे सेवा के वर्गीकरण पर अग्रिम निर्णय चाहते थे। उक्त प्रश्न के दायरे में अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने यह राय दी कि आवेदक द्वारा की गई गतिविधि उपशीर्षक 9973 37 के अंतर्गत आएगी जो निर्दिष्ट करती है कि "खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल हैं"। मेसर्स बीएसपीसीएल/प्रतिवादी ने न तो कोई अपील दायर की, न ही विभाग द्वारा की गई अपील का विरोध किया, जबकि इस न्यायालय की माननीय खंडपीठ द्वारा सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3286/2021 में अवसर दिया गया था।

73. यह अभिलेख में दर्ज है कि इस न्यायालय के समक्ष दायर रिट में प्रतिवादी मेसर्स बीएसपीसीएल एक घोषणा की मांग कर रहा था कि खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएं, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल हैं, विशेष रूप से शीर्षक 9973 (लीजिंग या किराये की सेवाएं, ऑपरेटर के साथ या बिना) के अंतर्गत आती हैं, जैसा कि अधिसूचना संख्या 11/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के मद संख्या 17 में अधिसूचित किया गया है, विशेष रूप से खंड (iii) को बाद की अधिसूचना संख्या 31/2017 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 13.10.2017, अधिसूचना संख्या 1/2018 केंद्रीय कर (दर) केंद्रीय कर (दर) दिनांक 25.01.2018 और अधिसूचना संख्या 27/2018 केंद्रीय कर (दर) दिनांक 31.12.2018 के साथ पढ़ा गया है। इस प्रकार, किसी भी तरह से, याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा पैराग्राफ '37' के 'ए' से 'डी' के तहत प्रस्तुत किए जा रहे प्रस्तुतीकरण कार्यवाही के किसी भी चरण में कभी नहीं उठाए गए थे। इसलिए, हमारा विचार

है कि कानून इस विषय पर बहुत स्पष्ट है, वर्तमान याचिकाकर्ताओं ने कानून को अच्छी तरह से समझा और शीर्ष 9973 के तहत कर योग्यता का कोई मुद्दा कभी नहीं उठाया।

रॉयल्टी कोई वैधानिक कर/कर नहीं है -- माडा का निर्णय

74. हम आगे पाते हैं कि जब वर्तमान रिट आवेदन दायर किया गया था, तो याचिकाकर्ता ने विभिन्न राहों के लिए प्रार्थना की थी। उन्होंने घोषणा की मांग की कि रॉयल्टी वैधानिक कर की प्रकृति में है और इसलिए, यह आगे कराधान के लिए योग्य नहीं हो सकती है (पैराग्राफ नंबर 1 (iv))। याचिकाकर्ता ने आगे यह घोषणा करने की मांग की कि खनिज रियायत का अनुदान कानून के प्रावधानों के तहत केवल एक वैधानिक कार्य/कर्तव्य है, यह किसी भी सेवा के प्रतिपादन के बराबर नहीं है, इसलिए, यह जीएसटी के शुल्क को आकर्षित नहीं करता है। हमने अपने फैसले के पैराग्राफ '15' के तहत विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा तैयार किए गए तर्कों पर ध्यान दिया है। हम इस राय के हैं कि याचिकाकर्ताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा जिन तर्कों पर चर्चा की गई है, उनमें से अधिकांश पर पहले ही चर्चा की जा चुकी है और **माडा** के फैसले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उनका उत्तर दिया जा चुका है। इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या रॉयल्टी एक कर की प्रकृति में है?, पैराग्राफ 130 में, माननीय न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्णय दिया:-

“130. प्रथम सिद्धांत के अनुसार, रॉयल्टी एक ऐसा प्रतिफल है जो खनन पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के उपभोग के लिए तथा खनिजों के स्वामी द्वारा झेले गए खनिजों के मूल्य के नुकसान की भरपाई के लिए पट्टाकर्ता को दिया जाता है। धारा 9 के सीमांत नोट में कहा गया है कि रॉयल्टी “खनन पट्टों के संबंध में है।” रॉयल्टी का भुगतान करने की देयता खनन पट्टे की संविदात्मक शर्तों से उत्पन्न होती है।¹⁷⁰ 170170170 पट्टेदार द्वारा रॉयल्टी का भुगतान न करना अनुबंध की शर्तों का उल्लंघन माना जाता है, जिससे पट्टादाता को पट्टे का निर्धारण करने और पट्टेदार के खिलाफ वसूली के लिए कार्यवाही शुरू करने की अनुमति मिल जाती है।”

¹⁷⁰ 170170170170170 [खनिज रियायत नियम, 1960, नियम 27 और 45 देखें]

75. निर्णय के पैराग्राफ '133' में, माननीय न्यायाधीश ने निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

“133. रॉयल्टी और कर के बीच प्रमुख वैचारिक अंतर हैं:

- (i) स्वामी खनिजों को खनन के अधिकार को छोड़ने के लिए रॉयल्टी को विचार के रूप में लेता है, जबकि कर संप्रभु द्वारा लगाया गया एक अधिरोपण है;
- (ii) रॉयल्टी किसी विशेष कार्य को करने के विचार में दी जाती है, अर्थात् मिट्टी से खनिजों को निकालना, जबकि कर आम तौर पर कानून द्वारा निर्धारित कर योग्य घटना के संबंध में लगाया जाता है;¹⁷¹ 171171171171 और
- (iii) रॉयल्टी आम तौर पर पट्टे के विलेख से प्रवाहित होती है, जबकि कर कानून के अधिकार द्वारा लगाया जाता है।”

76. इसी निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एमएमडीआर अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार रॉयल्टी की दरें तय करती है, लेकिन फिर भी इसका भुगतान खनन पट्टे के आधार पर मालिक को किया जाता है। यदि खनिज सरकार के पास हैं, तो संविधान के अनुच्छेद 299 के अनुसार खनन पट्टा राज्य सरकार (पट्टादाता के रूप में) और पट्टेदार के बीच हस्ताक्षरित होता है।

खनन पट्टे के माध्यम से, सरकार खनिज अधिकारों पर अपने विशेष विशेषाधिकार से अलग हो जाती है। विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को अनुबंध के तहत भुगतान किया गया प्रतिफल कर नहीं कहा जा सकता। चूंकि रॉयल्टी एक प्रतिफल है जो खनन पट्टे के तहत पट्टेदार द्वारा पट्टादाता को दिया जाता है, इसलिए इसे “कर” नहीं कहा जा सकता।

77. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **माडा निर्णय** में अनुच्छेद 129 और 130 में विशेष रूप से कहा है कि रॉयल्टी पर लागू सिद्धांत डेड रेंट पर भी लागू होते हैं क्योंकि:

¹⁷¹ 171171171171 [गुडइयर (इंडिया) लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, (1990) 2 एससीसी 71, पैरा 27]

(i) डेड रेंट पट्टाकर्ता द्वारा मालिकाना अधिकार (संप्रभु अधिकार नहीं) के प्रयोग में लगाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पट्टेदार खदान में काम करता रहे और उसे निष्क्रिय न रखे, और ऐसी स्थिति में जहां पट्टेदार खदान को निष्क्रिय रखता है, यह मालिक को आय का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करता है; (ii) डेड रेंट का भुगतान करने की देयता खनन पट्टे की शर्तों से प्रवाहित होती है; (iii) डेड रेंट रॉयल्टी का एक विकल्प है; यदि रॉयल्टी की दरें डेड रेंट से अधिक हैं, तो पट्टेदार को पूर्व का भुगतान करना आवश्यक है, न कि बाद का; और (iv) केंद्र सरकार डेड रेंट को अपने संप्रभु अधिकार के प्रयोग में नहीं, बल्कि दरों की एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एक नियामक उपाय के रूप में निर्धारित करती है। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि रॉयल्टी और डेड रेंट दोनों ही कर या अधिरोपण की विशेषता को पूरा नहीं करते हैं।

78. पट्टेदार को खनिज अधिकारों के हस्तांतरण के संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैराग्राफ '340', '341', '342', '343' और '344' में निम्नानुसार निर्णय दिया है:-

“340. एमएमडीआर अधिनियम के तहत विचारित खनन पट्टा खनन अधिकारों और खनिज अधिकारों से संबंधित है। यह खनन पट्टेदार को सतही अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि, किसी भी खनन कार्य को शुरू करने के लिए सतही अधिकार आवश्यक हैं। वास्तव में, खनन पट्टेदार द्वारा उस क्षेत्र पर सतही अधिकार प्राप्त करना जहां खनन कार्य किया जाएगा, पूर्वक्षण लाइसेंस और खनन पट्टा दोनों के अनुदान के लिए एक पूर्वापेक्षित शर्त है। पट्टेदार को फॉर्म के भाग II के तहत अपने खनन अधिकारों और विशेषाधिकारों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए सतही अधिकारों तक पहुंच की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, जैसा कि बुराकुर कोल³⁴⁶ 346346346346346 में कहा गया है, खनन पट्टेदार को खनन कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए सतही अधिकारों का आनंद लेने की

³⁴⁶346 [बुराकुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ, 1961 एससीसी ऑनलाइन एससी 23: एआईआर 1961 एससी 954]

आवश्यकता होती है। खनन कार्यों की निरंतरता के दौरान दोनों के बीच कोई विच्छेद नहीं हो सकता है।

341. अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि खनिज अधिकार पट्टेदार को कब हस्तांतरित होते हैं? स्वतंत्रता के बाद से, राज्य विधानसभाओं ने भूमि सुधार कानूनों की बाढ़ ला दी है। राज्य सरकार में खानों और खनिजों का अधिकार निहित करना।³⁴⁸ 348348348348348 खनन पट्टे के माध्यम से, राज्य सरकार पट्टे की अवधि के लिए उप-भूमि खनिजों में अपने अधिकारों को पट्टेदार को हस्तांतरित करती है। पट्टेदार को मिलने वाले पट्टा अधिकारों की प्रकृति संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के आधार पर निर्धारित की जा सकती है।

किसी निर्दिष्ट खनिज को निकालने के लिए भूमि में खनन कार्य करने तथा उस खनिज को हटाने और विनियोजित करने का अधिकार, संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 105 के अर्थ में "अचल संपत्ति का आनंद लेने का अधिकार" है।¹¹⁸ 118118118118118 खनन पट्टे के मामले में, संपत्ति का आनंद संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 108 में बताए अनुसार खदान में काम करके लिया जा सकता है।

342. संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 110 उस दिन के बहिष्कार से संबंधित है जिस दिन पट्टे की अवधि शुरू होती है। यह प्रावधान करती है कि जहां अचल संपत्ति के पट्टे द्वारा सीमित समय को किसी विशेष दिन से शुरू होने के रूप में व्यक्त किया जाता है, उस समय की गणना करते समय ऐसे दिन को बाहर रखा जाएगा। यह आगे प्रावधान करती है कि ऐसी स्थितियों में जहां पट्टे में प्रारंभ के दिन का उल्लेख नहीं है, पट्टे द्वारा सीमित समय पट्टे के निर्माण के दिन से शुरू होता है। फॉर्म K के तहत मॉडल खनन पट्टा उस दिन को निर्दिष्ट करता है जिस दिन से खनिज अधिकार पट्टेदार को दिए जाते हैं और हस्तांतरित किए जाते हैं। इस प्रकार, खनन पट्टे के तहत संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण प्रारंभ के निर्दिष्ट दिन से शुरू होता है। परिणामस्वरूप, खनन पट्टे में निर्दिष्ट खनिजों में अधिकार और हित राज्य सरकार से पट्टेदार को पट्टा विलेख के प्रारंभ के निर्दिष्ट दिन पर स्थानांतरित हो जाते हैं।

³⁴⁸ 348 [गुजरात भू-राजस्व संहिता, 1879, धारा 69-ए; मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 247; छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959, धारा 247; गोवा, दमन और दीव भू-राजस्व संहिता, 1968, धारा 36.]

¹¹⁸ 118 [तारकेश्वर सियो ठाकुर जिउ बनाम डार दास डे एंड कंपनी, (1979) 3 एससीसी 106, पैरा 37]

343. एक बार जब खनिजों में हित खनन पट्टे के तहत हस्तांतरित हो जाता है, तो पट्टेदार को खदान में काम करने और खनिजों को खनन का अधिकार प्राप्त हो जाता है। खदान में काम करने और खनिजों को खनन की इस प्रक्रिया के माध्यम से ही खनिजों को धरती से निकाला या प्राप्त किया जाता है, भले ही ऐसी गतिविधि धरती की सतह पर की जाती हो या धरती के आंत्र में।³⁴⁹ 349349349349349 यद्यपि खनिजों का शीर्षक राज्य सरकार में निहित है, लेकिन खनन पट्टा राज्य सरकार से खनिज में हित को खनन पट्टेदार को हस्तांतरित करता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान, खनिज या तो ऊपर या ऊपर धरती में धंसे रहते हैं। इस प्रकार, खनिजों का भूमि से कोई संबंध नहीं है। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि भूमि पर कर भी अधिभोगी पर लगाया जा सकता है। जब खनन पट्टा दिया जाता है, तो पट्टाधारक को पट्टे में निर्दिष्ट क्षेत्र के सतही अधिकारों पर अनिवार्य रूप से कब्जा करना होता है। परिणामस्वरूप, खनन पट्टे के अस्तित्व के दौरान पट्टाधारक के पास खनिजों और सतह दोनों पर अधिकार होते हैं।

344. हम प्रतिवादी के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि खनिजों के निष्कर्षण पर ही खनिज अधिकार राज्य से खनन पट्टेदार को हस्तांतरित होते हैं। एक बार पट्टा विलेख पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, खनिजों में हित राज्य सरकार (यदि खनिज राज्य सरकार में निहित हैं) से पट्टेदार को हस्तांतरित हो जाता है। खनिजों में पट्टेदार का हित पट्टा विलेख के निर्धारण तक जारी रहता है। पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के प्रयोग पर ही, अर्थात् खनिजों को हटाने या उपभोग करने पर ही, पट्टेदार को रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है। इस प्रकार, खनिजों में हित का हस्तांतरण खनिज अधिकारों के प्रयोग से अलग है। उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, यह स्पष्ट है कि पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के प्रयोग पर ही खनिजों को भूमि से “अलग” किया जाता है।”

**रॉयल्टी का भुगतान केवल “खनिज अधिकारों” के प्रयोग पर किया जाना है –
कर की घटना**

79. माडा निर्णय के उपर्युक्त पैराग्राफ में की गई चर्चाओं से यह स्पष्ट है कि खनन पट्टे के तहत संपत्ति का आनंद लेने के अधिकार का हस्तांतरण प्रारंभ के निर्दिष्ट दिन

³⁴⁹³⁴⁹ [तारकेश्वर सियो ठाकुर जिउ केस, (1979) 3 एससीसी 106, पैरा 15]

से शुरू होता है और खनन पट्टे में निर्दिष्ट खनिजों में अधिकार और हित राज्य सरकार से पट्टेदार को पट्टा विलेख के प्रारंभ के निर्दिष्ट दिन पर स्थानांतरित किए जाते हैं, पट्टेदार को केवल खनिज अधिकार के प्रयोग पर रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक है, अर्थात् खनिजों को हटाने या उपभोग करने पर। यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा पैराग्राफ '15' के 'डी' के संदर्भ में उनके प्रस्तुतीकरण में उठाए गए मुद्दों को हल करता है। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया है कि केवल इसलिए कि रॉयल्टी का आवधिक भुगतान जीएसटी के प्रारंभ होने के बाद किया जाता है, राज्य के पास जीएसटी लगाने का कोई अधिकार नहीं होगा क्योंकि कर योग्य घटना जीएसटी के लागू होने से पहले हुई है। उनका कहना है कि याचिकाकर्ता को 01.01.2015 से 31.12.2019 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए रेत घाटों की नीलामी के संबंध में 21.10.2014 को सर्वोच्च बोलीदाता घोषित किया गया था। इस संबंध में प्रस्तुत किए गए तर्क को निर्णय के पैराग्राफ '50' में ऊपर नोट किया गया है। उनके अनुसार, खनन गतिविधि करने के अधिकार का अधिकार याचिकाकर्ता को सितंबर, 2015 में ही प्रदान किया गया था और उससे भी पहले सैद्धांतिक मंजूरी आदेश नवंबर, 2014 में जारी किया गया था, जो सभी 01.07.2017 यानी जीएसटी के शुरू होने की तारीख से पहले हुआ था। जबकि विद्वान वरिष्ठ वकील ने स्वीकार किया कि वार्षिक निपटान कार्य निष्पादित किए गए थे और 01.07.2017 के बाद निष्पादित किए गए समझौते थे, हालांकि, याचिकाकर्ता के अनुसार वे निष्पादन केवल औपचारिकता थी। हमें इस तर्क में कोई योग्यता नहीं दिखती। राज्य के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सही कहा है कि निपटान राशि की प्रत्येक किस्त के भुगतान पर जीएसटी देय है और यदि रेत की निकाली गई मात्रा पर रॉयल्टी निपटान राशि से अधिक है, तो निपटानकर्ता को अतिरिक्त निपटान राशि का भुगतान करना होगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, इसमें कोई संदेह नहीं है कि खनिजों में हित का हस्तांतरण

खनिज अधिकारों के प्रयोग से अलग है और रॉयल्टी का भुगतान केवल पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के प्रयोग पर ही किया जाना आवश्यक है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची II की प्रविष्टि 50,

अनुच्छेद- 246A

80. हम आगे पाते हैं कि कर निर्धारण के उपाय पर चर्चा करते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत सूची II की प्रविष्टि 49 और 50 पर चर्चा की है। यह माना गया है कि दोनों प्रविष्टियाँ बिना किसी ओवरलैप के अलग-अलग क्षेत्रों में काम करती हैं। दोनों प्रविष्टियों यानी सूची II की प्रविष्टि 49 और 50 के तहत कर की प्रकृति अलग-अलग है। **माडा निर्णय** के पैराग्राफ '364' में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार माना है: -

“364. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि खनिज मूल्य या खनिज उत्पादन को सूची II प्रविष्टि 49 के तहत भूमि पर कर के उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तथ्य यह है कि सूची II प्रविष्टि 50 खनिज अधिकारों पर करों से संबंधित है, राज्य विधानमंडल को सूची II प्रविष्टि 49 के तहत खनिज मूल्य या खनिज उत्पादन के उपाय का उपयोग करने से नहीं रोकेगा। राज्य विधानमंडल के पास करों को निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए उचित उपाय निर्धारित करने के लिए विधायी विवेकाधिकार है, जब तक कि उपाय और कर की प्रकृति के बीच एक उचित संबंध है। उपाय कर की प्रकृति का निर्धारण नहीं करता है। सूची II प्रविष्टि 49 के तहत “भूमि” शब्द में खनिज युक्त भूमि शामिल है। खनिज उत्पादन एक खनिज युक्त भूमि से उपज है। चूंकि रॉयल्टी खनिज उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए रॉयल्टी का उपयोग रॉयल्टी पर कर निर्धारित करने के उपाय के रूप में भी किया जा सकता है। तथ्य यह है कि राज्य विधानमंडल खनिज उत्पादन या रॉयल्टी का उपयोग करता है कोई उपाय सूची II प्रविष्टि 50 के साथ ओवरलैप नहीं होता है।”

(रेखांकन मेरा है)

81. माडा निर्णय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष
निर्णय के पैराग्राफ '365' में पाए जा सकते हैं, जिसे हम तत्काल संदर्भ के लिए नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं:-

"365. उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम निम्नलिखित निष्कर्षों के संदर्भ में संदर्भ में तैयार किए गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं:

365.1. रॉयल्टी एक कर नहीं है। रॉयल्टी एक संविदात्मक प्रतिफल है जो खनन पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के उपभोग के लिए पट्टादाता को दिया जाता है। रॉयल्टी का भुगतान करने की देयता खनन पट्टे की संविदात्मक शर्तों से उत्पन्न होती है। सरकार को किए गए भुगतान को केवल इसलिए कर नहीं माना जा सकता क्योंकि कानून में बकाया के रूप में उनकी वसूली का प्रावधान है; **365.2.** सूची II प्रविष्टि 50 एम पी वी सुंदररामियर⁶⁶ में निर्धारित कानून की स्थिति का अपवाद नहीं है। खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी शक्ति राज्य विधानसभाओं में निहित है। संसद के पास सूची I प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, यह एक सामान्य प्रविष्टि है। संसद के पास सूची I प्रविष्टि 54 के तहत खनिज अधिकारों पर कर लगाने की विधायी क्षमता नहीं है, यह एक सामान्य प्रविष्टि है। चूंकि खनिज अधिकारों पर कर लगाने की शक्ति सूची II प्रविष्टि 50 में सूचीबद्ध है, इसलिए संसद उस विषय-वस्तु के संबंध में अपनी अवशिष्ट शक्तियों का उपयोग नहीं कर सकती है;

365.3. सूची II प्रविष्टि 50 में यह परिकल्पना की गई है कि संसद खनिज विकास से संबंधित कानून के तहत उस प्रविष्टि द्वारा बनाए गए विधायी क्षेत्र पर "कोई भी सीमाएँ" लगा सकती है। एमएमडीआर अधिनियम ने वर्तमान में सूची II प्रविष्टि 50 में परिकल्पित कोई सीमाएँ नहीं लगाई हैं;

365.4. सूची II प्रविष्टि 50 के तहत "कोई भी सीमाएँ" अभिव्यक्ति का दायरा इतना व्यापक है कि इसमें प्रतिबंध, शर्तें, सिद्धांत, साथ ही निषेध लगाना भी शामिल है;

365.5. राज्य विधानसभाओं के पास सूची II प्रविष्टि 49 के साथ अनुच्छेद 246 के तहत ऐसी भूमि पर कर लगाने की विधायी क्षमता है, जिसमें खदानें

⁶⁶ [एम.पी.वी. सुंदररामियर एंड कंपनी बनाम ए.पी. राज्य, 1958 एससीसी ऑनलाइन एससी 22: एआईआर 1958 एससी 468: 1958 एससीआर 1422]

और खदानें शामिल हैं। खनिज युक्त भूमि सूची ॥ प्रविष्टि 49 के तहत “भूमि” के विवरण के अंतर्गत आती है;

365.6. खनिज युक्त भूमि की उपज, उत्पादित खनिज की मात्रा या रॉयल्टी के संदर्भ में, सूची ॥ प्रविष्टि 49 के तहत भूमि पर कर लगाने के उपाय के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है। गुडरिक⁷⁷ में निर्णय इस सीमा तक स्पष्ट किया गया है;

365.7. सूची ॥ प्रविष्टियाँ 49 और 50 अलग-अलग विषय-वस्तुओं से संबंधित हैं और विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। खनिज मूल्य या खनिज उत्पादन का उपयोग सूची ॥ प्रविष्टि 49 के तहत भूमि पर कर लगाने के उपाय के रूप में किया जा सकता है;

365.8. सूची ॥ प्रविष्टि 50 के संबंध में खनिज विकास से संबंधित कानून में संसद द्वारा लगाई गई “सीमाएँ” सूची ॥ प्रविष्टि 49 पर लागू नहीं होती हैं क्योंकि संविधान के तहत इस आशय का कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है; और

365.9. इंडिया सीमेंट¹, उड़ीसा सीमेंट¹⁶³ 163163163163163, फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान³³⁸ 338338338338338, महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स¹⁶⁵ 165165165165165, सौराष्ट्र सीमेंट¹⁶⁴ 164164164164164, महानदी कोलफील्ड्स²⁵¹ 251251251251251 और पी कन्नडसन²⁶¹ 261261261261261 के फैसले वर्तमान मामले में की गई टिप्पणियों की सीमा तक खारिज किए जाते हैं।”

82. अब जीएसटी कानून की बात करें तो संविधान (101वां संशोधन)

अधिनियम, 2016 की धारा 9 के तहत भारत के संविधान में अनुच्छेद 269A जोड़ा गया।

अनुच्छेद 269A इस प्रकार है:-

“**269-ए.** अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण।- (1) अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान

⁷⁷ [गुडरिक ग्रुप लिमिटेड बनाम डब्ल्यू.बी. राज्य, 1995 सप (1) एस.सी.सी. 707]

¹¹ (इंडिया सीमेंट लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य, (1990) 1 एससीसी 12)

¹⁶³¹⁶³ उड़ीसा सीमेंट लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य, 1991 सप (1) एससीसी 430, पैरा 36

³³⁸³³⁸ फेडरेशन ऑफ माइनिंग एसोसिएशन ऑफ राजस्थान बनाम राजस्थान राज्य, 1992 सप्लीमेंट (2) एससीसी 239

¹⁶⁵¹⁶⁵ एम.पी. राज्य बनाम महालक्ष्मी फैब्रिक मिल्स लिमिटेड, 1995 सप (1) एससीसी 642

¹⁶⁴¹⁶⁴ सौराष्ट्र सीमेंट और केमिकल इंडस्ट्रीज बनाम भारत संघ, (2001) 1 एससीसी 91

²⁵¹²⁵¹ उड़ीसा राज्य बनाम महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, 1995 सप (2) एससीसी 686

²⁶¹²⁶¹ पी. कन्नदासन बनाम टी.एन. राज्य, (1996) 5 एससीसी 670

आपूर्ति पर माल और सेवा कर भारत सरकार द्वारा उद्गृहीत और संग्रहित किया जाएगा और ऐसा कर संघ और राज्यों के बीच उस तरीके से विभाजित किया जाएगा जैसा कि संसद द्वारा माल और सेवा कर परिषद की सिफारिशों पर कानून द्वारा प्रदान किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, भारत के क्षेत्र में आयात के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति को अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति माना जाएगा।

(2) खंड (1) के अंतर्गत किसी राज्य को आबंटित राशि भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(3) जहां खंड (1) के अंतर्गत लगाए गए कर के रूप में संगृहीत राशि का उपयोग अनुच्छेद 246-ए के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, ऐसी राशि भारत की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(4) जहां अनुच्छेद 246-ए के अंतर्गत किसी राज्य द्वारा लगाए गए कर के रूप में संगृहीत राशि का उपयोग खंड (1) के अंतर्गत लगाए गए कर के भुगतान के लिए किया गया है, ऐसी राशि राज्य की संचित निधि का भाग नहीं होगी।

(5) संसद कानून द्वारा आपूर्ति के स्थान का निर्धारण करने के लिए सिद्धांत तैयार कर सकती है, और जब अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति होती है।”

83. साथ ही अनुच्छेद 246-ए भी जोड़ा गया है, जिसका उल्लेख नीचे किया

गया है:-

“246-ए. माल और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान.- (1) अनुच्छेद 246 और 254 में किसी बात के होते हुए भी, संसद और, खंड (2) के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को संघ या ऐसे राज्य द्वारा लगाए गए माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की शक्ति है। (2) संसद को माल और सेवा कर के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्ति है, जहां माल या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति अंतर-राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होती है। स्पष्टीकरण.- इस अनुच्छेद के प्रावधान, अनुच्छेद 279-ए के खंड (5) में निर्दिष्ट माल और सेवा कर के संबंध में, माल और सेवा कर परिषद द्वारा अनुशंसित तिथि से प्रभावी होंगे।”

84. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, संसद ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 पारित किया। अधिनियम की प्रस्तावना इस प्रकार है:-

“केन्द्रीय सरकार द्वारा माल या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रहण करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों के लिए प्रावधान करने हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-”

85. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि खनन लाइसेंस प्रदान करना अनिवार्य रूप से खनिज अधिकार का प्रयोग है, इसलिए कोई भी कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जा सकता है और अनुच्छेद 246ए के प्रावधान में निहित गैर-बाधा खंड के बावजूद राज्य और केंद्र को जीएसटी लगाने के लिए कानूनी क्षमता प्रदान करने के लिए सेवा में नहीं लाया जा सकता है, जिसे खारिज किया जा सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 246ए माल और सेवा कर के संबंध में एक विशेष प्रावधान है। सूची II, सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 50 के तहत इस विषय पर कानून बनाने की राज्य की शक्ति और विशेष प्रावधानों के तहत शक्ति को अच्छी तरह से सुसंगत बनाया जा सकता है।

86. इसी प्रकार, बिहार राज्य के विधानमंडल ने बी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 को अधिनियमित किया, जो राज्य सरकार द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्य आपूर्ति पर कर लगाने और संग्रह करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए प्रावधान करता है। सी.जी.एस.टी. अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न तिथियों पर अधिसूचित किया गया। केंद्र सरकार ने 22 जून 2017 को उक्त अधिनियम की धारा 1, 2, 3, 4, 5, 10, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 139, 146 और 164 के प्रावधान लागू होने की तिथि निर्धारित की (अधिसूचना संख्या 1/2017-केंद्रीय कर, दिनांक 19.06.2017 से 22.06.2017 तक)। पुनः अधिसूचना संख्या 9/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 28.06.2017 के द्वारा केन्द्र सरकार ने 1 जुलाई, 2017 को उक्त

अधिनियम की धारा 6 से 9, 11 से 21, 31 से 41, 42 के उपबंध धारा 42 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोड़कर, 43, धारा 43 की उपधारा (9) के परन्तुक को छोड़कर, 44 से 50, 53 से 138, 140 से 145, 147 से 163, 165 से 174 के उपबंध लागू होने की तिथि निर्धारित की है।

87. वर्तमान मामले के प्रयोजन के लिए, हम धारा 2, खंड (102) के तहत प्रदान की गई "सेवाओं" शब्द की परिभाषा पर ध्यान देते हैं - "सेवाओं" का अर्थ माल, धन और प्रतिभूतियों के अलावा कुछ भी है, लेकिन इसमें धन के उपयोग से संबंधित गतिविधियाँ शामिल हैं या नकदी या किसी अन्य तरीके से एक रूप, मुद्रा या संप्रदाय से दूसरे रूप, मुद्रा या संप्रदाय में इसका रूपांतरण जिसके लिए एक अलग विचार लिया जाता है; 1[स्पष्टीकरण.—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "सेवाओं" की अभिव्यक्ति में प्रतिभूतियों में लेनदेन को सुविधाजनक बनाना या व्यवस्थित करना शामिल है;]

88. शब्द "राज्य कर" को धारा 2 खंड (104) के तहत परिभाषित किया गया है, जिसका अर्थ है किसी भी राज्य माल और सेवा कर अधिनियम के तहत लगाया गया कर।

89. सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 7 में आपूर्ति के दायरे की बात की गई है। धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ए) में लाइसेंस, किराया और प्रतिफल के लिए पट्टे सहित माल या सेवाओं की आपूर्ति के सभी प्रकार शामिल हैं। इसलिए, यह स्पष्ट है कि खानों को पट्टे पर देना और प्रतिफल के लिए पट्टेदार को खनिज अधिकार प्रदान करना सेवाओं की आपूर्ति के अर्थ में आता है।

90. अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष, याचिकाकर्ता की ओर से उठाए गए तर्कों में से एक छूट अधिसूचना संख्या 12/2017 के सीरियल नंबर '64'

के तहत छूट के लिए उनके दावे के संबंध में था। रिट आवेदन पर बहस करते समय, विद्वान वरिष्ठ वकील ने विशेष रूप से इस बिंदु पर बहस नहीं की है।

सेवाओं का वर्गीकरण – अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर); 27/2018-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 31.12.2018 और परिपत्र संख्या 164/2021 दिनांक 06.10.2021-चर्चा की गई

91. अब, हम सबसे पहले अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 पर विचार करेंगे, जिसे केन्द्र सरकार ने सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 की उपधारा (1), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 16 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिषद की सिफारिशों पर जारी किया है। अधिसूचना में विशेष रूप से कहा गया है कि "केन्द्र सरकार, परिषद की सिफारिशों पर और यह निर्दिष्ट किए जाने पर कि जनहित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा अधिसूचित करती है कि नीचे दी गई तालिका के कॉलम (3) में निर्दिष्ट विवरण की सेवाओं की अंतर-राज्य आपूर्ति पर, जो कॉलम (2) में निर्दिष्ट सेवाओं के वर्गीकरण की योजना के अध्याय, खंड या शीर्षक के अंतर्गत आती हैं, केन्द्रीय कर की दर से लगाया जाएगा। जैसा कि कॉलम (4) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट है, उक्त तालिका के कॉलम (5) में संबंधित प्रविष्टि में निर्दिष्ट शर्तों के अधीन है, जो निम्नानुसार है:-

क्रमांक	अध्याय, खंड या शीर्षक	सेवा का विवरण	दर (प्रतिशत)	शर्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

92. सेवाओं के वर्गीकरण की योजना भी अधिसूचना संख्या 11/2017 के साथ अनुलग्नक के माध्यम से प्रदान की गई है। समूह 99733 का प्रासंगिक वर्गीकरण निम्नानुसार है:-

250	समूह		बौद्धिक संपदा और इसी तरह के उत्पादों के उपयोग के अधिकार
-----	------	--	---

	99733		के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
251		997331	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और डेटाबेस का उपयोग करने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
252		997332	मूल फिल्मों, ध्वनि रिकॉर्डिंग, रेडियो और टेलीविजन कार्यक्रम और इसी तरह के प्रसारण और प्रदर्शन के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
253		997333	मूल कला कृतियों के पुनरुत्पादन के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
254		997334	पांडुलिपियों, पुस्तकों, पत्रिकाओं और पत्रिकाओं के पुनर्मुद्रण और प्रतिलिपि के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
255		997335	अनुसंधान एवं विकास उत्पादों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
256		997336	ट्रेडमार्क और फ्रेंचाइजी के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
257		997337	खनिजों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ, जिसमें अन्वेषण और मूल्यांकन शामिल है
258		997338	दूरसंचार स्पेक्ट्रम सहित अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ
259		997339	अन्य बौद्धिक संपदा उत्पादों और अन्य संसाधनों का उपयोग करने के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवाएँ जो कहीं और वर्गीकृत नहीं हैं

(रेखांकन मेरा है।)

93. अधिसूचना संख्या 27/2018-केन्द्रीय कर (दर), दिनांक 31.12.2018 के तहत केन्द्र सरकार ने भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 11/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28 जून, 2017 में और संशोधन किए। एक संशोधन कॉलम (3) में मद संख्या VIII के लिए क्रम संख्या 17 और कॉलम '3', '4' और '5' में उससे संबंधित प्रविष्टियों के विरुद्ध लाया गया। निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया गया:-

“(ई) क्रम संख्या 17 के समक्ष, स्तंभ (3) में मद (viii) और स्तंभ (3), (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

(3)	(4)	(5)
“(viiia) माल को पट्टे पर देना या किराए पर देना	केंद्रीय कर की वही दर जो समान वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू होती है जिसमें स्वामित्व का हस्तांतरण शामिल है	-
(viii) लीजिंग या किराये की सेवाएं, ऑपरेटर के साथ या उसके बिना, उपरोक्त (i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii), और (viiia) के अलावा	9	-

94. उपर्युक्त अधिसूचनाओं के मद्देनजर, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ने मूल आदेश में माना कि आवेदक द्वारा की गई गतिविधि पर 31.12.2018 तक 5% जीएसटी (2.5% सीजीएसटी + 2.5% एसजीएसटी) लगेगा और अधिसूचना संख्या 11/2017 दिनांक 28.06.2017 की क्रम संख्या 17 की अवशिष्ट प्रविष्टियों के तहत 01.01.2019 से 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से कर लगेगा, जैसा कि अधिसूचना संख्या 27/2018 दिनांक 31.12.2018 द्वारा संशोधित किया गया है।

95. हालाँकि, विभाग ने अपीलीय प्राधिकरण के ध्यान में 06.10.2021 का परिपत्र संख्या 164/2021 लाया, जो जीएसटी परिषद की 45 वीं बैठक की सिफारिश पर जारी किया गया था। उक्त परिपत्र का प्रासंगिक भाग अपीलीय आदेश के पैराग्राफ ‘7.3’ में उद्धृत किया गया है और हम इसे नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैं:-

“7.3 उक्त सेवा पर लागू कर की दर के मुद्दे पर विचार करते समय परिषद ने निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दिया:-

“(क) जीएसटी परिषद ने 3 और 4 नवंबर, 2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि सेवाओं की आपूर्ति पर सामान्यतः 18% की दर से कर लगाया जाएगा;

(ख) इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जीएसटी परिषद ने 18 और 19 मई, 2019 को आयोजित अपनी 14 वीं बैठक में सेवाओं की दर अनुसूचियों (5%, 12%, 18% और 28%) की सिफारिश करते हुए विशेष रूप से

सिफारिश की थी कि सभी अवशिष्ट सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा।

(ग) सेवा कर के तहत खनिज अन्वेषण लाइसेंस और खनन पट्टे के अनुदान की सेवा पर लागू दर भी 15.5% की मानक दर थी। इस श्रेणी के तहत सेवाओं को जीएसटी में 18% की मानक दर दी गई है;

(घ) इसलिए, हमेशा से इरादा इस गतिविधि/आपूर्ति पर 18% की मानक दर से कर लगाने का रहा है।”

अग्रिम निर्णय पर अपीलीय प्राधिकारी का आदेश - स्वीकृत

96. अपीलीय आदेश के पैराग्राफ ‘7.4’ में अपीलीय प्राधिकरण ने परिपत्र के प्रासंगिक भाग को उद्धृत किया है, जिसमें कहा गया है कि “जैसा कि परिषद द्वारा अनुशंसित किया गया है, यह स्पष्ट किया जाता है कि भले ही दर अनुसूची में खनन अधिकारों के अनुदान के माध्यम से सेवा का विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया हो, 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के दौरान, यह अवशिष्ट जीएसटी दर के लिए परिषद की 14 वीं बैठक में निर्धारित सिद्धांत के मद्देनजर 18% पर कर योग्य था। 1 जनवरी, 2019 के बाद, जैसा कि ऊपर कहा गया है, कोई विवाद नहीं बचा है”।

97. उपर्युक्त अधिसूचनाओं से हम पाते हैं कि क्रमांक 17 के अंतर्गत 2017 की अधिसूचना संख्या 11 ने उपरोक्त (i), (ii), (iii) और (iv) के अलावा ऑपरेटर के साथ या उसके बिना लीजिंग या किराये की सेवाओं को उसी केंद्रीय कर की दर पर कर योग्य बना दिया है जो माल में शीर्षक के हस्तांतरण से संबंधित समान वस्तुओं की आपूर्ति पर लागू है। जीएसटी परिषद को एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया है और उक्त जीएसटी परिषद ने 3 और 4 नवंबर, 2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि सेवाओं की आपूर्ति पर सामान्य रूप से 18% की दर से कर लगाया जाएगा। अपनी 18 और 19 मई, 2019 की बैठक में, जीएसटी परिषद ने सेवाओं के लिए दर अनुसूची (5%, 12%, 18% और 28%) की सिफारिश करते हुए विशेष रूप से सिफारिश की कि सभी अवशिष्ट सेवाओं पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। इन परिस्थितियों में, हमारी राय में, अग्रिम

निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण ने 01.07.2017 से 31.12.2018 की अवधि के लिए 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से कर की दर के संबंध में कोई विचार करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

अपीलीय प्राधिकारी द्वारा छूट के दावे को सही रूप से नकार दिया गया

98. अधिसूचना संख्या 12/2017 की क्रम संख्या 64 के अंतर्गत दावा की गई छूट के संबंध में, अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण ने सही रूप से यह विचार किया है कि उक्त छूट मेसर्स बीएससीपीएल को उपलब्ध नहीं होगी। अपीलीय आदेश के पैराग्राफ '9.1' में कारण दिए गए हैं, जिन्हें हम तत्काल संदर्भ के लिए नीचे उद्धृत कर रहे हैं:-

"9.1 इस मुद्दे से अलग होने से पहले यह भी स्पष्ट किया जा रहा है कि उक्त अभिव्यक्ति "... जहां उपयोग का ऐसा अधिकार 1 अप्रैल, 2016 से पहले केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सौंपा गया था:..." उक्त अधिसूचना संख्या 12/2017 (सुप्रा) के क्रम संख्या 64 में होने से भी केवल तथ्यात्मक आधार पर प्रतिवादी को कोई लाभ नहीं होता है। प्रतिवादी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए समझौते और अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से पता चलता है कि खनन विभाग, बिहार सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के संबंध में अलग-अलग वार्षिक समझौता और कार्य आदेश जारी किए गए थे। यहां तक कि प्रतिवादी ने स्वयं इस उत्तर के पैरा 16 में कहा है कि:-

"पटना, सारण और भोजपुर। इसके परिणामस्वरूप, पटना और भोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अलग-अलग वार्षिक समझौते निष्पादित किए गए।"

99. हमने पहले ही 2017 की अधिसूचना संख्या 12 के पैराग्राफ '68' के क्रम संख्या 64 को पुनः प्रस्तुत कर दिया है।

100. संभवतः उपर्युक्त कारण से, रिट आवेदन में मेसर्स बीएससीपीएल/याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अपने तर्कों के किसी भी सूत्रीकरण के तहत छूट के इस मुद्दे को नहीं उठाया है, जिसका उल्लेख लिखित टिप्पणियों के पैराग्राफ 'ए' से 'डी' में किया गया है, जिन्हें हमने ऊपर पैराग्राफ '15' में पुनः प्रस्तुत किया है।

ब्याज का हस्तांतरण खनिज अधिकारों के प्रयोग से अलग है - रॉयल्टी का उपयोग

रॉयल्टी पर कर के उपाय के रूप में किया जा सकता है

101. उपरोक्त संपूर्ण चर्चाओं से, इस न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा अनुच्छेद '15' के अनुच्छेद ए से ई के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए तर्कों का कोई आधार नहीं है। माडा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रॉयल्टी कोई कर नहीं है। यह खनन पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के उपभोग के लिए पट्टाकर्ता को दिया जाने वाला एक संविदात्मक प्रतिफल है। रॉयल्टी केवल पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के प्रयोग पर देय होती है, अर्थात् खनिजों को हटाना या उनका उपभोग करना। खनिजों में हित का हस्तांतरण खनिज अधिकारों के प्रयोग से अलग है और इसके अलावा यह स्पष्ट है कि चूंकि रॉयल्टी खनिज उत्पादन के आधार पर निर्धारित की जाती है, इसलिए रॉयल्टी का उपयोग रॉयल्टी पर कर निर्धारित करने के उपाय के रूप में भी किया जा सकता है।

यह तर्क कि रॉयल्टी में विनियामक और सेवा शुल्क के लिए एक संयुक्त शुल्क

शामिल है- नकारात्मक

102. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क कि खनिज रियायत/खनन पट्टे के अनुदान में प्रतिफल के रूप में सेवाओं की आपूर्ति शामिल है और इस तरह के प्रतिफल में विनियामक और सेवा शुल्क के लिए एक संयुक्त शुल्क शामिल है, माडा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विपरीत है। फैसले में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रॉयल्टी एक ऐसा प्रतिफल है जो खनन पट्टेदार द्वारा खनिज अधिकारों के आनंद के लिए

और खनिजों के मालिक द्वारा खनिजों के मूल्य के नुकसान की भरपाई के लिए पट्टाकर्ता को दिया जाता है। यह खनन पट्टे की संविदात्मक शर्त से उत्पन्न होता है।

103. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किए गए निवेदनों में से एक यह है कि खनिज अधिकारों के प्रयोग के मामले में रॉयल्टी पर कर लगाने के मामले में सरकार की ओर से भेदभाव किया जाता है। यह प्रस्तुत किया गया है कि शराब लाइसेंस को माल और सेवाओं की आपूर्ति के रूप में नहीं माना जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि अधिसूचना संख्या 25/2019 - केंद्रीय कर (दर) दिनांक 30.09.2019 घोषित करती है कि लाइसेंस शुल्क या आवेदन शुल्क या किसी भी नाम के रूप में विचार के विरुद्ध मादक शराब लाइसेंस के अनुदान के माध्यम से सेवाओं को न तो माल की आपूर्ति के रूप में माना जाना चाहिए और न ही सेवाओं की आपूर्ति के रूप में। अधिसूचना स्पष्ट करती है कि इसे 26 वीं जीएसटी परिषद की बैठक की सिफारिशों को लागू करने के लिए जारी किया गया है, जहां यह सिफारिश की गई है कि उपरोक्त प्रकृति के लाइसेंस शुल्क/आवेदन शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। अपने प्रस्तुतीकरण में, विद्वान वरिष्ठ वकील श्री घोष ने दलील दी है कि यह राज्य सरकार द्वारा शराब लाइसेंस प्रदान करने के माध्यम से सेवाओं की आपूर्ति के लिए केवल विशेष छूट की प्रकृति का है और विशेष छूट का यह प्रावधान उचित वर्गीकरण पर आधारित नहीं है। उनके अनुसार, खनन उद्योग को कम से कम अधिसूचना संख्या 25/2017 की तिथि 30.09.2019 से शराब उद्योग के बराबर रखा जा सकता है। इस न्यायालय की राय है कि इस तर्क पर केवल अस्वीकृति के उद्देश्य से ध्यान दिया जाना चाहिए। यह न्यायालय पहले ही सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 97 के तहत एक आवेदन के दायरे और दायरे पर चर्चा कर चुका है। इस न्यायालय ने यह भी देखा है कि कैसे कुछ मुद्दे जो पहले कभी नहीं उठाए गए थे, उन्हें इस न्यायालय में उठाया गया और उन पर बहस की गई। याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील ने अग्रिम निर्णय पर अपीलीय प्राधिकरण के विवादित आदेश को चुनौती देने के अपने प्रयास में यह कहने की हद

तक चले गए कि शराब उद्योग और खनन उद्योग को समान माना जाना चाहिए। विद्वान वरिष्ठ वकील के तर्क में भ्रांति पहली नज़र में ही स्पष्ट हो सकती है। एक बार जब जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय होने के नाते यह मान लेती है कि शराब उद्योग को लाइसेंस देना माल की बिक्री या सेवाओं की आपूर्ति नहीं है और इस कारण से लाइसेंस शुल्क/आवेदन शुल्क पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, तो यह तर्क देने की अनुमति नहीं दी जा सकती कि शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस देना विचार के लिए 'सेवाओं' की आपूर्ति की प्रकृति का है। लीज डीड के तहत खनिज अधिकारों का अनुदान शराब की बिक्री के लिए लाइसेंस के समान नहीं है। इस संबंध में विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है। **लिबर्टी सिनेमा (सुप्रा)** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सेवाओं के लिए शुल्क और लाइसेंस के लिए शुल्क के बीच अंतर पर विचार किया है। लाइसेंस शुल्क लगाने से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि शुल्क दी गई सेवाओं के लिए है, निर्णय के पैराग्राफ '7', '14' और '17' को इसके बाद पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

"7. अब, पहले प्रश्न पर, अर्थात्, क्या लेवी सेवाओं के बदले में है, यह कहा जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि धारा 548 में "फीस" शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन, निश्चित रूप से, प्रयुक्त शब्दों पर कुछ भी निर्भर नहीं करता है। 'फीस' शब्द को अंग्रेजी भाषा में एक कठोर तकनीकी अर्थ प्राप्त नहीं हुआ है, जो केवल सेवाओं के बदले में लेवी को दर्शाता है। इस शब्द के ऐसे अर्थ के लिए कोई प्राधिकरण उद्धृत नहीं किया गया। हालाँकि ऐसा हो सकता है, प्रतिवादी द्वारा यह स्वीकार किया जाता है कि अधिनियम में 'फीस' शब्द का अंधाधुंध प्रयोग किया गया है। यह स्वीकार किया जाता है कि अधिकृत कुछ लेवी कर हैं, हालाँकि उन्हें फीस कहा जाता है। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, जैसा कि मिटर जे ने बताया, धारा 218, 222 और 229 द्वारा अधिकृत लेवी वास्तव में कर हैं, हालाँकि उन्हें फीस कहा जाता है, क्योंकि उनके संबंध में कोई सेवा प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए, इस अधिनियम का उद्देश्य केवल शुल्क शब्द का उपयोग करना नहीं था। सेवाओं के बदले में लगाया जाने वाला शुल्क।

14. किसी लेवी के बदले में दी जाने वाली सेवाओं की प्रकृति, ताकि उसे शुल्क बनाया जा सके, इस पर इस न्यायालय ने कई मामलों में विचार किया है और उन सभी में यह कहा गया है कि सेवाओं से शुल्क का भुगतान करने वाले व्यक्ति को कुछ लाभ अवश्य मिलना चाहिए। इस विषय पर सबसे पहला मामला आयुक्त, हिंदू धार्मिक बंदोबस्ती, मद्रास बनाम श्री लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामी, श्री शिरूर मठ, 1954 एससीआर 1005: (एआईआर 1954 एससी 282) प्रतीत होता है, जहां एससीआर के पृष्ठ 1042 पर कहा गया था: (एआईआर के पृष्ठ 295 पर) "शुल्क एक विशेष लाभ या विशेषाधिकार के लिए भुगतान है। सभी अधिरोपणों का आधार सार्वजनिक हित प्रतीत होता है, लेकिन शुल्क में यह कुछ विशेष लाभ होता है, जो व्यक्ति को प्राप्त होता है"। इसे फिर से पृष्ठ 1042 पर कहा गया था: 1043 (एससीआर का): (एआईआर के पृष्ठ 296 पर) कि सेवाओं के लिए शुल्क के मामले में "सरकार व्यक्तियों के लाभ के लिए कुछ सकारात्मक कार्य करती है और यह पैसा किए गए कार्य या दी गई सेवाओं के बदले में लिया जाता है।" यह मामला एक कानून से संबंधित था, जिसने धार्मिक संस्थाओं पर एक लेवी लगाई थी, जिसे स्पष्ट रूप से सेवाओं के बदले में कहा गया था। कानून में उल्लिखित सेवाओं में अन्य बातों के अलावा सरकार द्वारा संस्थाओं के प्रबंधन की निगरानी करना, उनके खातों का ऑडिट करना और यह देखना शामिल था कि उनकी आय उन उद्देश्यों के लिए उचित रूप से विनियोजित की गई है, जिनके लिए उनकी स्थापना की गई थी। यद्यपि न्यायालय ने स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा था। न्यायालय का संभवतः यह विचार था कि ये संस्थाएँ थीं, जो कर को शुल्क बनाती थीं, क्योंकि न्यायालय ने कर को इस आधार पर अमान्य घोषित कर दिया था कि यह उन सेवाओं की लागत से संबंधित नहीं था और इसलिए यह एक ऐसा कर था जो मद्रास विधानमंडल की क्षमता से परे था जिसने यह कानून बनाया था। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ विचारित सेवाएँ संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं थीं, बल्कि ऐसा कार्य करने के लिए थीं जिससे उन्हें अपने धन की सुरक्षा मिले और उनका उचित उपयोग हो। कानून में संस्थाओं का प्रबंधन करने वाले मठाधिपतियों के आचरण पर नियंत्रण शामिल हो सकता था, लेकिन यह नियंत्रण भी संस्थाओं के लाभ के लिए था। यह याद रखना होगा, जैसा कि दूसरे मामले में कहा गया था, जिसका हम अभी उल्लेख करेंगे, कि मठाधिपति संस्थाओं के ट्रस्टी के पद पर थे। इसका

अर्थ यह है कि उनकी गलत गतिविधियों पर नियंत्रण से संस्थाओं को विशेष लाभ अवश्य होगा, क्योंकि तब उनका धन व्यर्थ नहीं जाएगा।

17. इस संबंध में हम जिस दूसरे मामले का उल्लेख करना चाहते हैं, वह है हिंगिर रामपुर कोल कंपनी लिमिटेड बनाम उड़ीसा राज्य, (1961) 2 एससीआर 537: (एआईआर 1961 एससी 459)। इसमें एक निश्चित कानून द्वारा एक निश्चित क्षेत्र में कोयला खदानों के पट्टेदारों पर लेवी लगाने और उसके साथ एक कोष बनाने पर सवाल उठाया गया था। यह माना गया कि लेवी सेवाओं के बदले में एक शुल्क था और वैध था। एससीआर के पृष्ठ 549 में कहा गया था: (एआईआर के पृष्ठ 466 पर)। "यदि विशेष प्रावधान स्पष्ट रूप से और मुख्य रूप से किसी निर्दिष्ट वर्ग या क्षेत्र के लाभ के लिए है, तो यह तथ्य कि निर्दिष्ट वर्ग या क्षेत्र को लाभ पहुंचाने में पूरे राज्य को अंततः और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ हो सकता है, शुल्क के रूप में लेवी के चरित्र को कम नहीं करेगा।" यह उल्लेख किया जा सकता है कि खनन क्षेत्र के बेहतर विकास के लिए संचार, जल आपूर्ति और बिजली जैसी सुविधाएं प्रदान करने और खदानों के क्षेत्र में रहने वाले या काम करने वाले श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों के कल्याण को पूरा करने के लिए आवश्यक या समीचीन व्यय को पूरा करने के लिए लेवी का उपयोग किया गया था। यहां भी नियंत्रण का कोई तत्व नहीं है, लेकिन सेवाओं के परिणामस्वरूप वास्तविक लाभ हुआ है, विशेष रूप से उन व्यक्तियों को जिन पर लेवी लगाई गई थी। इस न्यायालय के ये निर्णय स्पष्ट रूप से स्थापित करते हैं कि लेवी को प्रदान की गई सेवाओं के लिए शुल्क बनाने के लिए लेवी को उन व्यक्तियों को विशेष लाभ प्रदान करना चाहिए जिन पर इसे लगाया गया है। हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसमें यह माना गया हो कि जिन व्यक्तियों पर लेवी लगाई गई है, उनकी गतिविधियों पर केवल नियंत्रण रखना ताकि ये गतिविधियाँ अधिक बोझिल हो जाएं, उन्हें दी गई सेवा है जो लेवी को शुल्क बनाती है।"

104. अधिसूचना संख्या 12, 2017 शीर्ष 99733 के अंतर्गत आने वाली सेवाओं पर कर लगाती है। अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण के आदेश को चुनौती देने की आइ में, यह न्यायालय याचिकाकर्ताओं को यह तर्क देने की अनुमति नहीं देगा कि अधिसूचना संख्या 12, 2017 में शीर्ष 99733 के अंतर्गत कर लगाना भेदभावपूर्ण है, क्योंकि

शराब उद्योग को लाइसेंस सेवाओं की आपूर्ति के दायरे से बाहर रखा गया है। यह तर्क उचित नहीं है।

105. परिणामस्वरूप, हमें याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के किसी भी तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है। रिट आवेदनों का निपटारा किया जाता है।

सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9140 वर्ष 2023, सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9162 वर्ष 2023 और

सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9947 वर्ष 2023

106. इन रिट आवेदनों में याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित दिनांक 23.01.2023 (अनुलग्नक '3') के आदेश को चुनौती दी है, जिसमें क्रमशः 2017-18: 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया गया था।

107. ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने बिहार सरकार के साथ रेत (लघु खनिज के रूप में) के खनन के लिए बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 (बिहार लघु खनिज रियायत (संशोधन) नियम 2014 द्वारा संशोधित) और उसके तहत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार एक समझौता किया है। रेत के खनन के लिए खनन विभाग, बिहार सरकार के साथ दिनांक 28.05.2019 को किए गए समझौते की प्रति अनुलग्नक '1' के रूप में संलग्न की गई है।

108. याचिकाकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73 के तहत नोटिस भेजा गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि उसने देय कर का भुगतान नहीं किया है। राज्य कर विभाग, बाघा के प्राधिकारी ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा खनन विभाग, बेतिया को भुगतान की गई राशि और उनके द्वारा जीएसटीआर-3 बी में दर्शाई गई कर योग्य राशि के बीच अंतर था। याचिकाकर्ता को सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 50 के तहत लागू ब्याज के साथ कर की निर्धारित राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस भेजा गया था।

109. रिट आवेदन के अनुलग्नक '2' से यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता निर्धारित कर तथा लागू ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है, जिसके बाद याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया कि क्यों न वह धारा 20 के तहत देय कर तथा उस पर देय ब्याज तथा सीजीएसटी/बीजीएसटी अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत लगाए जाने वाले जुर्माने का भुगतान करे। सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया, लेकिन याचिकाकर्ता ने राशि का भुगतान नहीं किया। इन परिस्थितियों में अनुलग्नक '2' में निहित आदेश पारित किया गया है।

110. याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश (अनुलग्नक '3') के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की। अपनी अपील में उन्होंने तर्क दिया कि सेवा को "अचल संपत्ति पर किराए पर लेना" के रूप में वर्गीकृत करना सही नहीं है और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों की पीठ द्वारा **इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड बनाम तमिलनाडु राज्य (1990) 1 एससीसी 12** के मामले में दिए गए निर्णय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अन्य निर्णयों के मद्देनजर सेवा का वर्गीकरण अवैध और अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

111. रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने यह मुद्दा उठाया है कि क्या एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 9/15 (3) के तहत निर्धारित रॉयल्टी कर की प्रकृति की है? याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए अन्य मुद्दे यह हैं कि खदानों से उत्पादित/खनन/निष्कर्षित खनिजों पर देय रॉयल्टी/डेडरेंट की वास्तविक प्रकृति क्या है। संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 50 की सूची II में खनिज अधिकारों पर "कर" अभिव्यक्ति का दायरा और अन्य संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं। रिट आवेदन में उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि प्रतिवादी संख्या 2 और प्रतिवादी संख्या 3 का आदेश डिजिटल हस्ताक्षर के बिना है जो नियमों के नियम 26(3) के विपरीत है, इसलिए यह शुरू से ही शून्य होगा।

112. प्रतिवादी संख्या 2 और 3 की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। इसमें कहा गया है कि रॉयल्टी का भुगतान नदी की भूमि से रेत निकालने के लिए

पट्टे पर अधिकार प्रदान करने के लिए प्रतिफल के रूप में पट्टाकर्ता को किया जाता है। इसलिए, बीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 15 के अनुसार, पट्टाकर्ता को दी जाने वाली रॉयल्टी पट्टेदार को सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य (प्रतिफल) है और इस पर 18% (9% सीजीएसटी + 9% एसजीएसटी) की दर से कर लगता है। इसमें कहा गया है कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 97 के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय VII के तहत सेवा कर लागू किया गया। उक्त अधिनियम की धारा 65 बी के खंड (44) में 'सेवा' शब्द को परिभाषित किया गया है। वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अंतर्गत 01.05.2011 तक कर योग्य सेवाओं को परिशिष्ट-1 में सूचीबद्ध किया गया था। जिसके अनुसार खनन भी एक कर योग्य सेवा थी और खनन के लिए पट्टाधारक सेवा कर का भुगतान करते थे। यह प्रस्तुत किया गया है कि सेवा कर को सीजीएसटी अधिनियम और बीजीएसटी अधिनियम में शामिल कर दिया गया है और 01.07.2017 से इस अधिनियम के लागू होने के साथ ही सेवा कर का स्वतंत्र अस्तित्व समाप्त हो गया है।

113. यह प्रस्तुत किया गया है कि बी.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के तहत जी.एस.टी. का शुल्क वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लगाया जाता है। बी.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 7 के तहत "आपूर्ति" शब्द को समावेशी तरीके से परिभाषित किया गया है और इसमें विचार के लिए की गई सभी गतिविधियाँ शामिल हैं, जब तक कि बी.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम की अनुसूची III के तहत स्पष्ट रूप से बहिष्कृत न किया गया हो। यह प्रस्तुत किया गया है कि सरकार द्वारा खनिज अधिकारों का उपयोग करने के अधिकार का असाइनमेंट सेवा की आपूर्ति है और याचिकाकर्ता द्वारा रॉयल्टी का भुगतान इसका एक विचार है।

114. उत्तर देने वाले प्रतिवादियों ने बी.जी.एस.टी./सी.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 के प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या की है, जिसमें केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. परिषद

की सिफारिश पर अधिसूचना संख्या 13/2017-केन्द्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 जारी की है। उपर्युक्त अधिसूचना की क्रम संख्या 5 के अनुसार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, केन्द्र शासित प्रदेश या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार के असाइनमेंट के माध्यम से पट्टे पर काम के संबंध में किसी व्यावसायिक इकाई को प्रदान की गई सेवाओं पर आर.सी.एम. आधार पर कर लगाया जा सकता है। उत्तर देने वाले प्रतिवादियों ने कहा है कि याचिकाकर्ता ने राज्य सरकार के खान विभाग को अपने द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की राशि को रिटर्न में दर्शाए गए टर्नओवर में छिपाया है और इसके परिणामस्वरूप सरकार को कम कर राशि का भुगतान किया गया है। इन परिस्थितियों में, टर्नओवर को छिपाने का मामला सामने आया जिसके लिए BGST/CGST अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) के तहत कार्यवाही की आवश्यकता थी। इस पृष्ठभूमि में, GST DRC-01 के रूप में कारण बताओ नोटिस के सारांश के साथ कारण बताओ नोटिस को GSTBO पोर्टल पर अपलोड करके याचिकाकर्ता को भेजा गया था, लेकिन याचिकाकर्ता द्वारा उक्त कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता के खिलाफ BGST/CGST अधिनियम की धारा 73(9) के तहत कर, ब्याज और जुर्माना लगाने का दिनांक 02.02.2021 का आदेश पारित किया गया है।

115. प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि **माडा मामले** में नौ न्यायाधीशों की पीठ के 8:1 के निर्णय द्वारा पहले ही यह माना जा चुका है कि रॉयल्टी कर की प्रकृति की नहीं है। प्रस्तुत किया गया कि खदानों के पट्टे की रॉयल्टी पर जीएसटी लगाने की वैधता को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में **रिट याचिका (सिविल) संख्या 1076/2021 मेसर्स लखविंदर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य** में चुनौती दी गई थी। उक्त रिट याचिका को पहले ही दिनांक 04.01.2022 के आदेश द्वारा खारिज किया जा चुका है। एसएलपी (सी) संख्या 3726/2017 अर्थात् उदयपुर चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य में निम्नलिखित आदेश पारित किया है:-

“i. हम इस न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। याचिकाकर्ताओं के पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत संबंधित उच्च न्यायालयों में जाने का एक वैकल्पिक और प्रभावी उपाय है।

ii. याचिकाकर्ताओं को तदनुसार खारिज किया जाता है, जिससे याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार अपने उपाय करने का विकल्प मिलता है।

iii. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा किया जाता है।”

116. याचिकाकर्ता की इस दलील के संबंध में कि अनुलग्नक '2' और '3' में डिजिटल हस्ताक्षर नहीं हैं, विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि **राकेश रंजन बनाम बिहार राज्य और अन्य** (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 1200/2023) में, इस न्यायालय ने अपने दिनांक 05.05.2023 के निर्णय के माध्यम से पहले ही माना है कि हस्ताक्षर करने में चूक मात्र से मूल्यांकन कार्यवाही अमान्य नहीं हो सकती। विद्वान वकील ने **राकेश रंजन (सुप्रा)** के मामले में इस न्यायालय के विद्वान समन्वय पीठ द्वारा पारित निर्णय की एक प्रति अनुलग्नक 'ई' के रूप में प्रति-शपथपत्र में संलग्न की है।

117. हम मेसर्स बीएससीपीएल (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3531/2022) के मामले में इस विषय पर कानून पर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक ही बात को एक बार फिर दोहराने का कोई मतलब नहीं है। हमारा यह विचार है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा इन रिट आवेदनों में आरोपित निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं बनाया गया है।

118. इसके अलावा, हम पाते हैं कि **राकेश रंजन (सुप्रा)** के मामले में, विद्वान समन्वय पीठ ने माना है कि हस्ताक्षर करने में चूक मात्र से मूल्यांकन कार्यवाही को अमान्य नहीं किया जा सकता है।

सीडब्ल्यूजेसी संख्या 11538/2023

119. इस रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की

है:-

“(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए अपील वाद संख्या AD10052200653U वाले अपील मामले में अपर आयुक्त (अपील), तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 28.01.2023 के आदेश को अपास्त करने के लिए उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश जारी करने के लिए जिसके तहत अपीलीय प्राधिकारी ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पारित दिनांक 12.01.2021 के आदेश संख्या ZD100121010344K को बरकरार रखा और याचिकाकर्ता को APL-04 जारी करने का निर्देश दिया।

(ii) राज्य कर क्षेत्राधिकार के उपायुक्त, मुजफ्फरपुर पूर्वी अंचल, मुजफ्फरपुर द्वारा पारित दिनांक 04.12.2020 के आदेश को अपास्त करने के लिए जिसके तहत प्रतिवादी उपायुक्त ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी के विरुद्ध याचिकाकर्ता पर कर लगाया है और बीजीएसटी अधिनियम की धारा 73(1) और जीएसटी डीआरसी 07 के निर्देश के तहत क्रमशः 13,86,433/-, 1,38,643/- और 7,07,081/- रुपये की राशि का कर, जुर्माना और ब्याज लगाया है। (iii) डीआरसी 07 के फॉर्म में जारी संदर्भ संख्या ZD100121010344K दिनांक 12.01.2021 वाले मांग नोटिस को अपास्त करने और रुपये की मांग के लिए। याचिकाकर्ता के खिलाफ 44,64,314/- का मुकदमा दायर किया गया है।

(iv) प्रतिवादी अधिकारियों को डीआरसी-13 जारी करने से रोकने और बैंक खाता कुर्की के माध्यम से कर राशि की वसूली के लिए वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए।

(v) उचित रिट, आदेश और/या निर्देश जारी करने के लिए, जैसा कि आप माननीय न्यायाधीश न्याय के हित में इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उचित और उचित समझें।”

120. याचिकाकर्ता ने सवाल उठाया है कि क्या रॉयल्टी कर की प्रकृति की है?

याचिकाकर्ता के अनुसार, रॉयल्टी को प्रतिफल नहीं माना जा सकता और इसलिए, उक्त रॉयल्टी पर जीएसटी नहीं लगाया जा सकता। रिट याचिका में यह भी कहा गया है कि यह मुद्दा **माडा मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचाराधीन है।

121. इस न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे का उत्तर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **माडा** निर्णय में पहले ही दिया जा चुका है। हम मेसर्स BSCPL के मामले में उन मुद्दों पर पहले ही विचार कर चुके हैं। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

122. इसलिए, हमें आरोपित आदेशों और मांग नोटिस में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिला। याचिकाकर्ता, यदि सलाह दी जाती है, तो कानून के अनुसार उपलब्ध वैधानिक उपाय, यदि कोई हो, का लाभ उठा सकता है।

123. यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

सीडब्ल्यूजेसी संख्या 16764/2023

124. वर्तमान रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत के लिए प्रार्थना की है:-

- (i) प्रतिवादी संयुक्त आयुक्त, राज्य कर, शाहाबाद अंचल, आरा के हस्ताक्षर से जारी पत्र संख्या 247 दिनांक 18.10.2023 को निरस्त करने के लिए, जिसमें याचिकाकर्ता को पत्र संख्या 4579 दिनांक 04.11.2023 के साथ सूचित किया गया है कि रॉयल्टी पर जीएसटी के भुगतान के बाद, सफल निविदाकर्ता को उसके पक्ष में बंदोबस्त किए गए बालू घाटों के संबंध में खनन की अनुमति दी जा सकती है;
- (ii) प्रतिवादी खान विकास अधिकारी, जिला खनन कार्यालय, भोजपुर, आरा द्वारा जारी पत्र संख्या 4579 दिनांक 04.11.2023 को निरस्त करने के लिए, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को दो बालू घाटों, अर्थात् भोज सोन-33 और भोज-सोन-37 के बालू बंदोबस्त के लिए भुगतान किए जाने वाले प्रीमियम के संबंध में खनन रॉयल्टी पर जीएसटी जमा करने के लिए कहा गया है। चूंकि खदानों या खनिजों पर लगाई जाने वाली रॉयल्टी का घटक अपने आप में एक प्रतिफल है या एक अधिरोपण, इस संबंध में विवाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है;
- (iii) प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता से दो रेत घाटों, अर्थात् भोज-सन-33 और भोज-सन 37 के संबंध में रेत बंदोबस्त की पहली

किस्त स्वीकार करें, बिना याचिकाकर्ता को खदान रॉयल्टी पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए दबाव डाले;

(iv) यह घोषित करने के लिए कि चूंकि यह मुद्दा कि खान रॉयल्टी को घाटों के बंदोबस्त के लिए विचारणीय माना जाए या यह अपने आप में एक कर है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में विशेष अनुमति अपील (सिविल) संख्या 37326/2017 के तहत लंबित है और रॉयल्टी पर सेवा कर लगाने के लिए अंतरिम स्थगन आदेश भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है, प्रतिवादी खान विकास अधिकारी, खान विकास कार्यालय, भोजपुर आरा द्वारा जारी किया गया विवादित पत्र संख्या 4579 दिनांक 04.11.2023 माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उक्त मामले के अंतिम रूप दिए जाने तक निरस्त या स्थगित रखा जाने योग्य है; और/या किसी अन्य उपयुक्त रिट/आदेश/निर्देश के लिए जिसे माननीय न्यायाधीश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझें।”

125. याचिकाकर्ता के अनुसार, उसने दो रेत घाटों, अर्थात् भोज-सन-33 और भोज सन 37 के लिए निविदा में भाग लिया था। याचिकाकर्ता को सबसे अधिक बोली लगाने वाला पाया गया और उसे उसकी निविदा की स्वीकृति के बारे में सूचित किया गया। स्वीकृति पत्र (एलओए) दिनांक 18.01.2023 के पैरा '2' में, निपटान राशि के भुगतान की अनुसूची प्रदान की गई है। 'एलओए' के पैरा '3' में कहा गया है कि प्रतिवादी वाणिज्यिक कर विभाग को प्रचलित दर के अनुसार जीएसटी का भुगतान किया जाना है और याचिकाकर्ता को प्रत्येक किस्त के साथ जीएसटी के भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

126. वर्तमान रिट आवेदन में विवाद का मुख्य बिन्दु रॉयल्टी/सेटलमेंट राशि पर कर देयता है। याचिकाकर्ता ने खनन अधिकारियों द्वारा किए गए संचार पर सवाल उठाया है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि रेत के संबंध में रॉयल्टी पर 18% की दर से जीएसटी लगाया जाएगा और याचिकाकर्ता द्वारा रेत पर रॉयल्टी पर जीएसटी का भुगतान करने के बाद ही खनन की अनुमति दी जाएगी। खनन प्राधिकरण का संचार, यह कहा गया

है, अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकरण, बिहार द्वारा केस संख्या AAAR/01/2021 में पारित दिनांक 10.12.2021 के आदेश पर आधारित है।

127. रिट आवेदन का अध्ययन करने पर यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने अभी तक राज्य सरकार के साथ कोई समझौता नहीं किया है। रिट आवेदन में उठाए गए मुद्दे मेसर्स बीएससीपीएल (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3531/2022) के प्रमुख मामले में उठाए गए मुद्दों के समान हैं, जिसमें अग्रिम निर्णय के लिए अपीलीय प्राधिकारी, बिहार द्वारा पारित दिनांक 10.12.2021 के आदेश को चुनौती दी गई है, हम पाते हैं कि यह मामला मेसर्स बीएससीपीएल के मामले में हमारे उपरोक्त निर्णय के अंतर्गत आता है।

128. यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 17700/2023 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 18206/2023

129. दोनों रिट आवेदनों में निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की गई है:-

क. प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा पत्र संख्या 1654/एम दिनांक 30.11.2023 के तहत जारी मांग नोटिस को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी पत्र संख्या 154/एम दिनांक 25.11.2023 के संदर्भ में जिसके तहत याचिकाकर्ता को बिहार सरकार द्वारा ब्लॉक संख्या 07, नदी चानन, मौजा-गौड़िया, अंचल बांका, जिला बांका में खनन गतिविधियों की अनुमति देने वाली कथित लाइसेंसिंग सेवाओं के अनुदान के खिलाफ खान और भूतत्व विभाग, बिहार सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिए कहा गया है;

ख. प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जारी पत्र संख्या 154 दिनांक 25.11.2023 को निरस्त करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में रिट जारी करने के लिए, जिसके तहत प्रतिवादी 5-खान विकास अधिकारी, बांका को खनन पट्टा धारकों द्वारा भुगतान/देय रॉयल्टी/निपटान राशि पर 18% की दर से जीएसटी वसूलने का अनुरोध किया गया है, जिसमें याचिकाकर्ता भी शामिल है, इस आधार पर कि यह अवैध और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र से बाहर है;

ग. प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता और उसके निदेशकों और अन्य/या हितधारकों के खिलाफ किसी भी प्रक्रिया या कार्रवाई शुरू करने से रोकने के

लिए, खान और भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार द्वारा याचिकाकर्ता को खनन अधिकार प्रदान करने के रूप में प्रदान की गई लाइसेंसिंग सेवाओं के खिलाफ कथित रूप से प्रभार्य जीएसटी के आरोपण, मांग और वसूली के संबंध में;

घ. यह धारण करने और घोषणा करने के लिए कि याचिकाकर्ता द्वारा खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी बिहार राज्य में रेत और पत्थर के खनन के अधिकार के अनुदान के संदर्भ में देय है, उक्त सरकारी विभाग द्वारा प्रदान की गई किसी भी लाइसेंसिंग सेवा के बदले भुगतान किया गया प्रतिफल नहीं है और इसलिए इस पर कोई जीएसटी देय नहीं है;

ड. आगे की सुनवाई तथा घोषणा के लिए कि खनन अधिकारों के अनुदान के विरुद्ध भुगतान की गई रॉयल्टी पर कोई सेवा कर देय नहीं है, यह मुद्दा उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। (विशेष अपील अनुमति संख्या- 37326/2017) जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रॉयल्टी पर सेवा कर की वसूली पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश दिनांक 11.01.2018 पारित किया गया है;

च. आगे की सुनवाई तथा घोषणा के लिए कि प्रतिवादियों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी की वास्तविक प्रकृति कर है अथवा राज्य सरकार द्वारा खनन अधिकार दिए जाने के विरुद्ध प्रतिफल है, जो खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम भारतीय इस्पात प्राधिकरण एवं अन्य (सिविल अपील संख्या 4056-64 वर्ष 1999 एवं अन्य समरूप मामले) के मामले में 9 माननीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष विचाराधीन है;

छ. किसी अन्य राहत या राहतों के अनुदान के लिए, जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जाता है।"

130. दोनों रिट याचिकाओं में एकमात्र अंतर पत्र संख्या के संबंध में है जिसके द्वारा याचिकाकर्ता को मांग नोटिस जारी किया गया है।

131. रिट आवेदन में दिए गए कथन को पढ़ने पर हम पाते हैं कि याचिकाकर्ताओं ने एक सामान्य प्रश्न उठाया है कि क्या याचिकाकर्ताओं द्वारा एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 15(3) के साथ धारा 9 के अनुसार भुगतान की गई रॉयल्टी एक

कर है या राज्य सरकार द्वारा खनन अधिकार दिए जाने के बदले में भुगतान किया गया प्रतिफल है। याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में यह कथन दिया है कि **इंडिया सीमेंट (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सात माननीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने पहले ही माना है कि रॉयल्टी एक कर है। याचिकाकर्ताओं ने यह भी प्रस्तुत किया है कि इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लिए गए विचारों को **माडा** के मामले में नौ माननीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा गया है जो अभी भी लंबित है। हमने मेसर्स बीएससीपीएल (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3531/2022) के मामले में अपने फैसले के पहले भाग में इन सभी मुद्दों पर विचार किया है। माडा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नौ न्यायाधीशों की पीठ के बहुमत के फैसले में पहले ही माना जा चुका है कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है। हमारी राय में, इन दो रिट आवेदनों में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों पर मेसर्स बीएससीपीएल के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले में विधिवत चर्चा की गई है।

132. इन रिट आवेदनों में कोई दम नहीं है, इसलिए दोनों आवेदन खारिज किए जाते हैं।

सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 2730/2024 और सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 4297/2024

133. इन दो रिट आवेदनों में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित प्रार्थना की है:-

- (i) प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा जारी संदर्भ संख्या 94 के अंतर्गत दिनांक 22.1.2024 के संचार को रद्द करने के लिए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसके तहत याचिकाकर्ता को सोन नदी के ऊपर पटना जिले के पालीगंज में सोन क्लस्टर-10 के लिए रेत ब्लॉक के बंदोबस्त के खिलाफ खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार को भुगतान की गई रॉयल्टी पर 18% की दर से जीएसटी का भुगतान करने के लिए कहा गया है।
- (ii) प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई भी बलपूर्वक कदम उठाने से रोकने के लिए, मांग लगाने या उसकी वसूली के लिए कोई कार्यवाही शुरू करने के लिए, जो कि राज्य द्वारा प्रदान की गई लाइसेंसिंग

सेवाओं के खिलाफ जीएसटी होने का दावा किया जाता है, याचिकाकर्ता को खनन अधिकार प्रदान करने की प्रकृति में।

(iii) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि बिहार राज्य द्वारा रेत खनन के लिए खनिज रियायत के अनुदान के माध्यम से याचिकाकर्ता को प्रदान की गई सेवाएँ जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि यह किसी भी लाइसेंसिंग सेवाओं के बदले भुगतान किया गया विचार नहीं है।

(iv) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि रॉयल्टी वैधानिक कर की प्रकृति में है, इसलिए यह एक कर है और इसलिए इसे आगे कराधान के लिए योग्य नहीं माना जा सकता है।

(v) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि खनिज रियायत का अनुदान कानून के प्रावधानों के तहत केवल एक वैधानिक कार्य/कर्तव्य है और यह किसी भी सेवा का प्रतिपादन नहीं है, ताकि माल और सेवा कर आकर्षित हो।

(vi) उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में इसी तरह के मुद्दे के लंबित होने के मद्देनजर प्रतिवादी अधिकारियों को मामले में देरी न करने के लिए आगे निर्देश देने के लिए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को रॉयल्टी पर सेवा कर वसूलने से रोक दिया है।

(vii) प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश देने के लिए कि वे इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करें कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी एक कर है या खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण एवं अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया एवं अन्य के मामले में खनन अधिकारों के अनुदान के खिलाफ एक विचार है।

(viii) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करने के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

134. रिट आवेदनों के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता उन संचारों पर सवाल उठा रहे हैं जिनके द्वारा उन्हें निपटान राशि पर 18% यानी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी की दर से जीएसटी जमा करने के लिए कहा गया है, जो निपटान के

खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी है। खनन प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया है कि वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 13 ऑफ 2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 और अधिसूचना संख्या 11 ऑफ 2017-केंद्रीय कर (दर) दिनांक 28.06.2017 के अनुसार याचिकाकर्ता को 18% जीएसटी का भुगतान करना आवश्यक था।

135. याचिकाकर्ता का कहना है कि संचार जारी करने का आधार ही गलत है, यह अधिकार क्षेत्र से बाहर है और प्रतिवादी संख्या 3 **भारत सीमेंट (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना करने में विफल रहा है। चूंकि **पश्चिम बंगाल बनाम केसोराम और अन्य (2004) 10 एससीसी 201** के मामले में उक्त सिद्धांत पर संदेह किया गया है, इसलिए बाद वाले मामले को **मिनरल एरिया डेवलपमेंट और अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और अन्य (2011) 4 एससीसी 450** के मामले में बड़ी बेंच को संदर्भित किया गया है। रिट याचिका में यह प्रस्तुत किया गया है कि रॉयल्टी सरकार द्वारा निर्धारण और निर्धारण के आधार पर एकत्र की जाती है, इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए, इसे कभी भी पट्टाधारक को खनन अधिकार देने के खिलाफ भुगतान किया गया विचार नहीं कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने रिट आवेदन दायर करते समय तर्क दिया कि रॉयल्टी एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार द्वारा एकत्रित कर की प्रकृति में है। हालाँकि, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता द्वारा यह दलील नहीं ली गई है।

136. इस न्यायालय की राय में, रिट आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा की गई दलील को **माडा मामले** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में अनुकूल नहीं पाया गया। **माडा मामले** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **इंडिया सीमेंट (सुप्रा)** के मामले में फैसले को मंजूरी नहीं दी। सर्वोच्च न्यायालय की माननीय नौ न्यायाधीशों की पीठ ने माना और घोषित किया है कि रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है और रॉयल्टी पर कर लगाया जा सकता है।

हमने मेसर्स बीएससीपीएल के मामले में अपने फैसले में इन सभी मुद्दों पर पहले ही चर्चा कर ली है।

137. हमारे सामने कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

138. परिस्थितियों में, हमें रिट आवेदनों में कोई योग्यता नहीं मिलती है। दोनों रिट आवेदनों को खारिज कर दिया जाता है।

सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 4562/2024

139. इस रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत की प्रार्थना की है:-

- (i) प्रतिवादियों को आदेश की प्रकृति में एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई 1,48,22,500/- रुपये की राशि को वापस करने का आदेश दिया जाए, जो कि खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार को भोजपुर जिले में सोन नदी पर सोन क्लस्टर 16 के लिए बालू ब्लॉक के बंदोबस्त के लिए पहली किस्त के रूप में भुगतान की गई 8,23,50,000/- रुपये की रॉयल्टी पर 18% की दर से माल और सेवा कर के रूप में अनिवार्य रूप से भुगतान की गई थी।
- (ii) भोजपुर जिले में सोन नदी के ऊपर सोन क्लस्टर 16 के लिए रेत ब्लॉक के निपटान के लिए रॉयल्टी की दूसरी और तीसरी किस्त पर जीएसटी लगाने और दावा न करने के लिए प्रतिवादियों को आदेश देने के लिए एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करना।
- (iii) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि बिहार राज्य द्वारा रेत खनन के लिए खनिज रियायत के अनुदान के माध्यम से याचिकाकर्ता को प्रदान की गई सेवाएं जीएसटी के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, क्योंकि यह किसी भी लाइसेंसिंग सेवाओं के बदले भुगतान किया गया विचार नहीं है।
- (iv) यह माननीय न्यायालय आगे निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि रॉयल्टी वैधानिक कर की प्रकृति की है, इसलिए यह एक कर है और इसलिए इस पर आगे कर नहीं लगाया जा सकता।
- (v) यह माननीय न्यायालय निर्णय दे सकता है और यह मान सकता है कि खनिज रियायत प्रदान करना कानून के प्रावधानों के तहत केवल एक

वैधानिक कार्य/कर्तव्य है और यह किसी सेवा के प्रदान करने के बराबर नहीं है, जिससे माल और सेवा कर लगाया जा सके।

(vi) उदयपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य के मामले में इसी तरह के मुद्दे के लंबित होने के मद्देनजर प्रतिवादी अधिकारियों को मामले को आगे न बढ़ाने के लिए एक और निर्देश के लिए, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को रॉयल्टी पर सेवा कर वसूलने से रोक दिया है।

(vii) प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाए कि वे इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार करें कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी एक कर है या खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण और अन्य बनाम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अन्य के मामले में खनन अधिकारों के अनुदान के खिलाफ एक विचार है।

(viii) कोई अन्य राहत या राहत प्रदान करने के लिए जिसके लिए याचिकाकर्ता मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में हकदार पाया जा सकता है।

140. रिट आवेदन में मांगी गई राहत याचिकाकर्ता की इस समझ पर आधारित है कि जीएसटी कानून लागू होने के साथ ही याचिकाकर्ता को निपटान राशि पर देय किस्त का 5% जमा करने के लिए कहा गया था, जिसे उसने जमा कर दिया था और प्रतिवादी से लीज डीड निष्पादित करने का अनुरोध किया था, लेकिन प्रतिवादी ने लीज डीड निष्पादित नहीं की और याचिकाकर्ता को निपटान राशि पर 18% (यानी 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी) की दर से जीएसटी जमा करने का निर्देश दिया, यानी निपटान के खिलाफ याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी। उनका कहना है कि मजबूरी में उन्होंने 11.12.2023 को जीएसटी के रूप में 1,07,05,500/- रुपये की अतिरिक्त राशि जमा की, जो रिट आवेदन के अनुलग्नक 'पी/4' से स्पष्ट होगा। इसके बाद याचिकाकर्ता और खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार के बीच दिनांक 12.12.2023 को पट्टा विलेख (अनुलग्नक 'पी/5') निष्पादित किया गया।

141. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि एक बार जब सरकार द्वारा उद्देश्य के लिए प्रासंगिक मापदंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारण और निर्धारण के आधार पर रॉयल्टी एकत्र की जाती है, तो इसे केवल पट्टाधारक को खनन अधिकार देने के बदले भुगतान किया गया विचार ही कहा जा सकता है। याचिकाकर्ता ने रिट याचिका में यह भी तर्क दिया है कि रॉयल्टी एमएमडीआर अधिनियम, 1957 और 2019 के नियमों के तहत वैधानिक शक्तियों के प्रयोग में सरकार द्वारा एकत्र किए गए कर की प्रकृति की है और इस तरह रॉयल्टी पर कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। रिट याचिका में उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई रॉयल्टी पर जीएसटी लगाना भारत के संविधान के अनुच्छेद 265 का उल्लंघन है, क्योंकि प्रतिवादी प्राधिकरण के पास जीएसटी की रॉयल्टी लगाने के लिए कानून के तहत कोई अधिकार क्षेत्र और अधिकार नहीं है।

142. रिट याचिका दायर करते समय याचिकाकर्ता ने **इंडिया सीमेंट (सुप्रा)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की ओर ध्यान दिलाया, जिस पर **केसोराम (सुप्रा)** के मामले में संदेह था और इस मुद्दे को माडा मामले में एक बड़ी बेंच को भेजा गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को अब माडा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की जानकारी है। रॉयल्टी कर की प्रकृति में नहीं है और रॉयल्टी पर कर लगाया जा सकता है।

143. रिट आवेदन की विषय-वस्तु से यह स्पष्ट है कि यह उन्हीं मुद्दों को उठा रहा है जिन पर हम मेसर्स बीएससीपीएल के मामले में पहले ही चर्चा कर चुके हैं। यह इस न्यायालय द्वारा मेसर्स बीएससीपीएल (सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3531/2022) के मामले में दिए गए तर्क और औचित्य द्वारा कवर किया जाएगा।

144. यह रिट आवेदन खारिज किया जाता है।

सीडब्ल्यूजेसी संख्या 6389/2024

145. इस रिट आवेदन में याचिकाकर्ता ने उप आयुक्त राज्य कर (डीसीएसटी)/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा पारित दिनांक 16.12.2023 के आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्होंने याचिकाकर्ता को वर्ष 2017-18 (जुलाई 2017 से मार्च 2018) की अवधि के लिए बीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(9) के तहत ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी के रूप में 45,936 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया है।

146. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि एक प्रोपराइटर फर्म होने के नाते वह ईंटों के निर्माण में लगी हुई है। याचिकाकर्ता ने ईंटों के निर्माण के लिए अपनी जमीन मौजा परबत्ती, खाता संख्या 82, खेसरा संख्या 170 और 171 से मिट्टी के खनन के लिए परमिट प्राप्त किया है। हर साल खनन विभाग, बिहार सरकार द्वारा रॉयल्टी के भुगतान पर मिट्टी के खनन के लिए एक अलग परमिट जारी किया जाता है। याचिकाकर्ता ने बिहार खनन और खनिज नियमावली के तहत परमिट देने के लिए 70,875 रुपये का भुगतान किया है।

147. प्रस्तुत किया गया है कि ईंटों के निर्माण के बाद, याचिकाकर्ता विभिन्न ग्राहकों को ईंटें बेचता था और ईंटों की बिक्री पर जीएसटी लगाया जा रहा है, जिसका याचिकाकर्ता नियमित रूप से राज्य के खजाने में भुगतान करता रहा है। प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता द्वारा इस अनुपालन के बावजूद, प्रतिवादी संख्या- 4 ने याचिकाकर्ता को दिनांक 29.09.2023 (रिट आवेदन के अनुलग्नक '4') को कारण बताओ नोटिस दिया है, जिसमें उसे बीजीएसटी/सीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 73(1) के तहत नोटिस में दिए गए विवरण के अनुसार 45,438/- रुपये का भुगतान करने के लिए कहा गया है।

148. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर किया लेकिन नोटिस को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि रॉयल्टी के जीएसटी की वसूली से संबंधित मामला विभिन्न उच्च न्यायालय

और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, इसलिए याचिकाकर्ता रॉयल्टी की राशि पर ब्याज और जुर्माने के साथ जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

149. रिट याचिका में याचिकाकर्ता का तर्क है कि खनन विभाग को दी जाने वाली रॉयल्टी की राशि कर है और यह माल की बिक्री या प्रदान की गई सेवा के लिए प्रतिफल नहीं है। याचिकाकर्ता का कहना है कि ईंटों के निर्माण के लिए मिट्टी के खनन के लिए खनन विभाग को दी जाने वाली रॉयल्टी पर जीएसटी (कर, ब्याज और जुर्माना) की मांग करना प्रतिवादी प्राधिकरण के लिए उचित नहीं है।

150. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दों का उत्तर पहले ही माडा मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में दिया जा चुका है। हमने मेसर्स बीएससीपीएल के मामले में अपने फैसले में मामले के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की है। याचिकाकर्ता का मामला इस न्यायालय के उपरोक्त फैसले के अंतर्गत आएगा।

151. इस रिट आवेदन में कोई दम नहीं है। इसे तदनुसार खारिज किया जाता है।

(राजीव रंजन प्रसाद, न्यायमूर्ति)

(सौरेंद्र पांडे, न्यायमूर्ति)

ऋषि/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।